CONTENTS

Fifteenth Series, Vol.VI, Third Session, 2009/1931 (Saka)
No.12, Monday, December 7, 2009/Agrahayana 16, 1931(Saka)

S U B J E C T	P A G E S
FELICITATION TO INDIAN CRICKET TEAM	**2**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.241, 243 to 245, 247 and 248	3-44
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.242, 246 and 249-260	45-86
Unstarred Question Nos.2723-2894	87-401

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **402-408**

MOTION RE: EIGHTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE **409**

JHARKHAND CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) BILL, 2009 **409**

STATEMENT RE: JHARKHAND CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ORDINANCE, 2009 (No. 7 of 2009) **410**

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE **411-423**

Situation arising out of Government's move to merge various Public Sector Banks resulting in discontent amongst Bank employees and steps taken by the Government in this regard

Shri Gurudas Dasgupta 411, 413-419

Shri Pranab Mukherjee 411-412, 419-423

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to establish a Urdu University at Faizabad and a Sanskrit University at Ayodhya in Uttar Pradesh for promoting Urdu and Sanskrit languages

Dr. Nirmal Khatri 434

(ii) Need to release adequate funds by the Government of Andhra Pradesh for providing toilet and bathroom facilities in girls' hostels

Shri Madhu Goud Yaskhi 435

(iii) Need to expedite the setting up of FM Radio Station (Relay) in Karimnagar Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh

Shri Ponnam Prabhakar 436

(iv) Need to extend the jurisdiction of Delhi High Court to all the cities and towns of NCR

Shri Jai Prakash Agarwal 437

(v) Need to release funds for the speedy completion of railway line between Raichur in Karnataka and Macherla in Andhra Pradesh

Dr. Manda Jagannath 438

(vi) Need to declare 'Sitamarhi' in district Nawada, Bihar as a tourist place of national importance

Dr. Bhola Singh 439

(vii) Need to extend the time-frame of industrial package given to Himachal Pradesh for its economic development

Shri Anurag Singh Thakur 440

(viii) Need to construct a railway over bridge at level crossing on Varanasi-Lucknow railway line in Jagdishpur, Machhlishahr Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Tufani Saroj 441

(ix) Need to construct a bridge on river Sone between Daundnagar and Narsariganj in Aurangabad and Rohtas districts respectively

Shri Mahabali Singh 441

(x) Need to build a National Highway from Baruipur to Bakkhali in South 24-Parganas district of West Bengal

Dr. Tarun Mandal 442

OBSERVATION BY THE SPEAKER 443

DISCUSSION UNDER RULE 193

Report of the Liberahan Ayodhya Commission of inquiry and memorandum of action taken by the Government on the Report 443-536

Shri Gurudas Dasgupta 443-454

Shri Jagdambika Pal	455-465
Shri Rajnath Singh	466-489
Shri Mulayam Yadav	490-500
Shri Dara Singh Chauhan	503-506
Shri Sharad Yadav	507-512
Shri Kalyan Banerjee	513-516
Shri Abdul Rahman	517-521
Shri Sanjay Nirupam	522-523
Shri Salman Khursheed	524-536

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	546
Member-wise Index to Unstarred Questions	547-549

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	550
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	551

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, December 7, 2009/Agrahayana 16, 1931(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

FELICITATION TO INDIAN CRICKET TEAM

MADAM SPEAKER: Hon. Members, it is a matter of immense pride that the Indian Cricket team by registering an emphatc victory over Sri Lankan team in the Mumbai Test Match played at the Brabourne Stadium yesterday has not only won the on-going series but has achieved the enviable feat of being the No. 1 team in the ICC Test rankings, an accomplishment the country has achieved for the first time in the history of Indian cricket.

This tremendous achievement which has won the hearts of every Indian has been made possible by the grit and determination displayed by our team under the able captainship of M. S. Dhoni and the splendid performances by Virender Sehwag and others. M. S. Dhoni has also become the second player in the history not to lose a single match in his first 10 tests.

I am sure the House would join me in congratulating the Captain and the players of the Indian cricket team on achieving this historic feat and wish them all the best in their future endeavours.

———

(Q. NO.241)

MADAM SPEAKER: Now we shall take up the Question Hour.

Q. No. 241 – Shri G.M. Siddeshwara – not present.
Shrimati Yashodhara Raje Scindia.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : माननीय अध्यक्ष महोदया, बड़ी चिन्ता का विषय है कि हम लोग जब अपने संसदीय क्षेत्रों में दौरे करते हैं तो वहां ऐसे भी गांव हमारे सामने आते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से न जोड़ते हुए एक मिसिंग लिंक के तौर पर वंचित किया जाता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार उन गांवों को भी मिसिंग लिंक के तौर पर जोड़ने का ध्यान कर सकती है? मेरी चिन्ता यह है कि ऐसे भी गांव हैं, जहां अभी तक बड़े पुल का निर्माण नहीं हुआ है और ऐसे भी गांव हैं जिनकी पीएमजीएसवाई के फेस-9 से अभी तक स्वीकृति नहीं आई है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 843/22/आरआरडीए, दिनांक 22-1-2008 को जो लिखा गया था, क्या उस प्रस्ताव की मंजूरी हो गई है? क्या मध्य प्रदेश सरकार के 1187/22/आरआरडीए, दिनांक 2007, तीन साल पहले के प्रस्ताव की मंजूरी अभी तक लम्बित है, क्या आपने उसे मंजूरी दी है? क्या आपने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 835/22/आरआरडीए, दिनांक 2008 के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है?

श्री प्रदीप जैन: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने जो जानकारी चाही है, वह स्पेसिफिक जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भारत सरकार के पास मध्य प्रदेश से जो भी प्रस्ताव आए हैं, उनकी स्वीकृति दी जा चुकी है। माननीय सदस्या ने जो विशेष पत्र के बारे में जिक्र किया है, हमारे पास एक चार्ट है, इस चार्ट के अंदर आज भी मध्य प्रदेश सरकार के पास 5519 करोड़ रुपए का कार्य बताया है।

महोदया, जितनी भी संपर्क विहीन हैबीटेशन्स हैं, उन्हें जोड़ने के लिए यह योजना है और ऐसे हैबीटेशन्स जिनकी आबादी 500 और तराई तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 है, उन सबको जोड़ने के लिए यह योजना 25 दिसम्बर, 2000 को प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत हर राज्य से गांवों को जोड़ने की मांग आई है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हमारे देश के 72 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। हर गांव को एक कनैक्टिवीटी से जोड़ना और जो वहां की वर्तमान सड़कें हैं, उनका अपग्रेडेशन करने के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्दर प्रावधान किया गया था। माननीय सदस्या ने जो जानना चाहा है, वह स्पेसीफिक मामला है। उसे हम दिखवा लेंगे और उसके बारे में हम बताएंगे।

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने एन.डी.ए. सरकार की योजना का जो ब्यौरा दिया, वह हमारी सरकार के पूर्व प्रधान मंत्री, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था। उससे सब वाकिफ हैं कि उनका क्राइटीरिया क्या था। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि जो उनका लक्ष्य था, उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, हमें बहुत महीन तरीके से, ऐसी बसावटों में भी जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने उन प्रस्तावों की मांग की थी, क्योंकि तीन-तीन साल निकल गए हैं, जिनकी अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन आज मंत्री जी ने, शायद आपके माध्यम से सदन में आश्वासन दिया है कि वे इस स्पेसीफिक मामले को दिखवाएंगे और बताएंगे। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। उन्होंने मंत्री जी को धन्यवाद दिया है। प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री मदन लाल शर्मा : मोहतरमा स्पीकर साहिबा, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि पी.एम.जी.एस.वाई. योजना बहुत अच्छी है। इसे पूरे देश में लागू किया गया है और इसके द्वारा पूरे देश में सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है। अब इस योजना का फेज-7 चल रहा है, लेकिन फेज-1 में जो रोड्स और जो लिंक्स शुरू किए गए थे, उनका सिर्फ अर्थवर्क ही किया गया है और कई जगहों पर वह भी अधूरा है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फेज-1 में सिंगल, मैटलिंग और प्रीमिक्सिंग का काम अभी तक इतने सालों से पीछे है, तो इन कामों को कब तक पूरा कराने की योजना है?

श्री प्रदीप जैन: माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा हमारे माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जो जाल है और उसमें जो प्रावधान है, उसके अनुसार चूंकि ग्रामीण सड़कें राज्यों का विषय है, इसलिए भारत सरकार उनके लिए बजट आबंटित करती है। इनके लिए जिला स्तर पर पी.आई.यू. है, स्टेट लैवल पर एस.आर.डी.ए. है और नैशनल लैवल पर एन.आर.डी.ए. है। इस प्रकार यह एक पूरी नैटवर्किंग बनी थी। इस नैटवर्किंग में थ्रू रूट्स और लिंक रूट्स के लिए, जो मानक और गाइड लाइन्स भारत सरकार ने तय की थीं, उनके अनुसार यह कार्य हो रहा है। इसमें जैसे ही हम अपने पुराने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उसके पश्चात् हम इसमें और आगे कार्य करेंगे।

SHRI B. MAHTAB : This PMSGY was one amongst the many laudable programmes, which started during the NDA regime, and very rightly so, the UPA Government has included it in the Bharat Nirman Progarmme. From 2004 to 2006, in two years time, two investigations were also conducted relating to the alleged corruption that had taken place in rural connectivity to which the hon. Prime

Minster had come out with a statement in 2007 saying that it should be curtailed and more monetary mechanism should be in place.

I would like to ask the hon. Minster as to what steps other than the 3-tier mechanism have been put-forth; whether the Government is aware about the corruption that is taking place in construction of these rural roads; and whether the steps that are being taken are sufficient enough for curtailing or to control the corruption that is taking place.

श्री प्रदीप जैन: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे सम्मानित सदस्य ने जो बात कही है, उसके लिए गाइडलाइंस में एक स्पष्ट प्रावधान था। भ्रष्टाचार जिस तरह से फैल रहा है और हम समझते हैं कि सड़कों का निर्माण राज्य का विषय है तो सर्वप्रथम तो हम यही प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका संवैधानिक दायित्व है कि जो उनको भारत सरकार से धनराशि दी जा रही है, जो उनकी स्टेट लेविल पर एजेंसी है, उस एजेंसी के पास जो शिकायत आये, वे उसका निस्तारण करें। अगर हमें लगता है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक शिकायत आती है तो हमारे नेशनल क्वालिटी मोनीटर हैं, वे नेशनल क्वालिटी मोनीटर वहां जाते हैं और उन शिकायतों को देखते हैं। हम माननीय सदस्यों से यह भी आग्रह करेंगे कि इसके अलावा, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर इन सड़कों के माध्यम से विकास का नया रास्ता खुलेगा, अगर उसके क्रियान्वयन में उन्हें किसी राज्य में किसी ने कोई इस तरह की शिकायत दी है या मिली है तो हमें दे सकते हैं, उसको हम नेशनल क्वालिटी मोनीटर से दूर कराएंगे।

SHRI P. KARUNAKARAN : The PMGSY is a noble work initiated by the Government to better the road connectivity in the rural areas. At the same time, when we implement this scheme, as far as Kerala is concerned, the three strict norms prescribed by the Government, that is, eight metre width, 1:12 gradient and the roads have to be taken as a package scheme--the Contractor has to take four roads together and not one or two--really make it difficult. Of course, the fund should be utilized fully for the purpose of providing better connectivity in the rural areas. But at the same time, keeping in view the special features prevailing in various States, will the Government consider to make the flexibility for utilizing this fund?

श्री प्रदीप जैन: माननीय अध्यक्ष महोदया, ग्रामीण सड़कों की तकनीकी रूप से सुदृढ़ता के लिए एक पूरा मानक बनाया गया है कि जो थ्रू रोड्स हैं, उनकी चौड़ाई 3.75 मीटर और लिंक रोड तीन मीटर की होगी। यह एक स्पष्ट प्रोवीजन है। हम लोग सर्वे कराते हैं कि जहां 100 से ज्यादा वाहन निकलते हैं तो वहां पर वाहन पथ की चौड़ाई 3.75 मीटर होगी। इस तरह से जो आपका कहना है, जो आपका एक सुझाव है, उसके लिए हम लोगों का पूरा मोनेटरिंग सिस्टम है। जिस तरह से मोनेटरिंग प्रक्रिया है, उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट लेविल से स्टेट लेविल और सैण्ट्रल लेविल तक पूरी एक प्रक्रिया बनी हुई है और हम समझते हैं कि उस प्रक्रिया के माध्यम से सड़कों का निर्माण होता है, उसकी मोनेटरिंग होती है। उसके बावजूद, चूंकि हम सारे लोगों का एक ही लक्ष्य है, भारत सरकार यही चाहती है कि देश की सबसे बड़ी महापंचायत में जितने हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर उनके बारे में, उनके मन में इस तरह का कोई विचार है, जिस विचार के माध्यम से हम ग्रामीण सड़कों का सुधार कर सकते हैं तो हम चाहते हैं, वे हमें दे दें। उसके माध्यम से हम अपनी प्रक्रिया को और ठीक करेंगे।

DR. MIRZA MEHBOOB BEG : Madam, under this scheme, the most important problem facing the far flung areas of the country was thought of and, therefore, this scheme was launched. But I am talking about the State of Jammu and Kashmir, and it is most needed in the State of Jammu and Kashmir because it is a landlocked State. The entire State and some of its areas are really landlocked in that sense of it. But unfortunately, when I had a look, in the answer provided by the hon. Minister, Jammu and Kashmir has come at serial No.10, and, through you, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that almost from every State the proposals received by the Government of India have been almost 100 per cent cleared. But in the State of Jammu and Kashmir, as against the proposals of 1379 received, only 885 have been cleared by the Government of India. I would like to know from the Minister the reason therefor.

श्री प्रदीप जैन : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो हमारी प्रक्रिया है, जो बजट का एलोकेशन और रिलीजिंग है, वह वर्तमान में स्थिति को देखकर ही सारे धन का आबंटन होता है, क्योंकि सब की इच्छा यह है कि पूरे देश के अंदर समान रूप से कार्य हो। आज भी जम्मू-कश्मीर के पास 1,716 करोड़ रूपए के कार्य बकाया हैं। आज भी उनके पास 27 फीसदी कार्य ऐसे

हैं, जिन कार्यों को उन्हें करना शेष है। जब वह ये कार्य पूरे कर लेंगे, उसके पश्चात उनके जो प्रस्ताव हैं, उन पर विचार किया जाएगा।

MADAM SPEAKER: Q -. 242, Dr. M. Thambidurai – not present.
Shri Sudarshan Bhagat – not present.

Q. 243 – Shri Tarachand Bhagora

(Q. NO.243)

श्री ताराचन्द भगोरा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस संबंध में विशेष लेखा परीक्षकों ने जो कम राजस्व दिखाया है, क्या उसकी जांच सेबी और कंपनी एक्ट के तहत की जा रही है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या आईआईसीए ने इसकी जांच करने के लिए संचार मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है?

टीआरएआई और टेलीग्राम एक्ट के तहत इस किस्म की अनियमितताओं के लिए क्या प्रावधान हैं और क्या संचार मंत्रालय इस प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई करेगी? यदि हां, तो कब तक करेगी?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SACHIN PILOT): There was a complaint received about some companies doing under-reporting and cross-booking of the revenues basically to do the arbitrage of the different licence fee structure that we have in the country today. Accordingly, the TRAI also received complaints from various quarters and special auditors were appointed to conduct a special audit on five such companies. The report of the auditor for one company has been received by us. Currently, we are looking at the report and we hope to take action by the end of January. The other four auditors are yet to submit their reports on the four operators.

श्री ताराचन्द भगोरा : अध्यक्ष महोदया, इस किस्म के गंभीर आरोप जो कि साबित हो चुके हैं, उसकी सजा के सैक्शन 415 से 420 और सैक्शन 409 के तहत आईपीसी में क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? क्या सरकार आईपीसी के तहत कार्रवाई करेगी? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

SHRI SACHIN PILOT: The Ministry is only looking to get revenues from the operators in terms of Spectrum charges and in terms of the licence fees. जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा, हमारे मंत्रालय के पास जो आपरेटर से इन्कम आती है, वह स्पेक्ट्रम चार्जेज और लाइसेंस फीस के माध्यम से आती है। जहां पर कोई शिकायत मिलती है, हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पर किसी प्रकार से सरकार की कमाई में कमी आए, इसलिए जैसे ही हमें कोई कंप्लेंट मिलती है, हम प्रभावी कदम उठाकर तुरंत उसकी जांच करवाते हैं। जो भी बकाया राशि

होगी, वह दंड सहित हम लोग कंपनी पर चार्ज करेंगे और पूरा बकाया वसूल करेंगे। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : The hon. Minister has admitted and in his statement he has also indicated that these under-reporting and fudging of accounts have been indulged in by at least by three operators. He has mentioned the name of the operator as Reliance Communications Ltd., infrastructure etc. Similarly, another company, that is, M/s. Trikona Pvt. Ltd., without getting the permission, has used Spectrum for broadband by WC wing.

The hon. Minister has assured that an inquiry is being conducted. I feel that the inquiry report should be expedited and it should come to the notice of the House. I would like to know from the hon. Minister as to what is the amount involved, what is the amount that they have under-reported or what is the amount involved in fudging of accounts that they have done this time. Similarly, when M/s. Trikona Private Limited is not authorised to use the spectrum, they have used it. Madam, certainly these are very serious matters and the Government should not consider them lightly. They should expedite the inquiry process and the concerned operator should be penalised immediately. Exemplary punishment should be given. They should not treat it very lightly. I think they are treating it lightly.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI A. RAJA): Madam Speaker, as admitted in the Parliament, there are violations in terms of licence fee and using of the spectrum. The routine checkup and the monitoring system under the licence conditions are there. According to the systems available, we are invoking the provisions of the licence conditions and the Companies Act, 1956. There are some cases of under-reporting about the revenues. According to the report that has been available to the company, in and around Rs. 2,800 crore were under-estimated out of which some Rs. 315.9 crore has to come to the Government.

But these are all the inferences which cannot be taken as conclusive proof because the report runs to 800 or 900 pages. It has its own financial and legal interpretations. The special auditors have been appointed by the Government. According to the special audit report that has been received by the company, the papers have been put before the Member (Finance) and other officers in the Department. It will be scrutinised. A fair opportunity must be given to the company also. The company's interpretation will be heard. Since large volumes of papers are available, it will take its own quasi-judicial functions. As soon as the outcome is there, I will share it with the Parliament.

डॉ. संजीव गणेश नाईक : अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में करीब पचास टके से भी ज्यादा गांव अभी तक इस सेवा से वंचित हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आपके डिपार्टमैंट का कोई निश्चित समय तय है कि इतने दिनों में उसे पूरा किया जाएगा?

SHRI SACHIN PILOT : Madam, this supplementary does not relate to this question. लेकिन मैं मांननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार की सुविधाओं को और पुख्ता बनाने के लिए बहुत गंभीर हैं। हम इस बात की कोशिश करते हैं कि न सिर्फ पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स बल्कि प्राइवेट ऑपरेटर्स भी ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां शहरी क्षेत्रों में अच्छी टेलीडैंसिटी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लगभग आधे ऐसे गांव हैं जहां मोबाइल सर्विस नहीं पहुंची है। हम कोशिश करेंगे कि अगले डेढ़-दो साल के अंदर सारे गांवों तक संचार सुविधा पहुंचा सकें।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने फरमाया कि सरकार को बहुत फिक्र है कि ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सर्विस, मोबाइल सर्विस ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, लेकिन इनकी मेहरबानियों से हमारे यहां उल्टी गंगा बहती है। वहां पिछले दस साल से टेलीफोन सर्विस थी, लेकिन इन्होंने अचानक प्री-पेड मोबाइल सर्विस बंद कर दी। उससे आवाम् को परेशानी, स्टूडैंट्स को परेशानी, ब्यूरोक्रैट्स को परेशानी, व्यापारियों को परेशानी और आम लोगों को परेशानी के अलावा हजारों नौजवान जो इससे रोजी कमाते थे, वे बेकार हो गए। अगर कहा जाए कि यह सिक्युरिटी की प्राब्लम है, तो आप अपने सिस्टम को ठीक कर लीजिए। मैं दो मिनट के लिए मान लेता हूं कि एक सिम या टेलीफोन गलत हाथ में गया और उसे मिलिटैंट ने इस्तेमाल कर लिया। क्या इसका मतलब यह है कि हम सारा सिस्टम बंद कर दें? यदि कोई

मिलिटैंट ट्रेन में जाए तो क्या हम ट्रेन बंद कर दें, मिलिटैंट अस्पताल में जाए तो अस्पताल बंद कर दें, मिलिटैंट रोशनी में बैठे तो हम बिजली बंद कर दें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया सवाल पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : मैं आपकी वसादत से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या प्री-पेड मोबाइल की पाबंदी कश्मीर से हटाएंगे और यदि हटाएंगे तो कब हटाएंगे?

श्री सचिन पायलट: अध्यक्ष महोदया, मै माननीय सदस्य के जज्बातों की बहुत कद्र करता हूं। रियासते जम्मू-कश्मीर में गृह मंत्रालय द्वारा प्री-पेड मोबाइल सर्विसेज पर बैन लगाये जाने के कुछ कारण थे। जैसे माननीय सदस्य ने खुद कहा कि कहीं पर वह मिसयूज होता है। लेकिन हमारे संज्ञान मे आया है कि रियासते जम्मू-कश्मीर पर इसका मिसयूज बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। हमें लगता है कि इसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने प्री-पेड मोबाइल सर्विसेज पर बैन लगाया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक दूर-संचार की व्यवस्था है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख वेली, इन तीनों जगहों पर हम लोग अपनी सरकार और यूएसओ फंड के माध्यम से टॉवर भी लगा रहे हैं, और वीपीटी, (विलेज पब्लिक टेलीफोन) भी लगा रहे हैं और जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां रास्ते नहीं हैं, वहां हम सेटेलाइट के माध्यम से भी उनको दूर-संचार से जोड़ेंगे।

(Q. NO.244)

श्री पूर्णमासी राम : अध्यक्ष महोदया, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत से ग्रामों के जो सुदूर इलाके हैं, वहां अभी तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार की एक योजना थी, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2007 तक 50 मिलियन और वर्ष 2010 तक 80 मिलियन ग्रामीणों को मोबाइल एवं टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराना था। आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 802 मिलियन आबादी निवास करती है। आज तक मात्र 39.44 प्रतिशत मिलियन ग्रामीणों को ही मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन दिया गया है, जो जनसंख्या का मात्र 4.92 प्रतिशत है। बिहार राज्य में वह खराब ही रहता है।

अध्यक्ष महोदया, मै आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का दूर-संचार नियमों में कोई सुधार करने का इरादा है, ताकि ग्रामीणों को मोबाइल टेलीफोन सुविधा सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके?

श्री सचिन पायलट : अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने पहले बताया और प्रश्न के उत्तर में भी मैंने कहा है कि इस देश में सवा छः लाख गांव हैं और बीएसएनएल सिर्फ 3.45 लाख गांवों में अपनी संचार सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सांसद महोदय ने जो प्रश्न किया, वह उचित है, क्योंकि टेलीडैंसिटी का जो इजाफा हुआ है, वह ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में हुआ है। आज इस देश में लगभग 44.5 प्रतिशत टेलीडैंसिटी औसत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यह टेलीडैंसिटी 19.30 प्रतिशत है। हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में टेलीडैंसिटी को बढ़ाया जाये। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप लोग शांत रहें।

...(व्यवधान)

श्री सचिन पायलट: हम लोगों के पास यूएसओ फंड, जो हमारे मंत्रालय का फंड है, में काफी पैसा है। उस फंड के चलते हम लोगों ने फेज वन में लगभग सात हजार मोबाइल टॉवर्स देश भर में लगाये हैं और ऐसे गांवों, इलाकों में लगाये हैं जहां जनसंख्या दो हजार से ऊपर थी। आने वाले कुछ समय में हम दस हजार मोबाइल टॉवर्स और लगाने वाले हैं जहां पर गांवों की जनसंख्या पांच सौ से ज्यादा है। हमारी कोशिश यह है कि बीएसएनएल और यूएसओ फंड और अनेक प्रयास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो विषमताएं हैं, शहर और गांवों में जो दूरियां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री पूर्णमासी राम : अध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने टेलीफोन विभाग के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता देने की योजना बनायी है? दूसरी बात यह है कि बिजली का भी बहुत भारी

संकट है। विद्युत न रहने की वजह से वहां टॉवर फेल रहता है, जिसकी वजह से टेलीफोन डिपार्टमैंट सब लोगों को समय से टेलीफोन का उपयोग नही करा पाता। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने विद्युत की व्यवस्था करने के लिए कोई योजना बनायी है?

श्री सचिन पायलट: महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गांवों में मोबाइल के अलावा लैण्डलाइन और डब्ल्यूएलएल फोन हम उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए हमने विलेज पब्लिक टेलीफोन की योजना बनाई थी। 30 सितंबर, 2009 तक देश के 95.5 प्रतिशत गांवों को हम लोगों ने या तो मोबाइल या वीपीटी से जोड़ा हुआ है। आने वाले समय में, भारत निर्माण योजना के तहत बचे हुए 62,300 गांवों में से 59,800 गांव हमने जोड़ दिए हैं और शेष गांवों को फरवरी, 2011 तक जोड़ना चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा बिजली संकट के बारे में उठाया है। यह बात बिल्कुल सच है कि हमारे मोबाइल टावर्स, जो ग्रिड पर होते हैं या ऑफ ग्रिड होते हैं, वहां पर बिजली की कमी होने के कारण टावर्स काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने वहां पर जेनसेट्स लगाए हैं, उनके लिए डीजल उपलब्ध कराते हैं। हमारी कोशिश है कि राज्य सरकारें भी अगर इसमें सहयोग करें और बिजली का उत्पादन बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से मोबाइल टावर के माध्यम से संचार सुविधा और बढ़ सकती है।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुमित्रा महाजन - उपस्थित नहीं।

वैसे उन्होंने पत्र लिखकर मुझे सूचित किया है कि वह सदन में नहीं आ पाएंगी।

SHRI MANISH TEWARI : Thank you, Madam Speaker. I specifically wanted to draw the attention of the Minister to his answer to point (c). He says that : "As per the license conditions, there is no requirement of mandatory coverage of rural areas by the telecom operators". If I remember correctly, there was a provision for mandatory rural coverage -- both in the cellular licenses and the basic licenses -- when the licenses were issued initially. However, this condition was done away with when the licensing regime shifted to the Universal Access System. Could the Minister kindly enlighten the House as to what impelled the Government to do away with the mandatory condition of rural coverage?

Secondly, you had referred to the Universal Service Obligation Fund (USOF). Now, the specific purpose of the USOF is to ensure rural coverage. Is there any parameter or criteria whereby funds are allocated to the different private service providers in order to fulfil this obligation of rural telephony?

SHRI SACHIN PILOT : Madam Speaker, initially, when the mobile services were launched in this country, the rollout was not as fast and as widespread as we would have liked it to be. Thereafter, the NTP-99 came into being, and post that the US service licenses were awarded. The Government at that point felt that if we are mandating the private operators to compulsorily go into rural areas, then they may not be in a position to rollout services as fast as they have done it. The fact that we have been able to proliferate mobile services all over India is a testimony to the fact that the Government's vision of having an information-communication revolution has borne fruit.

The conditions of the US license, as of now, state that five per cent of the company's adjusted gross revenue has to be given into a fund called the USO Fund, and the specific reason for having that fund is to ensure rural connectivity. As I had mentioned in my previous reply that we have already established 7,000 odd mobile towers, and we are going to establish another 10,000 mobile towers and the next 10,000 mobile towers will be based on the population of villages having a population of 500 and above.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Madam Speaker, the services of BSNL are very poor even in the urban areas of the North East Region, and the complaints lodged by the people are not being properly attended as they should have been. Would the hon. Minister like to take timely and effective steps in this regard?

Secondly, is there any objection from our neighbouring country, namely, Bhutan to stop operations of mobile phones in the border areas?

SHRI SACHIN PILOT : Madam, the North East part of India is a very important part of our country, and the Government of India is very keenly focusing on delivery of services including the telecommunication services to the North East Region. I myself had visited Sikkim and other States, and I have taken stock of the situation. However, I believe that more work needs to be done. I would like to enlighten the hon. Member, through you, that BSNL is taking steps to improve the quality of services. We are not just happy with having a scale of services, but the

quality of the services is to be improved. We have instructed the management of BSNL to take effective steps to ensure that the services should be very good, especially, in the far-flung areas of J&K and the North East Region. I am happy to inform the hon. Member, through you, Madam, that BSNL is going to put up by March, 2010, 10,000 mobile towers, and an additional 15,000 mobile towers by March, 2011.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : I am yet to get the answer to the second part of my question regarding Bhutan.

MADAM SPEAKER: There is only one question that is allowed.

SHRI SACHIN PILOT: We are not aware of it.

SHRI KABIR SUMAN : Madam Speaker, with your kind permission, I rise in this august House for the first time not to pose any question, but to make a statement. I have just received a message from a fellow citizen who is a resident of Bonga, North 24 Parganas, West Bengal, and if you permit me, I would like to read it out. It is a very serious one.

MADAM SPEAKER: That is not permitted. Please ask your own question.

SHRI KABIR SUMAN : Madam, the question is that in several places in West Bengal, especially in North 24 Parganas, several towers exist side by side emitting a lot of pollution and also radiation. What does the hon. Minister say to this?

SHRI SACHIN PILOT: Madam Speaker, it is a fact that the mobile towers, where there is no electricity available, are primarily run on DG Sets which consume a lot of diesel. The Ministry has been very conscious of this fact and we are trying to reduce our carbon footprint. The number of towers that we have today, if we are somehow able to reduce the emissions from these towers, it will go a long way. Through the USO Fund, in the next Phase II, we will be putting up more towers. We are trying to ensure to have as many as possible solar panels there so that the long-term costs come down, and also the carbon emissions come down. I think this will certainly be something that we are looking to do.

To answer the first part of the hon. Member's question was that multiple towers being set up, now we have allowed up to three mobile operators to share infrastructure. This will reduce the capital expenditure cost as well as optimize the structures.

(Q. No. 245)

SHRI BAIJAYANT PANDA : I notice from the answer tabled by the hon. Minister that there has been an increase in the last five years of the number of ships from about 55 to 106, and the number of cruise passengers from about 34,000 to about 69,000. While by itself this is creditable, the fact is these numbers are very small. Madam, much smaller countries have much larger tourism industries, and countries which are five per cent of our size have perhaps 500 per cent of the number of cruise ships and passengers that come to their country and help their economy. I have noticed in the media statements by the hon. Minister and also by his colleague, the hon. Minister of State for Tourism, that there are many plants afoot for boosting the tourism and the cruise shipping industry for India.

Would the hon. Minister consider proposing a stimulus package for making this possible for India?

SHRI G.K. VASAN: Madam, I would like to inform the hon. Member through you that one of the major steps for developing cruise shipping is developing facilities at major ports by using their own resources and through existing schemes of the Department of Tourism. Various ports, I would like to inform the hon. Member, are offering differential vessel-related charges to encourage cruise shipping. I would also say that the New Mangalore Port allows up to 50 per cent concession on vessel-related charges. While developing rail, road and IWT connectivity, needs of the cruise shipping sector are factored into the projects of the ports. I would also like to inform the hon. Member that 100 FDI is permitted in the shipping sector, including cruise shipping.

In order to put in place an appropriate fiscal regime for the benefit of the cruise, industry. The Ministry of Finance has been requested to reduce the service tax, entertainment tax and the duty on bunkering, etc.

SHRI BAIJAYANT PANDA : In part (d) and (e) of his answer, the hon. Minister has given a list of ports where infrastructure facilities are being developed for cruise ships. These include, apart from New Mangalore which he mentioned, Cochin, Mumbai, Chennai, Tuticorin, Murmagao and Kolkata. I notice that there is no mention of Orissa. I would like to point out to this august House that Orissa has one of the longest coastlines in this country – 480 kilometres.

Apart from the existing port of Paradip, we have another six or seven ports under development already. We have very high tourism potential there on the Buddhist Circuit and the temple city of Bhubneswar. I would like to get an assurance from the hon. Minister that something would be done to promote cruise shipping and the tourism industry in Orissa.

SHRI G.K. VASAN: I would like to tell the hon. Member that regarding Orissa from 2003-04, the number of cruise ships that visited the Paradip Port was seven and the number of passengers was 1,438. Now from the Ministry's side, as far as Orissa is concerned, there is only one major Port, namely Paradip Port. Presently there is no proposal. But as the hon. Member says a lot about the tourist facilities in Orissa, steps will be definitely taken in this regard.

MADAM SPEAKER: Shri K. Sudhakaran – Not present.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: I would like to ask the hon. Minister through you, as to how many cruise ships visited Chennai and Tuticorin Ports in Tamil Nadu. What are the steps taken to augment the capacity for handling the cruise ships at the port? I also would like to ask the hon. Minister, what is the present status of Cochin-Columbo ferry service and Tuticorin-Columbo ferry service?

SHRI G.K. VASAN: Madam, through you, I would like to tell the hon. Member that in 2003, the number of cruise ships that visited Chennai port was five and the number of cruise passengers was 223. In 2009, number of cruise ships visited was six and the number of passengers was 520. In 2004 regarding Tuticorin Port, I would say that only one cruise ship with 599 members was there and in 2009 again for one ship, only 165 cruise members were there. I will be happy to inform

the Member that both Chennai and Tuticorin Ports have been identified for development for cruise facilities.

Regarding the status of Cochin-Colombo ferry and Tuticorin-Colombo ferry service, a proposal for commencement of passenger ferry service between Tuticorin and Colombo was discussed in 2002 and an agreement in principle was reached at the level of Ministers of Shipping of India and of Sri Lanka to start the ferry service. The proposals for initiation of ferry service between Colombo and Cochin and Tuticorin and Colombo have been examined and apart from seeking the comments of the Governments of Kerala and Tamil Nadu in this particular matter, Cochin Port Trust has been requested to inform the Ministry specially about the security of the service. In the meantime, I would tell the hon. Member that a proposal has been floated that an inter-Ministerial Group with representatives from MHA, IB, Customs and the Ministry of Shipping may evaluate the existing security arrangements in place in Tuticorin and Cochin Ports.

SHRI S. SEMMALAI : Madam Speaker, may I request the hon. Minister to explain the objectives of the Cruise Shipping Policy? Further, how many cruise ships and passengers arrived in India since 2003 and 2004?

SHRI G.K. VASAN: Madam, the objectives of the Cruise Shipping Policy are to develop India as a destination as well as source market with state of the art infrastructure and appropriate marketing strategy. This is to improve the number of cruise ships and passenger arrivals in a substantial manner and also to strengthen the inter-sectoral linkages whereby cruise liners source the requisite supply of goods and service from local Indian suppliers. Regarding the number which the hon. Member wants, in 2003-04, there were 55 ships and 34,372 members were there. In 2008-09, it has now increased to 106 ships with 69,456 cruise passengers.

SHRI M.I. SHANAVAS : Madam, through you, I would like to put a question to the hon. Minister. Cochin is one of the most sought after tourist destinations of the

country. How many cruise ships have visited Cochin port in Kerala and what are the steps taken to augment the capacity of handling cruise ships at Cochin port?

SHRI G.K. VASAN: Madam, the number of cruise ships which visited Cochin port has gone up from 18 in 2003 to 36 in 2009, and the number of passengers rose from 17,671 to 38,510. I would like to inform the august House that the Cochin Port Trust is also planning to start a cruise terminal shortly. Meanwhile, with effect from December 1, 2009 M/s. Louis Cruise have started operations in the Cochin-Colombo and Cochin-Maldives sectors. For the construction of cruise terminal at Cochin Port Trust, some assistance has been received from the Ministry of Tourism also.

MADAM SPEAKER: Q. 246 - Shri Sarvey Satyanarayana. – Not Present.

Q.- 247 - Shri P. Karunakaran

(Q. No. 247)

SHRI P. KARUNAKARAN : Madam, in the answer given by the hon. Minister, the rural tele-density in the country is 18.97 per cent and the urban tele-density is 101.38 per cent. When we go through the State-wise records, the position is still bad. In the rural areas it is the BSNL which undertakes almost all the works. However, as stated by another hon. Member, those facilities are used by private companies also, as the Government has allowed it. Has the Government taken any initiative to make the private companies contribute in some way to improve the infrastructural facilities in the rural areas?

SHRI SACHIN PILOT: Madam Speaker, as has already been stated, there is disparity in the tele-density in the rural areas versus the tele-density in the urban areas. However, I would like to point out that in the year 2006 the rural tele-density in India was 1.8 per cent and in 2009 it is almost 19 per cent (as on 30.09.09). So, we have made some substantial gains in the last three years in terms of rural tele-density. The stated objective of the Government is to have 40 per cent rural tele-density by 2014. That objective we are certainly going to achieve, hopefully before time.

It is a fact that Government undertakings such as BSNL are doing a lot of work in rural areas. However, I would like to point out that while in the last financial year about 131 million mobile connections were issued, 48 million of them were from rural areas. So, as the market is growing, even private operators are looking for newer areas and in this way expanding their networks to the rural parts of India. Before long we will have a very healthy rate of tele-density even in the rural areas.

SHRI P. KARUNAKARAN : While I admit that there is some increase in the rural tele-density, there is a lack of infrastructural facilities in the rural areas such as lack of mobile towers and other equipment. It is said by the BSNL personnel themselves that they are not getting the due importance when these works are undertaken. Would the Government give due importance and give more funds to

provide infrastructural facilities, material for construction of towers, and other equipment in the rural areas?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI A. RAJA): Madam, as I have already shared in the Parliament, the NTP 99 set out a goal that before 2010 we have to achieve the target of 500 million telephone connections in the country. Under the vision that has been laid out in the NTP 99, well before 2010, in fact in September 09 we have crossed the 500 million telephone connections mark. So, that ambitious target which has been pursued by the successive Governments has been fulfilled much earlier. However, the fact still remains that the rural tele-connectivity must be increased. To be frank, money is not a problem at all. Under the USO Fund, we have Rs.10411.28 crore as on 31.03.09 on our hand. The tenders are being floated. The real constraint is, I used to write to all the Chief Ministers also in this regard, the power and the identification of sites in forest and difficult areas. Electricity is the very big problem in this country when we try to pick up towers in the rural areas. Funds are there. I used to write to the Chief Ministers to find out some ways as to how to erect the towers.

In the first question also, some queries were made in this regard. There are a lot of towers in one village. For the first time, this Government took a decision to the effect that instead of four or five towers in the rural areas or semi-urban areas, a single tower can be shared by the three or four operators and *vice-versa,* all the operators can share it with the new operators also. Fortunately, this Government brought new competition also. Tariff is coming down. I promise in this House and the other House also that the Government is committed to bring down the tariff to 25 paise per minute for the all-India call. I am told that subject to correction one of the operators announced 29 paise per minute for the all-India call.

These are the happenings in this sector because of the efforts that have been taken since the introduction of NTP in 1999 Hence, the substantial growth

cannot be ignored. In spite of that, the Government is deeply concerned as to how the rural tele-density can be promoted further.

MADAM SPEAKER: Shri Jagadanand Singh – not present.

डॉ. राजन सुशान्त : अध्यक्ष महोदया, जो सूचना दी गई है, यहां उसके अनुसार टेलीफोन घनत्व बताया गया है। मुझे खुशी है कि इसमें हिमाचल प्रदेश नंबर एक पर है, 40 परसेंट है इसके बाद केरल और पंजाब का नंबर आता है। लेकिन एक पहलू चिंताजनक है क्योंकि बिहार में घनत्व बहुत कम है जो 7.49 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में 8.61 प्रतिशत और असम में 9.36 प्रतिशत है। यह नेशनल घनत्व 15.11 से बहुत पीछे है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार, मध्य प्रदेश, असम में इतना कम घनत्व होने के क्या कारण हैं? इन पिछड़े राज्यों को अन्य राज्यों के बराबर कब तक कर दिया जाएगा?

श्री सचिन पायलट: महोदया, माननीय सदस्य ने जो बिंदु उठाया है, यह बिल्कुल सही है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी रूरले टेली डेन्सिटी देश की औसत से पीछे है। इस संबंध में हमारी कोशिश है कि मंत्रालय के माध्यम से, यूएसओ फंड के माध्यम से जितनी ज्यादा सब्सिडी दे सकें, देते हैं। लेकिन बेसिकली मुद्दा, जिसके बारे में पहले बताया गया है कि इन राज्यों में कहीं न कहीं आबादी फैली हुई है जिसके कारण ऊर्जा के स्रोत ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा, आने-जाने की सुविधा नहीं होगी तब तक मोबाइल टावर नहीं बन पाएंगे। जब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी। जैसा कि पहले बताया गया है कि यूपीए सरकार प्रतिबद्ध है, मैं दोबारा अपनी बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का दूरसंचार पर उतना ही अधिकार है जितना शहरी क्षेत्र के लोगों का है। हम चाहते हैं कि इस देश के सारे गांवों, 6,38,365 गांवों में मोबाइल और टेलीफोन की अच्छी व्यवस्था बनाएं और हम जल्द बनाएंगे।

SHRI ADHIR CHOWDHURY : The dream of our late leader, Rajiv Gandhi, has been materializing in our country. Now, the mobile has become a mass symbol instead of a class symbol. I seek a little indulgence from you to deviate from the core question. Actually, information technology has been undertaken as a revolution in our country.

MADAM SPEAKER: Please ask the question. Please do not deviate.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I would like to ask the hon. Minister as to what is the present Internet population of our country. Which State is having the highest concentration of Internet population in our country?

SHRI SACHIN PILOT: Even though the question does not relate to the question asked by the hon. Member, but because you have allowed his indulgence, I would also try and attempt to answer the question. It is a fact that the Internet penetration is not as much as we like it to be. In fact, India is a known IT superpower and we are in the front ranking nations for IT export and software. However, because of the high cost of the computers and the infrastructure, the rural penetration and even in the urban areas, the penetration of Internet is not happening as fast as we would like to.

But, I think, in the coming days, we would see vast expansion of this because of the broadband services because when landline in phones were not workable, the mobile phones came and created a revolution. Similarly, the broadband services when launched massively all over India, increased the Internet penetration. The hon. President in her speech to both Houses of Parliament, has already committed that in the next three years, every single Panchayat of this country would be connected with broadband.

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज माननीय मंत्री जी ने कई प्रश्नों के बड़े भीषण जवाब दिये हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी में खासकर ऊगापुर, बेती प्रतापगढ़ में बीएसएनएल के मोबाइल टावर्स जिले से प्रस्तावित होकर भारत सरकार में लम्बित हैं। यहां बहुत सी चर्चाएं हुई हैं। लेकिन वे टावर्स अभी तक नहीं लग पा रहे हैं और जहां लगे भी हैं, वहां वे एक साल से खड़े हैं, लेकिन चालू नहीं हो पा रहे हैं। जैसा आपने अभी कहा कि बिजली की बड़ी समस्या है। हालांकि आपने जनरेटर्स भी उपलब्ध कराये हैं। लेकिन कहीं-कहीं पर अगर मान लीजिए कि जनरेटर गड़बड़ हो गया तो वहां तेल बेचने आदि की बात मैं नहीं कहता, लेकिन जहां आपका जनरेटर गड़बड़ हो गया तो फिर वहां अन्य कोई विकल्प नहीं है। वहां न बिजली है और न आपका जनरेटर है। इसके कारण वहां नैटवर्क बहुत वीक है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं और जो प्रस्तावित नये टावर्स हैं, उन्हें कब तक लगा रहे हैं?

श्री सचिन पायलट : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने खासकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में मुझे जानकारी दी है। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे, क्योंकि राज्य में जो टावर्स लगने हैं, उनका निर्णय

राज्य स्तर के पीएसयू हैड्स लेते हैं। ये दिल्ली के अधीन नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आप मुझे अलग से लिखकर दे दीजिएगा, हम कार्रवाई करायेंगे।

दूसरी बात आपने कही कि जहां जनरेटर्स के माध्यम से मोबाइल टावर्स चलते हैं, जहां बिजली नहीं आती है। यह बात सच है, उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। वहां बिजली का उत्पादन बहुत कम है और पिछले कुछ सालों से इसमें इजाफा भी नहीं हुआ है। इसलिए वहां उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए शायद बिजली पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि न सिर्फ इनका क्षेत्र, बल्कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मे जहां-जहां भी कमी होगी, उसे केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी मानकर इस संचार क्रांति को पूरा करेगी।

(Q. No. 248)

SHRI PONNAM PRABHAKAR: I would like to know from the hon. Minister, through you, Madam, whether the STPI Units have come out of the recession period, and if so, the details thereof, for the present year, especially in Andhra Pradesh.

SHRI SACHIN PILOT: The hon. Member's question relates to whether the recession has affected the STPI and the IT industry in general. While it is a fact that most of our exports were going to countries like North America and Europe where there was a huge recession, and our growth rates in the previous years were close to 30 per cent, but I am happy to inform the House that despite the global slow down or recession in European markets, which dominates most of our exports bouquet, we have been able to have a growth rate of almost 13-14 per cent. We made substantial gains; the industry is looking very buoyant and the major IT companies have also started hiring on a very larges scale, which is a very positive indication. I am also happy to inform the House that the State of Andhra Pradesh, while in 2006, the STPI had exports worth Rs.12,500 crore, in 2009, it rose to Rs. 31,000 crore. For a pan-India figure, in 2006, we had, through the STPI, almost Rs.1 lakh crore worth of exports, which had increased to Rs.2,07,000 crore in 2009.

SHRI PONNAM PRABHAKAR : I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any proposal to change the parameters or guidelines to set up and expand the STPI in the 11th Five Year Plan; if so, the details thereof and if not, by when the proposals will be considered.

SHRI SACHIN PILOT: STPI is set up as a society under the Ministry. As of now, we have 51 STPIs already functioning, and there are 13 STPIs which have been approved. If any other State Governments wants to establish any of these Parks, the Central Government will be very happy to participate and collaborate with that.

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI HARISH RAWAT): On behalf of Shri Mallikarjun Kharge, I beg to lay on the Table a copy of the Beedi Workers Welfare Fund (Amendment) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 629(E) published in Gazette of India dated the 1st September, 2009 under sub-section (4) of Section 12 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976.

(Placed in Library, See No. LT-1045/15/09)

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI G.K. VASAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Ennore Port Limited, Chennai, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Ennore Port Limited, Chennai, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT-1046/15/09)

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ANAND SHARMA): On behalf of Shri Jyotiraditya Madhavrao Scindia, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT-1047/15/09)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Promotion Council for EOUs and SEZ Units, New Delhi, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Promotion Council for EOUs and SEZ Units, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT-1048/15/09)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT-1049/15/09)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT-1050/15/09)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT-1051/15/09)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT-1052/15/09)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Plastics Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Plastics Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT-1053/15/09)

(8) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Statement regarding Review by the Government of the working of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT-1054/15/09)

(9) A copy each of the following Notifications(Hindi and English versions) issued under Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986:-

(i) The Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings (Quality Control) Order, 2009 published in Notification No. S.O. 2749(E) in Gazette of India dated the 30th October, 2009.

(ii) S.O. 2681(E) published in Gazette of India dated the 23rd October, 2009 containing order rescinding the Notification No. S.O. 1544(E) dated 25th June, 2009.

(Placed in Library, See No. LT-1055/15/09)

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005:-

(i) The Special Economic Zones (Third Amendment) Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 562(E) in Gazette of India dated the 3rd August, 2009 together with an explanatory note and a Statement of Objects and Reasons.

(i) The Special Economic Zone Authority Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 811(E) in Gazette of India dated the 11th November, 2009 together with an explanatory note and a Statement of Objects and Reasons.

(Placed in Library, See No. LT-1056/15/09)

(11) A copy of the Notification No. S.O. 2320(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st October, 2008, appointing the 1st day of October, 2008 as the date on which Sections 31 to 41 (both inclusive) of the Special Economic Zones Act, 2005 shall come into force issued under Section 1 of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT-1057/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Mazagon Dock Limited, Mumbai, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Mazagon Dock Limited, Mumbai, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT-1058/15/09)

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT-1059/15/09)

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT-1060/15/09)

(d) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Goa Shipyard Limited, Vasco-da-gama, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Goa Shipyard Limited, Vasco-da-gama, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT-1061/15/09)

(2) A copy of the Annual Administration Reports (Hindi and English versions) of the Cantonment Boards for the year 2008-2009, along with Annual Consolidated Accounts.

(Placed in Library, See No. LT-1062/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI GURUDAS KAMAT): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT-1063/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI HARISH RAWAT): I beg to lay on the Table a copy of the Payment of Wages (Nomination) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 822(E) in Gazette of India dated the 13th November, 2009 under sub-section (6) of Section 26 of the Payment Wages Act, 1936.

(Placed in Library, See No. LT-1064/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI MUKUL ROY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Cochin Shipyard Limited, Kochi, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Cochin Shipyard Limited, Kochi, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT-1065/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SACHIN PILOT): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the National Informatics Centre Services Incorporated, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the National Informatics Centre Services Incorporated, New Delhi, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT-1066/15/09)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the ERNET India, New Delhi, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the ERNET India, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT-1067/15/09)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Materials for Electronics Technology (C-MET), Pune, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Materials for Electronics Technology (C-MET), Pune, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT-1068/15/09)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Pune, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Pune, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT-1069/15/09)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the DOEACC Society, New Delhi, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the DOEACC Society, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT-1070/15/09)

12.02 hrs

MOTION RE: EIGHTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move:

> "That this House do agree with the Eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 4th December, 2009."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 4th December, 2009."

- *The motion was adopted.*

12.03 hrs.

JHARKHAND CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) BILL, 2009*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001."

The motion was adopted.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I introduce** the Bill.

*** Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 7.12.2009.**

**** Introduced with the recommendation of the President.**

12.03 ½ hrs.

STATEMENT RE: JHARKHAND CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ORDINANCE (No.7 of 2009)*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by the Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2009 (No. 7 of 2009).

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT-1072/15/09)

12.04 hrs

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising of Government's move to merge various Public Sector Banks resulting in discontent amongst bank employees and steps taken by the Government in this regard.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, I call the attention of the Minister of Finance to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "The situation arising out of Government's move to merge various Public Sector Banks resulting in discontent amongst the bank employees and steps taken by the Government in this regard."

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): The current policy of the Government on consolidation leaves the initiative for consolidation to come from the management of the banks themselves with Government playing a supportive role as the common shareholder. No directive on consolidation is being issued by the Government and RBI. The Boards of Banks thus have to take a decision in this regard based on the synergy levels of merging / consolidating entities.

Broadly, the employees, the owners or shareholders and the customers constitute stakeholders of the banks. While examining any merger proposal, Government will keep in view the interests of the stakeholders, including the employees of the merging banks.

i) The customers of the merging banks continue to be the customers of the residual entity on the same footing as they were with the merging entities. Besides, the customers get better banking services with larger geographical coverage of branch / ATM / office network, improved systems and procedures, technological advantage and cross-cultural human resource and banking services.

(ii) The shareholders of the merging banks are allotted shares in accordance with the shares swap-ratio arrived at by valuation of such banks in compliance with the extant RBI / SEBI guidelines. Further, a grievances redressal mechanism is also put in place, in accordance with the provisions of the scheme of amalgamation, to provide an opportunity to the minority shareholders of the merging entities.

(iii) Suitable clauses are incorporated in the scheme of amalgamation / acquisition so that the pay and allowances or the compensation to the employees of merging entities are not altered to their disadvantage.

The existing provisions of the State Bank of India Act, 1955 and the Banking Companies (Acquisition & Transfer of the Undertakings) Act, 1970/80 provide a comprehensive legal framework for merger among the public sector banks.

Section 9(2)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/80 provides legal framework for reconstitution of any (corresponding new bank) nationalised bank, amalgamation of any nationalised bank with any other nationalised bank or with another banking institution, etc. The provisions of Section 9(6) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1970/80 requires that the scheme relating to any reconstitution or merger of a nationalised bank is to be laid before both the House of Parliament.

Section 35 of the State Bank of India Act, 1955 provides the legal framework for acquisition of a banking institution, including a public sector bank, by SBI. Though the provisions of the State Bank of India Act, 1955, do not expressly so require, the Scheme of acquisition of the State Bank of Saurashtra by the State Bank of India was laid before both Houses of the Parliament.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, what for the Calling Attention was sought? The Calling Attention was whether the Government has taken any move to merge the public sector banks. The precise point was: "Situation arising out of Government's move to merge various public sector banks". This is the prime question. The hon. Minister has said that the Government has a supportive role but what is the Government's policy? Has the Government taken any initiative directly or indirectly asking the public sector banks to take to the path of merger and acquisition? On that the hon. Minister is evasive. He does not take care of the points that we have raised in the Calling Attention as to whether there has been a move on the part of the Government to bring about a merger.

Secondly, he has said that the Government will take care of the interests of the stakeholders, including the employees. That is also not the issue. Discontent among the public sector employees is not because their interest is going to be harmed. Discontent is there because there is a qualitative change in the policy of the Government.

The hon. Minister has been very generous because he is a very senior person. He is generous that although law does not require but the Government has generously placed the scheme or the decision of the acquisition of the State Bank of Saurashtra by the State Bank of India on the Table of both the Houses. He has indirectly spoken up generosity but my question Madam Speaker is whether the acquisition or merger has been a policy of the Government, overt or covert. Let the Government state that it is its policy or it is not its policy. Let the Government not avoid this issue. It is a prime question as to whether acquisition and merger is the policy of the Government and whether the banks have been indirectly told to go ahead, the Government is not going to take care of it but it will give the permission. Therefore, the basic question arises whether the merger of the public sector banks is in the interest of economy. We would like to raise this question.

It is all right when you say that the stakeholders' rights, voting right will be protected and employees will be taken care of but what about the nation having 110 crore people. Shrimati Indira Gandhi did it with the specific intention of improving the availability of credit to the marginalised section. We have our problem of poverty. Whatever might be the statistics, we have the problem of poverty and unemployment. We have the problem of marginalised people not getting credit from the banks so easily. We met the hon. Minister only on Friday. There was a demonstration of the women and they complained to him that the self-employed women in the country, who do not have any piece of land – you may be well aware of Madam that generally land is not registered in the name of a lady – even for Rs.10,000 advance they are being asked for a security. Therefore, the question is whether this step of he Government of acquisition and merger is really going to help the country economically and socially.

Let me quote not Left but the Chairman of a private bank. He says:

> "In the global context there is a complete disarray in the banking space. (Kindly note the words 'complete disarray in the banking space') It would not have been appropriate for the Government of India to take a decision at this point as there is no equilibrium in the global market. Should we do

> anything domestically which is not justified taking into consideration the lack of equilibrium and disarray in the financial sector and banking sector? "

It is not my statement. The gentleman further says:

> "Indeed the conservatism of Indian banking system and regulatory framework that has prevailed - which means what we had – was beneficial for the country. It is one of the points since the banking system was nationalized therefore, we did not feel the blow of American melt down."

Everybody accepts it. I do not claim that we only fought for nationalisation. The country fought for it but because it was nationalized the melt down did not hit the Indian financial market. That is what he is saying. We had a regulatory framework and he is speaking of that. He is saying further:

> "We all have a well-run banking system and a well-run financial system. I think, at this point of time we shall keep it un-disturbed."

Whose statement is this? He is the Chairman of the biggest private sector bank, the ICICI Bank, Shri Kamat. He has got the argument of the communists. Even the private sector believes that the present system should be maintained and should be left un-disturbed.

Going further, Shri Raghuraman Ranjan, Honorary Economic Adviser to the Prime Minister has said:

> "I am not persuaded that it is a good thing to have more consolidation – means merger. The difficulties associated with bank mergers are often under-estimated."

He is again close to the Government and Government is also close to private sector. They have the apprehension and not me.

Thirdly, even a Deputy Governor of Reserve Bank of India, Mr. Chakraborty did not approve of the merger. Therefore, the question is, why are the people who are close to the Government opposing the move? It means there is a disagreement in the country and not among the politicians. I am not raising it because my Unions are opposed to it. I am not speaking for the unions, although it is a fact, let the Parliament know, that all the

trade Unions including INTUC, including Bharatiya Mazdoor Sangh have opposed the murder. Yes, it is a murder of the banking system. I correct it as merger.

Madam, let me give you the singular example how the Government is doing something which is not justified economically. The Government is out to take over the State Bank of Indore. What are the parameters of performance between the State Bank of Indore and the State Bank of India? The business per employee for the State Bank of India – Rs.5.56 crore and for State Bank of Indore – Rs.7.01 crore. They are doing more business. Why do you want to merge them? Why do you want to liquidate them? Advance per employee, the State Bank of India – Rs.2.63 crore and the State of Bank of Indore – Rs. 3.43 crore; deposits per employee, State Bank of India is Rs.3.40 crore and State Bank of Indore – Rs.4.50 crore. On all parameters, not one but on all parameters, the State Bank of Indore is doing better than the State Bank of India. On the question of priority sector loan, the State Bank has done less than what the Government wanted it to do. We had raised this question on many occasions. Around 26 per cent of the total advance is for the priority sector. It is not inconsonance with the Government directive. The State Bank of Indore had advanced 34 per cent of its total advance to priority sector. Then why are you going to merge and liquidate that bank? What is the economic reason? Why do you not allow them to function?

Now, a question arises whether India is over-banked and therefore there should be merger or India is under-banked. India has a population of more than 100 crore.

MADAM SPEAKER: Please conclude. Please ask your clarificatory question and conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, it is a very important economic issue.

MADAM SPEAKER: Yes, I know.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I cannot just lash out at the Minister and say that you are doing wrong. I have to build up my case. Please allow me.

MADAM SPEAKER: You try to conclude early.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : India is not over-banked. It is under-banked. Now 110 crore is the population. How many banks are we having? We are having 61 banks and of them, public sector banks are 26. Take for example America. We always look after America to make a point. There is nothing wrong. America has a population of 35 crore.

How many banks do they have? They have 300 banks. Therefore, India is under-banked. India is not over-banked. Then why are you going to close some banks and bring about merger in the name of consolidation and in the name of level playing ground globally. The number of un-banked villages, means the villages which do not have banks, out of six lakh villages, 5.5 lakh villages do not have any banks. 41 per cent of the people have no bank accounts. 4.6 crore farmers do not have access to credit. Therefore, we need more banks. But instead the Government is resorting to a policy of reducing the number of banks. Why is the Government closing down the Regional banks? They have their own role in the economic development of the country. The State Bank of Indore did its job in Madhya Pradesh and the Chief Minister of the State has opposed this murder … (*Interruptions*) I mean, has opposed this merger… (*Interruptions*) Sir, you are going to murder the banking system and that is why I am provoked!… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You may please conclude now.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Murder has become their philosophy now… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I feel hurt by this statement. Murder has never been my philosophy… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Not yours but… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : You are not doing any generosity by listening to me… (*Interruptions*) Nobody is doing any generosity by listening to me… (*Interruptions*) It is the same old and obsolete story… (*Interruptions*) I beg of him that he is here for the first time and he should know the parliamentary ethics… (*Interruptions*) I am here for the last 25 years… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, Shri Dasgupta's niece is also listening to him attentively… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, the Chief Minister of Madhya Pradesh has opposed it and the Chief Minister of Kerala also has opposed the merger of the State Bank of Travancore. In a federal system, is it not necessary or important for the Government at the Centre to listen to the voice of the States? I leave it to their judgment. The Chief Ministers of both the States have opposed it. They do not belong to the same political spectrum. When economic reforms were initiated in the year 1992 by Dr.

Manmohan Singh, I still remember very vividly his speech; it still rings in my ears. He said it was liberalization for competition; it was liberalization against monopoly.

MADAM SPEAKER: You may please conclude now. You ask your questions.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Madam, I am coming to the questions. Will the merger lead to competition? Or, will the merger lead to less competition? Why is the Government going back from their own philosophy of liberalized economic policy having more competition? I am talking of competition amongst banks. Consolidation and merger means monopoly; monopoly means anti-people; monopoly means manipulating market. Government without declaring that is going in that direction.

MADAM SPEAKER: You have made your point. Now please conclude. You please ask your questions.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Merger means less banks; merger means less branches. We are having 80,000 branches in the country today and with merger a number of the branches will be closed. Merger means less access to credit. Merger means more displacement of labour. Merger is more or less monopoly banking; pro-corporate banking and not in the interest of common people.

Madam, lastly, it is being said that banks are going to be merged to have a level playing field globally. It is a misnomer. How? All the nationalized banks together in India have a capital of three billion American Dollars and the leading banks of America together is having a capital of sixty billion American Dollars. A level playing field between a pigmy and a giant is not possible. Therefore the question is, whether it is for the welfare of people; is it corporate interest; whether it is profit; or, whether it is the interest of common people? If it is for more profit to be generated by the corporate sector to take advantage of the consolidated system, then let the Government go ahead. If it is for the people, then you have to restrain yourself. Therefore, my first question is, whether the Government has taken any initiative to promote consolidation and merger or Government has not taken a policy on it. It cannot be left to the banks. What is the Government's policy on this issue? Secondly, I want to know whether consolidation will lead to monopoly and whether this will result in manipulating the market. Thirdly, it is not the question whether the present employees will be protected or not. It is the question that job opportunities will be less. If there are less banks, there will be less branches and

less employment opportunities. Therefore, I wish the hon. Minister comes clean on the issue of the policy of merger.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, मैं एक क्वैश्चन करना चाहता हूं। मैंने भी नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदया : इसका नियम नहीं है। यह डिबेट नहीं हो रही है।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैंने क्वैश्चन दिया था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam Speaker, let me clarify one point. This is not a debate on the banking policy or on the overall economic policy. When a Calling Attention notice is given, the Member expects a brief statement from the hon. Minister and on the basis of that statement, clarifications are being sought. It is not the occasion to expound one's philosophy, economic or political or whatever it may be, as far as my knowledge of the Calling Attention is concerned and as I have seen for the last forty years.

I have stated very clearly at the beginning of the Statement that the Government has not taken any initiative in this regard. The Government has not issued any directive and the Reserve Bank has not issued any directive. In the first part of the Statement itself, I have stated:

> "The current policy of the Government on consolidation leaves the initiative for consolidation to come from the management of the banks themselves with Government playing a supportive role as the common shareholder. No directive on consolidation is being issued by the Government and RBI."

Therefore, where is the question of no policy in the Government? The policy of the Government is, if two banks decide and if their Boards of Management decide that they will merge and amalgamate, and then there are certain criteria to be fulfilled. If those criteria are being met, then Government supports it and gives its approval, and the Reserve Bank gives it approval. This is the spirit of the economic policy in which we do not interfere. You have mixed the whole thing regarding monopoly. As I understand, the

Communist philosophy is to have the State monopoly. Now even if the State Bank of India wants to acquire its subsidiary bank, you are accusing of monopoly.

Now, how were these subsidiary banks in the Princely States built up? It was not out of public movement. All these seven subsidiaries of the State Bank located in the Princely States at some point of time served the interests of the ruling clique and, after the merger of the Princely States with the main part of the country, and when the State Bank was taken over from the Imperial Bank by the Government of India by an Act of Parliament in 1955, they also became the subsidiaries of the State Bank in 1959. Do not distort history. It has nothing to do with the people's movement or people's interests. It is not like Punjab and Sind Bank where the Sikhs built up and it has its own ethnic character. But do not mix it up with the State Bank subsidiaries which are substantially located in different parts of the country, whether it was Travancore - Cochin, whether it was Indore or whether it was Saurashtra.

Therefore, these issues, to my mind, are not relevant and are not directly related. You may have your own philosophy. Your philosophy is that banks should not be merged.. You are entitled to have your own philosophy. But the policy of the Government is quite clear. We do not force somebody to merge. If somebody decides to merge as per the parameters laid down by the Government and the Reserve Bank of India, we allow them to merge. If we find that these mergers are perfectly in conformity with the policies of the Government and with the guidelines of the SEBI and the Reserve Bank of India, we allow them to merge. It is a continuing process.

The CPI was the participant in the Government from 1996 to 1998, before the NDA came to power. The CPI was the participant in the United Front Government. How many mergers took place in those days? Two mergers took place on 8th April, 1997 and one merger took place on 1st January, 1996. It had happened before nationalisation of banks also. Before nationalisation of banks, that is before 21st July, 1969 – which was the day of nationalisation – out of 79, 46 banks were merged. After nationalisation, till date, 33 mergers have taken place among the private sector and public sector banks, among the subsidiaries of one public sector bank with the main bank, and between two public sector banks.

Therefore, it is a continuous process. It had taken place earlier also. It has taken place in every regime because the policies of every Government are more or less the same. If the entities consider, in the larger interests of the economy, to merge, and if they think that it is necessary to have a merger, we allow that provided the merger protects of the interests of all stakeholders. Shareholders have to be protected. Of course, in public sector banks, substantial shareholding is with the Government. Employees' interests and clients' interests have to be protected. After all, the banks' responsibility is to look after the interests of the clients and customers because customers feed the banks.

I am ready to have a discussion. I am ready to share the information regarding the number of bank branches that are being established everyday; regarding the number of un-banked villages that are being brought within the banking network, and regarding the number of ATMs that are being opened everyday. But this is not the occasion to do it. Who does not know about the three important points of credit disbursement, deposit mobilisation, and branch expansion?

After nationalisation, the banking system of India has undergone a major change. It is true that we have not been able to bring the entire un-banked area within the banking network. But efforts are being made towards that. At the appropriate occasion, I will share those information.

The basic question on which the hon. Member dwelt upon was, whether the Government is taking the initiative for the merger and consolidation. My answer to that is simple "No." The initiative has to be taken by the entities themselves. If the entities take the initiative, and if these amalgamations or mergers take place as per the parameters laid down by the Reserve Bank of India and the SEBI, then the Government gives the permission. Basically, as a trade unionist, Shri Gurudas Dasgupta, must protect the interests of the employees. We should see that the interests of the customers are not affected.

He made a comparison between two non-comparable things. The State Bank is a giant. You cannot compare the *per capita* performance of an organisation having 1,000 employees with an organisation having a dozen employees. It cannot be a comparison. The *per-capita* performance-wise comparison is not possible between big organizations and small organizations, as the *per-capita* consumption of a developing country cannot

be compared with that of a small, developed country. This is non-comparable. These are the simple rules of the arithemetic. Therefore, it is not possible to make that yardstick.

I am happy that the State Bank of Bikaner and Jaipur, the State Bank of Travancore and Cochin, and the State Bank of Saurashtra are all subsidiaries. The State Bank of Bikaner and Jaipur is doing a good job. The public sector banks are doing a good job whether it is a big bank or it is a small bank and we are encouraging them to do better. That is why we are giving them the managerial, operational autonomy- `you decide; I am not giving you any directions'.

But at your instance, I am sorry, I will not be able to give directive that `do not merge or do not amalgamate'. If they feel that it is in the interest of their operations, in the banks interest, in the interest of the overall economy, whether merger and amalgamations are needed or not – let us leave these matters to the individual entities. I am holding them accountable to be for their overall performance, but in the day-to-day administration, in the normal commercial decision, I do feel that the Government should not interfere. Madam Speaker, I can assure the hon. House that I have no such intention of interfering in their normal functional and commercial activities.

(Placed in Library, See No. LT 1071/15/09)

MADAM SPEAKER: Now, the House will take up `Zero Hour' matters.

Shri Anto Antony.

… (*Interruptions*)

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): Madam Speaker, I have given a notice to raise a very important matter. … (*Interruptions*) It is a very important matter. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Madam Speaker, I would like to take this opportunity to address a serious issue faced by the non-resident Indians regarding their voting rights. It is a pity that Indian democracy has turned a Nelson's eye to the reasonable democratic rights of NRIs for voting rights.

As per 2001 census, the number of NRIs who earn foreign exchange is 39 lakhs. It is estimated that their number reached 50 lakhs now. Among them 21 lakhs are Keralities. According to a study conducted in 2006, there exists at least one bread-winner abroad in 15.8 per cent families in Kerala. Naturally, the issues related to NRIs become a significant political and economic issue in Kerala.

Despite their contribution, the overseas Indians are denied voting rights. The Representation of People Act, 1950 says that `a citizen, to avail voting rights, should be an ordinary resident in his constituency (Section 19).' Section 20 further defines `ordinary resident'. Accordingly, a citizen shall not be entitled to vote just because he has a residence. It is based on this clause that the NRIs are continuously denied voting rights because this section disqualifies a non-resident Indian (NRI) from getting his/her name registered in the electoral rolls.

It would be better to insist for the passport and the permanent address in India shown in the passport as the condition to identify the constituency where the person concerned could get himself enrolled in the voter's list. It consequently prevents a non-resident Indian from casting his/her vote in elections to the Parliament and to the State Legislatures. Interestingly, Section 20 also stipulates that voting rights shall not be denied to a person who temporarily vacates his

residence; a patient, who undergoes treatment in mental asylum; or prisoners who are undergoing imprisonment, etc.

This Section, in fact, emphasizes the truth that an NRI shall not even be treated at par with a prisoner. This is against all cannons of political propriety and democratic principles, for they are denied the basic right to participate in the democratic process of the nation.

However, efforts were taken in 2007 by introducing an amendment in the Representation of People Act. The Amendment Bill was presented in the Parliament on 17th February, 2006. Subsequently, it was referred to the Standing Committee. Despite positive response from the concerned Standing Committee, the legislative inertness keeps the Bill still in limbo.

Section 20 of the Representation of People Act, 1950, disqualifies a Non-Resident Indian (NRI) from getting his/her name registered in the electoral rolls. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please conclude.

SHRI ANTO ANTONY : Madam, I am going to conclude.

The Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, which presented its Report to the Rajya Sa and the Lok Sabha on the 4th of August, 2006 has agreed with the letter and spirit of the amendment.

Globalization has made the entire world a village. Countries all over the world have acknowledged the great mobility of their citizens to other parts of the world, their economic contributions to the motherland.

In the process the nations have gone to the extent of protecting their social, economic, cultural and political rights. They have also accorded voting rights.

Indians living abroad are taking keen interest in the affairs of the country. They are participating in the nation-building through various methods and are also helping in mobilization of the resources for the country. These issues could be sorted out by including voting rights in the multi-purpose National Identity Card. This will enable them to cast their voting rights as well. As the card does biometric mapping too, the question of bogus voting could also be adequately addressed. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: It is very lengthy. Please conclude. You have already taken more than five minutes. Please conclude.

SHRI ANTO ANTONY : Therefore, Madam, I would request you to get rid of this legislative inertness and accord voting rights to the NRIs. This will also enable them to keep abreast of the issues in India, participate in the nation-building process, contribute to the economic growth of the nation and strengthen the bond of solidarity with their motherland, India.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): मैडम, मैं स्वयं को एंटनी जी की स्पीच से सम्बद्ध करता हूं।

MADAM SPEAKER: Shri P.G. Thomas, Shri N. Peethambara Kurup, Shri Charles Dias, Shri Madhu Goud Yaskhi, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri M.B. Rajesh, Shri P.K. Biju, Shri Jayant Chaudhary, Shri K.C. Venugopal are allowed to associate on this issue.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): मैडम, मैं अण्डमान-निकोबार की सुनामी के बारे में बात करना चाहता हूं। सुनामी के पश्चात वहां आप भी गए थे, माननीय सुषमा जी, आडवाणी जी, कलाम साहब वहां गए थे, भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री भी गए थे। पांच साल के बाद अण्डमान-निकोबार की हालत के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं जिससे उस पर कार्रवाई हो।

हमारे द्वीप के जो किसान हैं किसी के पास चार बीघा, पांच बीघा, आठ बीघा जमीन है। सुनामी के पश्चात अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में धान की खेती डूबी है 3,950 हेक्टेअर, नारियल-सुपारी का बगीचा डूब चुका है 660 हेक्टेअर। यह रिपोर्ट एम.एस. स्वामीनाथन साहब द्वारा दी गयी है। इसके अलावा जिन लोगों ने अपना पैसा जमा करके हाउससाइड जमीन खरीदी थी, ऐसी 5,000 हाउससाइड डूब चुकी हैं। कुल डूब चुकी जमीन का परिमाण 10,710 हेक्टेअर है। इसके साथ ही, जो लोगों की मुर्गी, बकरी, गाय, भैंसों का नुकसान हुआ था, उनकी कुल संख्या 1,57,000 है। इसका सरकार द्वारा एसेसमेंट हुआ था और इसके लिए 25 करोड़ रूपए सैंक्शन भी हुए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि तमिलनाडु सरकार ने जिसकी गाय, बकरी, भैंसें मारी गयी, उनको रूपए दिया गया और अण्डमान में दो करोड़ रूपया दिया गया। निकोबार द्वीप के लिए 50 प्रतिशत उनको पेमेंट दिया, 50 प्रतिशत अभी बाकी है। अण्डमान जिले में जिन लोगों की गाय, भैंस, बकरी मारी गयी, उनको आज तक रूपए नहीं दिए गए और पांच साल बाद सरकार बोल रही है कि आपको रूपए मिलेंगे, उसको दस साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करेंगे। पांच-दस साल बाद आप अपने नुकसान का पैसा फिक्स डिपॉजिट से लेना। यह स्थिति है खासकर गाय, भैंस, बकरी और जमीन के बारे में। कुछ लोगों को जो कंपेनसेशन देना था, आज तक नहीं दिया गया है। परमानेंट शेल्टर चला गया, घर चला गया, घर के लिए रूपया मिला, फ्री डोल मिला, राशन मिला, उनको सरकार की ओर टिन दिया, लेकिन आज तक घर नहीं मिला। खासकरके सरकारी कर्मचारी को मिनिमम रूपए देना था, वह नहीं मिला, उनको दिया लोन, नहीं दिया कंपेनसेशन। काफी किराएदारों के घर का सामान खत्म हो गया, हाउसहोल्ड आइटम्स के

13,000 रूपए आज तक नहीं मिले। 3000 रूपए की इंटेरिम रिलीफ आज तक लोगों ने नहीं मिली। डा0एम.एस.स्वामीनाथन जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पैसे की कमी अण्डमान-निकोबार को नहीं होगी। न्यू अंडमान बनाएंगे। उन्होंने सचमुच में एक अच्छी बात कही थी और उस दिशा में कुछ काम भी किया, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, उस दर्द भरी कहानी को मैं सुनाना चाहता हूं।

सुनामी के नाम पर कहा गया कि लैंड को रिक्लेम करो, पर्मानेंट डाइक बनाओ, स्लूस गेट्स बनाओ। लेकिन हुआ क्या? जैसे मेडीसिन बनाने से पहले चुहे पर, गिनि-पिग्स पर टैस्ट होता है वैसा टैस्ट स्लूस गेट के नाम पर तथा मिट्टी के बांध बनाने के नाम पर अंडमान-निकोबार में किया गया। लैंड पूरा डूब गया लेकिन पोन्ड और तालाब दिया गया। लैंड पूरा डूब गया लेकिन पावर-टिलर दिया गया, लैंड पूरा डूब गया लेकिन दिया गया पम्प-सैट, लैंड पूरा डूब गया लेकिन ऑर्गेनिक मेन्यूर दिया गया, लैंड पूरा डूब गया लेकिन उसे फॉर्म-इन्पुट्स जैसे गायती, सबल, मार्तुल आदि दिया गया। अंडमान जिला परिषद ने पहाड़ काटकर मिट्टी का बांध बनाया। पीडब्ल्यूडी ने स्लूस गेट्स के नाम पर करोड़ों रुपये का खर्चा किया। मैं अनुरोध करुंगा कि बांध बनाने के नाम पर, स्लूस गेट्स के नाम पर जितना रुपया खर्च हुआ, आप आज टीम भेजकर देखें कि एक इंच जमीन भी रिक्लेम नहीं हुई। माननीया सुषमा जी स्टेंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थीं, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी तथा भारत सरकार के मंत्री तथा कलाम साहब ने वहां का दौरा किया। माननीय कलाम साहब तथा डा. एम.एस. स्वामीनाथन जी ने पर्मानेंट स्लूस गेट्स बनाने तथा लैंड के रिक्लेम की बात कही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। इस बारे में क्या करना चाहिए, वह मैं बताना चाहता हूं। जिन लोगों की जमीन डूब चुकी है उनके सामने पम्प-सैट, पावर-टिलर खड़ा है। किसान कहता है कि एमपी साहब, हमें सरकार ने पम्प-सैट और पावर टिलर दिया है जो मेरे घर के आंगन में पड़े हैं, आप इसे ले जाओ और इसे म्यूजियम वालों को दे दो। जिनके खेत डूब चुके हैं, उन्हें जब तक आल्टरनेट लैंड न मिले, राशन मुफ्त दिया जाए। आल्टरनेट लैंड देने के बाद में जब तक लैंड डिवेलपमेंट नहीं होगा, लैंड से इन्कम शुरु नहीं होगा, तब तक उन्हें राशन फ्री दिया जाए। सन् 1930 में ब्रिटिश सरकान ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में स्लूस गेट्स बनाए थे जो 75 साल चले और हमारी सरकार ने एक्सपेरिमेंट्स करके करोड़ों रुपये खर्च कर दिये लेकिन स्लूस गेट्स नहीं बने। मैं अनुरोध करुंगा कि साइंटिफिक तरीके से स्लूस गेट्स बनें। ब्रिटिश सरकार ने 1930 में स्लूस गेट्स बनाये थे लेकिन आज तो साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, आज सरकार स्लूस गेट्स तथा पर्मानेंट डाइक बनाए जिससे खड़ा पानी जमीन में न घुसे।

आज जिस परिवार के खेती और बगीचे की जमीन पांच साल से डूबे पड़े हुए हैं, उनके परिवार के एक सद्स्य को पर्मानेंट नौकरी मिले, यह मेरी पार्टी की मांग है। जिसकी हाउस-सैट जमीन डूब चुकी है, उनको सरकार हाउस के लिए साइट दे, लैंड डिवेलप करके दे। जिनको पर्मानेंट सेल्टर नहीं मिला है, ऐसे परिवारों को सरकार पर्मानेंट सेल्टर दे। गवर्नमेंट सर्वेंट को जो रुपया आज तक नहीं मिला है वह भी उसे दिया जाना चाहिए। अगर तमिलनाडु की सरकार यह कर सकती है तो क्यों भारत सरकार यह काम नहीं कर सकती है। हमारे यहां 1 लाख 50 हजार गाय, मुर्गी, भेंस मारी गयी, लेकिन कुछ नहीं दिया गया लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उनकी गाय, मुर्गी,

सुअर आदि के मरने पर रुपया दिया लेकिन निकोबार को रुपया आधा दिया गया। मैं पार्लियामेंट से अनुरोध करुंगा कि वहां एक टीम जाए .....

MADAM SPEAKER: Please expunge the unparliamentary expressions.

...(व्यवधान) *

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): यूपीए सरकार अंडमान-निकोबार द्वीप के लोगों की मांग को पूरा करे और एक टीम पार्लियामेंट से जाए जो पूरी स्थिति को देखे। मैडम, आप खुद वहां गयी थीं। काफी परिवार कैम्बेल बे, लिलट अंडमान तथा साउथ अंडमान में, जिनको परमानेंट शैल्टर मिलना था, उन परिवारों को एपीडब्ल्युडी द्वारा टीन, पोस्ट आदि दिया गया तथा राशन, कम्पंसेशन मनी दिया, लेकिन परमानेंट शैल्टर नहीं दिया, इसलिए आज भी व लोग सड़कों पर हैं। इन परिवारों को परमानेंट शैल्टर दिया जाए।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार सीबीआई की एक टीम गठित करे, जो शैल्टर के नाम पर लूटे गए रुपयों की जांच करे।

अध्यक्ष महोदया : रेवती रमन जी।

...(व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI : Madam Speaker, I do not want to interrupt the proceedings of the House. But I want to raise a very important matter. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. I will call you.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, आपको बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : केवल रेवती रमन जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

(Interruptions) ... *

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): महोदया, इलाहाबाद में मेजा तहसील में एक जगह चांद खमरिया है, वहां ढाई सौ काले हिरण की प्रजाति पाई जाती है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अलावा पूरे भारत में काले हिरण की प्रजाति कहीं और नहीं पाई जाती है। आपने देखा होगा कि एक फिल्म स्टार ने काला हिरण मारा था, तब वहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इसी तरह से इलाहाबाद में काले हिरण की लगभग ढाई सौ प्रजाति है, लेकिन अफसोस है कि वहां आज तक न भारत सरकार ने और न ही प्रदेश सरकार ने अभयारण्य बनाया है। उनके लिए कोई कंजरवेशन

---

* Not recorded.

पार्क नहीं बनाया है। इसका नतीजा है कि पूरी दुनिया से लुप्त यह प्रजाति समाप्त हो जाएगी। गांव के लोग उनका शिकार करके मार देते हैं और धीरे-धीरे यह प्रजाति खत्म होती जा रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि तत्काल उनका अभयारण्य बनाए और उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आंध्रप्रदेश में तेलेंगाना राज्य के निर्माण के लिए चल रहे आंदोलन की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं। चूंकि शून्यकाल में बोलने के लिए केवल तीन मिनट का समय होता है, इसलिए मैं इस मांग के इतिहास में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर बताना चाहती हूं कि हमारी पार्टी वर्षों से इस मांग का समर्थन कर रही है। हमने अपने शासनकाल में तीन नए राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का निमार्ण किया था और हमारे शासनकाल के समय में ही पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। हम तेलेंगाना राज्य का निर्माण भी अवश्य करते, किंतु उस समय हमारा गठबंधन टीडीपी के साथ था और वह इस मांग की पक्षधर नहीं थी, इसलिए विधानसभा से कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि सन् 2004 में कांग्रेस पार्टी का समझौता टीआरएस के साथ हुआ था और उन्होंने वहां के लोगों के साथ वायदा किया था कि हम तेलेंगाना राज्य का निर्माण करेंगे, लेकिन वह वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समूह का गठन हुआ था और उन्होंने यह रिपोर्ट दी थी कि "The support for Telengana is very wide and overwhelming". ...(व्यवधान)

श्री के.बापीराजू (नरसापुरम): महोदया, वायदा नहीं किया था।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : ठीक है, वायदा नहीं किया था।...(व्यवधान) ठीक है, वायदा नहीं किया था, अब आप बैठ जाइए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, इनके मुताबिक वायदा नहीं किया था, लेकिन प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में समूह का गठन हुआ था, क्या इस बात से भी ये इनकार करेंगे? तब उन्होंने कहा था कि "The support for Telengana is very wide and overwhelming". लेकिन उस समय टीआरएस को अपना नाता कांग्रेस से तोड़ना पड़ा था। क्योंकि उनको लगा था कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। वर्ष 2004 में कांग्रेस अध्यक्षा ने यह वादा किया और यह आश्वासन दिया कि हम तेलंगाना राज्य का निर्माण करेंगे लेकिन आज मुझे यह मामला इसलिए उठाना पड़ा है कि 6 महीने यू.पी.ए. सरकार को अस्तित्व में आए हुए हो गये हैं लेकिन अभी तक कोई हरकत इस तरफ नहीं हुई है। इसलिए अब वह आंदोलन दुबारा से प्रारम्भ ही नहीं हुआ बल्कि यह आंदोलन उग्र से उग्रतर होता चला जा रहा है।

मेरे हाथ में यह 14 लोगों की सूची है और ये वो लोग हैं जिन्होंने बीते 10 दिनों में इस विषय पर आत्महत्या की है। इस सूची में 17 वर्ष का किशोर भी है, इस सूची में 22-24 वर्ष के युवा भी हैं और 35-38 साल के अधेड़ भी हैं, इसमें 55 साल के व्यक्ति भी हैं और 75 साल के वृद्ध भी हैं और इसमें एक महिला भी है। इसका अर्थ यह है कि उम्र की सीमाओं को लांघते हुए राजनैतिक दलों की सीमाओं को लांघते हुए, जातियों और मज़हबों की सीमाओं को लांघते हुए, महिला और पुरुष की सीमाओं को लांघते हुए यह आंदोलन सर्वव्यापी हो गया है। छात्रों ने मिलकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है और इस समय वे लोग 'अभी नहीं तो कभी नहीं' 'Now or Never' की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि इस समय जो आंकड़ा सदन में है, उस आंकड़े के चलते तेलंगाना राज्य का विधेयक यदि सरकार लेकर आए तो तुरंत पारित हो सकता है। कांग्रेस चाहती है क्योंकि उन्होंने वादा किया था। भाजपा का समर्थन प्राप्त है और वह टीडीपी जो उस समय पक्षधर नहीं थी, वह भी पिछले चुनाव में यह कह रही है कि हम तेलंगाना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि यहां संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, श्री वीरभद्र जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि पृथक तेलंगाना राज्य के निर्माण का विधेयक तुरंत लेकर आए। लोगों की वर्षों से हो रही प्रतीक्षा समाप्त करे, लोगों की अपेक्षाएं पूरी करे और ये जो जिन्दगियां होम हो रही हैं, इन मरते हुए बच्चों और युवाओं की जिन्दगियों को बचाने का काम करें। इसीलिए आपकी अनुमति से मैंने यह विश्वास सदन के अंदर रखा है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं इनकी बात से सहमत हूं और मैं अपने आप को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप सदन के पटल पर अपना नाम भेज दीजिए।

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि इसी सदन के सांसद चंद्रशेखर राव इस विषय को लेकर अनशन पर बैठे हैं और डाइंग डिक्लेरेशन देकर बैठे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि सरकार केवल इसका संज्ञान ही न लें बल्कि इस पर तुरंत कार्यवाही भी करे।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान लुधियाना में जो पिछले तीन दिनों में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मेरी कतई मंशा नहीं है,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : केवल मनीष तिवारी जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

---

* Not recorded.

SHRI MANISH TEWARI : Madam, It is not my intention to *post-mortem* the events or to apportion responsibility. … (*Interruptions*) That can come later… (*Interruptions*) It is my only intention to caution the House and to caution the Government that Punjab is a front-line border State with a history of 15 years of turbulence which led to the loss of many innocent lives… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : केवल मनीष तिवारी जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया : आप सुनने तो दीजिए कि वह क्या कह रहे हैं।

…(व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI : Madam, my intention is not to cast aspersions on anybody… (*Interruptions*) It is with great difficulty that peace was restored in Punjab… (*Interruptions*).

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI MANISH TEWARI : Given the radicalization in West Punjab, that is, in Pakistan, any disturbance of peace and social cohesion has serious repercussions on the stability of India. Unfortunately, since 2007, one incident or the other takes place every three-four months that keeps the pot boiling… (*Interruptions*) Madam, if the Central Government does not caution the Government of Punjab or does not remain vigilant, I am afraid, we may go back to the dark days of… (*Interruptions*)

So, I urge the Central Government to keep a close watch on the situation… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

---

* Not recorded.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULES 377*

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rul 377 today and are desirous of laying them may personally hand-over the slips at the Table of House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time, rest will be treated as lapsed.

(i) Need to establish a Urdu University at Faizabad and a Sanskrit University at Ayodhya in Uttar Pradesh for promoting Urdu and Sanskrit languages

डॉ. निर्मल खत्री (फ़ैज़ाबाद): महोदय, उर्दू के नामी शायर" मीर अनीस" और ब्रजनारायण 'चक्रबस्त' तथा गजल-ठुमरी-दादरा की मशहूर गायिका बेगम अख्तर की जन्मस्थली, फैजाबाद (उ0प्र0) में उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार संवर्धन के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार फैजाबाद में उर्दू विश्वविद्यालय या उर्दू की उच्च शिक्षा का संस्थान स्थापित करे ।

इसी तरह आदिकवि बाल्मीकि जिन्होंने मर्यादा पुरूषोत्तम राम के चरित्र, व्यक्तित्व लीलाओं का दिग्दर्शन संस्कृत भाषा के माध्यम से रामायण द्वारा समाज के समक्ष कराया उस संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार, संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार राम की नगरी अयोध्या में संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत की उच्च शिक्षा का संस्थान स्थापित करे ।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to release adequate funds by the Government of Andhra Pradesh for providing toilet and bathroom facilities in girls' hostels

SHRI MADHU GOUD YASKHI (NIZAMABAD): I would like to raise a very serious matter regarding inhuman conditions in which girls belonging to SC, ST, and OBC are living in girls' hostels in various parts of the country. At present,, 6.5 lakh girls are living in hostels in Andhra Pradesh. For these girls, at least 40,000 bathrooms and toilets with adequate water are required. But, unfortunately only 20,000 bathrooms and toilets are there for these girls. These hostels lack proper water facility. For want of this facility, girls are forced to wake up at 2.30 a.m. every day to avail this basic facility. As per a study, due to lack of basic amenities, 63.2 per cent of these girls staying in these hostels are suffering from more than two diseases. One bathroom and toilet each is required for 10 girls in these hostels. To meet this target, about Rs. 800 crore are required. The State Government of Andhra Pradesh promised Rs. 50 crore for this purpose but only Rs. 25 crore was sanctioned. For Backward Class girl hostels, Rs. 40 crore was promised. Work amounting to Rs. 14 crore has been completed but only Rs. 3.56 crore has been released to the concerned authorities by the State Government of Andhra Pradesh.

I urge upon the Central Government to look into this problem of the condition of girls' hostels in the country particularly in Andhra Pradesh and release sufficient financial assistance to State Governments to mitigate the sufferings of the girls living in these hostels.

(iii) Need to expedite the setting up of FM Radio Station (Relay) in Karimnagar Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh

SHRI PONNAM PRABHAKAR (KARIMNAGAR): I would like to bring to the kind attention of the august House an important matter regarding the setting up of an FM Radio Station (Relay) in Karimnagar, Andhra Pradesh, which falls in my constituency.

I would like to inform the House that the setting up of an FM Radio Station (Relay) was approved in the 10th Five Year Plan and even in the present XI Five Year Plan, but it could not be set up due to various reasons. The site has already been acquired for this purpose. Erection work of 100 mt. tower has already been completed. Construction work of technical building is near about completion. I am very much thankful for all these. But, I regret to say that FM transmitter which was earlier meant for Karimnagar District was later diverted to Hyderabad against the approved scheme of 10 KW FM Tower. The people of my Karimnagar constituency are eagerly waiting for the inauguration of FM Radio Station (Relay).

I, therefore, request the Hon'ble Minister, to intervene in the matter and give necessary instructions immediately to the concerned officials to install 10 KW FM transmitter urgently and also to take immediate steps to fill up the required staff to run the FM Radio Station (Relay) smoothly. If this materialises, it will fulfill aspirations of the people.

(iv) Need to extend the jurisdiction of Delhi High Court to all the cities and towns of NCR

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और एनसीआर के अंतर्गत आने वाले दूसरे शहरों में अधिकांश ऐसे लोग हैं, जिन्हें किसी न किसी मामलें के सिलसिले में उच्च न्यायालय में जाना पड़ता है । जिन राज्यों में ये शहर आते हैं, उनके संबंधित उच्च न्यायालय इनसे काफी दूरी पर स्थित हैं । गाजियाबाद और नोएडा से इलाहाबाद की दूरी करीब 650 कि.मी. के आसपास है तथा गुड़गांव एवं फरीदाबाद से चंडीगढ़ की दूरी लगभग 275 कि.मी. के आसपास है । यहां के लोगों को वहां आने-जाने में जो परेशानी होती है, उसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है ।

पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों को भी अक्सर उच्च न्यायालय में अनेक मामलों के सिलसिलें में जाना होता है । इसमें सरकारी धन के साथ-साथ कार्यालयों की व्यवस्थाएं भी बिगड़ती हैं तथा विभागों में काफी कार्य भी लंबित हो जाते हैं । इसमें व्यय होने वाले समय का इस्तेमाल अन्य उपयोगी कार्यों में किया जा सकता है। पुलिस द्वारा अपराधियों को दूर ले जाना भी काफी जोखिम भरा होता है तथा कई बार यात्रा के दौरान कैदी भाग भी निकलते हैं । गरीब व्यक्तियों के लिए यह कठिन होता है कि वे यात्रा का व्यय वहन करें अथवा वकीलों की फीस चुकाये । ऐसे में यदि यहां के लोगों को एनसीआर में ही यह सुविधा मिल जाए तो उनकी काफी मुश्कलों दूर हो सकती हैं ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय की ज्यूरिसडिक्शन पूरे एनसीआर तक बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये, जिससे लोगों का समय व धन बचने के साथ- साथ उनकी आने-जाने की परेशानी और सुलभ न्याय पाने में आ रही अड़चनें भी दूर हो सकें ।

(v) Need to release funds for the speedy completion of railway line between Raichur in Karnataka and Macherla in Andhra Pradesh

DR. MANDA JAGANNATH (NAGARKURNOOL): There was proposal to construct a new Railway line of 292 Kms. between Raichur in Karnataka to Macherla in Andhra Pradesh passing through Gadwal, Wanaparthy, Nagarkurnool, Kalwakurthy, Devarakonda and Nagarjunasagar.

This line passes through the most backward area in Andhra Pradesh i.e. Mahaboobnagar which will help to create employment for the locals.

During 1997-98 a part of this line i.e. Gadwal and Raichur was sanctioned. The latest estimation is Rs. 207.80 crores for this project and so far only Rs. 50 crores has been spent on this project. I request the Hon'ble Railway Minister to sanction at least Rs. 50 crores for the Raichur - Gadwal Railway line.

The remaining part i.e. Gadwal and Macherla is pending for construction. As this line will help in the development of the backward areas i.e. Raichur District in Karnataka and Mahaboobnagar in Andhra Pradesh. I request the Hon'ble Railway Minister to take necessary steps to sanction the new Railway line between Gadwal to Macherla at the earliest.

(vi) Need to declare 'Sitamarhi' in district Nawada, Bihar as a tourist place of national importance

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदय, बिहार के नवादा जिलान्तर्गत मैसकोर प्रखंड स्थित पर्यटन स्थल के रूप में सीतामढ़ी है, जहां माँ सीता अस्मिता के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। धरती वहां फटी पड़ी है। यहां विश्वकर्मा का बनाया मंदिर है, जहां लाखों लोगों का मेला लगता है। सरोवर तालाबनुमा है, जिसमें सीता स्नान करती थी। यह पर्यटन का स्थल बन गया है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करे। यात्रियों के लिए धर्मशाला, लोगों के लिए अस्पताल एवं तालाब की खुदाई पक्कीकरण करे। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(vii) Need to extend the time-frame of industrial package given to Himachal Pradesh for its economic development

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): महोदय, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियां अत्यंत कम होने के कारण पूर्व की एन.डी.ए की सरकार ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंड राज्यों हेतु 10 वर्ष का एक औद्योगिक पैकेज दिया, जो वर्ष 2013 तक चलना था। पैकेज के कारण हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर उद्योग लगे और एंसीलियरी यूनिट्स भी लगीं तथा आवश्यकता यह महसूस की गई कि 10 वर्ष की बजाय उक्त पैकेज को 15 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक रूप से सम्पन्न राज्यों की श्रेणी में आ सके, किंतु यूपीए की सरकार आने के तुरंत बाद उस पैकेज की समय-सीमा तीन वर्ष घटाकर सात वर्ष कर दी गई। औद्योगिक पैकेज की समय-सीमा घटाने के कारण अब उद्योगों का लगना प्रायः बंद हो गया है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश के न्यून आर्थिक विकास एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पैकेज की समय-सीमा कम न की जाये, पूर्व की भांति वर्ष 2013 तक ही रहने दी जाये, बल्कि यदि संभव हो सके तो पांच वर्ष और बढ़ाकर उसे वर्ष 2018 तक किया जाये ताकि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक रूप से सम्पन्न हो सके।

(viii) Need to construct a railway over bridge at level crossing on Varanasi-Lucknow railway line in Jagdishpur, Machhlishahr Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर के अंतर्गत वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जौनपुर शहर से सटे जगदीशपुर में मैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है । यह क्रॉसिंग वाराणसी-लखनऊ उत्तर रेलवे लाइन पर है । यह दोहरी रेल लाइन है जिसके कारण इस लाइन पर रेल गाड़ियों का आवागमन लगातार बना रहता है और रेलवे क्रॉसिंग अधिकतर बंद हो जाया करती है । क्रॉसिंग बंद हो जाने पर शहर में जाम लग जाया करता हे जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है । मैंने सदन में इस समस्या को उठाया था और इस रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ओवरब्रिज बनाने की मांग की थी । पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । माननीय रेल मंत्री से मेरी मांग है कि वह उक्त रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम को देखते हुए वहां ओवरब्रिज बनाने का विभाग को आदेश देने का कष्ट करें ।

(ix) Need to construct a bridge on river Sone Between Daundnagar and Narsariganj in Aurangabad and Rohtas districts respectively

श्री महाबली सिंह (काराकाट): महोदय, बिहार के रोहतास और औरंगाबाद जिला नक्सल प्रभावित जिले हौ। सोन नदी में पुल न बनने के कारण नदी के किनारे गांवों में नक्सली शरण लेते हैं । पुल के अभाव में नक्सलियों पर काबू पाने में राज्य सरकार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अगर जिला औरंगाबाद के दाउदनगर और रोहतास जिला के नासरीगंज के बीच में सोन नदी पर पुल का निर्माण करा दिया जाए तो यात्रियों को 50 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी और नक्सलियों पर काबू पाने में आसानी होगी ।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि दाऊदनगर और नासरीगंज के बीच सोन नदी पर पुल का निर्माण यथाशीघ्र कराने हेतु प्रभावी एवं सकारात्मक कदम उठावें ।

(x) Need to build a National Highway from Baruipur to Bakkhali in South 24-Parganas district of West Bengal

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): A Highway road link from 'Baruipur to Bakkhali' in the district of South 24-Parganas of West Bengal is a dire necessity for huge population of the area mostly inhabited by Scheduled Castes and Muslim minority communities. A road, existing at present named as Kulpi road is very narrow and not being maintained properly with the result that it is almost not motorable now-a-days. Moreover, public buses are not plying on that road. A rail line in Sealdah division of eastern Railway up to Lakhsmikantapur, at present extended up to Namkhana has become the only link line for daily commuters and others to reach Kolkata and other parts of West Bengal. I would request the National Highway Authority of India (NHAI) to build a National Highway on this stretch and remove the plight of people.

14.01 hrs.

OBSERVATION BY THE SPEAKER

MADAM SPEAKER: Hon. Members, before we take up the next item, that is, the discussion under Rule 193 on the Report of the Liberhan Ayodhya Commission of Inquiry, I would like to make a small observation.

Hon. Members, as you are aware, the issue that we are now going to discuss is politically and emotionally sensitive. While this forum is meant for discussing issues, it is our duty to ensure that all issues are discussed in a constructive and dispassionate manner. I would, therefore, urge upon the Members to participate in the discussion on this emotive issue without hurting the sentiments of one another and avoid alleging anything against any person who is not present in the House to defend himself. I hope that the discussion will be held in a manner that enhances the dignity of the House and its Members.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Report of Librahan Ayodhya Commission of Inquiry and Memorandum of Action taken by the Government in the Report

MADAM SPEAKER :Now, I call upon Shri Gurudas Dasgupta to raise the discussion.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, I appreciate the opening remarks that you have made. I believe the discussion should be restrained and let us reflect the common approach to a disaster that had taken place 17 years back.

I do not call it a debate. I call it an introspection to ponder why the disaster unknown in the national history of India had hit this country on 6th December 1992. Let us ponder why it did happen. Parliament was there, it was in Session. A Government was in power with a majority and led by a secular Party. The Apex court was in place.

In such a situation, my question is, why a fundamentalist political force could impose its will on the nation when overwhelming majority of the people were opposed to the political ideology of that particular stream. Why did disaster could not be prevented? Why the criminals could not be held in check? Why the political system failed? What is the inherent weakness in the system that led to the failure and that led to a political disaster affecting the country?

We were put to shame. Our national policies were affected. While speaking before this august House, I feel extremely hurt because I have to recapitulate the deadly event that had taken place on 6th of December 1992. I am deeply hurt because I remember the catastrophe that has overtaken the nation in the subsequent period. I am reminded of the grave attack that was mounted on the secular image of the country. I am pained to say, it is most painful that the assurance given to the nation was grossly violated, was flouted. The Judiciary was misled; the Government in power at that time was duped. But the question remains why the Government that was in power at that point of time allowed itself to be duped. I have a feeling that the Governm at the Centre at that time did not do the job that it was called upon to do taking pre-emptive action. Unfortunately, the role of the Central Government at that point of time is missing in the Report. Therefore, the Report appears to be not comprehensive, in a way marginally partial. I am ashamed to say that the demolition of Babri Masjid was not an Act of spontaneous expression of vandalism; it was the result of a meticulous planning, having a nefarious political agenda.

I am sorry to say, Madam, to the House and the country that Babri Masjid, Ram Janmabhoomi issue was not an issue, was a non-issue till 1975. It did not find a mention in the proceedings of Uttar Pradesh Assembly. Somehow for a definite political intention, the issue was taken up, blown up by coterie of fundamentalist forces in collusion with a leading political party of the country to accomplish its political agenda. Unfortunately – please excuse me if I say – some of the players of the dubious drama are my respected colleagues present in the House. I was a Member of Rajya Sabha in 1992. I came to Parliament in 1985. I had grown old to find that the politics is being polluted. Also, I find how national interest is being subordinated to the philosophy of communal divide, creed of hatred and principles of violence. I remember, I participated in the debate in Rajya Sabha in 1992, if my memory does not fail me, I asked a categorical question to my respected senior colleague, Mr. Advani *ji* whether they wanted to demolish the structure known as Babri Masjid. As far as I remember, the reply was an absolute, 'No'. I wanted to tell him what he would like to do. He told that they would like to transfer the structure, shift the structure to another place so that Ram Mandir could be set up. Today, I feel that I was too innocent to understand what was in the back of the mind of the political leaders leading the campaign at that point of time. I remember, I visited

Ayodhya before anybody from Parliament had gone. It was on Wednesday. The grim tragedy had taken place on Sunday; I had gone there on Wednesday.

I found that not only the structure was demolished but also there was no trace of a structure known as Babri Masjid. Even the debris was removed. Also I found to my great surprise that there was a make-shift temple, maybe Ram Tample, I do not know. I met the local people – it was in night – of both the communities. They all told me that they did not have any hand in the demolition; the mischief was done by outsiders; they came in trains, they came in buses and they had done the job.

Madam, on my return, I wrote an article published 17 years back in a leading daily. Please permit me to quote three paragraphs, which give a narration of the incident. I quote:

> "The assault on the barricade around the Masjid took place around 11 a.m. on the fateful Sunday morning. Within hours, the mob had overcome the few rounds of teargas and mild lathi charge as they penetrated the structure, rained crushing blows on the domes. The edifice that stood for over 400 years started to crumble for the hands leading the assault were all trained to do the demolition. …"

I wrote,17 years back, what the Commission says today. I quote:

> "Between 12 noon and 1 p.m. the local administration sought a directive from the State Headquarters, and the panic message was dispatched to Lucknow. The District Magistrate was advised to mobilize CRPF but the widespread roadblocks prevented the movement of the additional personnel. At no point of time, effective measures were taken to thwart the onslaught on Babri Masjid.
>
> While the largest contingent of the so-called *kar sevaks* carried on religious show, another assaulted the Masjid, and the third – most lamentable, which is not mentioned in the Report – the smallest brigade carried on systematic raids on the dwellings of the minority community in that area. The Masjid was demolished; the Mandir was built; and all the tenements of the Muslims, none of whom resisted the *kar sevaks*, were destroyed. …"

This picture is not there in the Report that is given.

Madam, buried in the Report is the sordid story, how a local issue had become a blot on the national conscience of the country. The local dispute was between Wakf

Board and one Mr. Ramachandra Das and his *Akhara*. It was not an issue before Vishwa Hindu Parishad took it up. In 1980, it was taken up by Vishwa Hindu Parishad.

I would like to give you the graphic development. In 1982, Vishwa Hindu Parishad gave a clarion call for liberation. What is to be liberated? The Mandir is to be liberated from the ruins of a Masjid. In 1984, the young wing of Vishwa Hindu Parishad was born known as 'Bajrang Dal' and it gave a new face to the movement. In 1985, Vishwa Hindu Parishad decided to raise fifty lakh strong cadres known as 'Ram Bhaktas'. It was intended to carry out a militant structure in the country challenging the very secular foundation of the nation.

In 1989, BJP had its session in Palampur. It is a nice place with beautiful surroundings. They had all their enjoyment, definitely. What did they decide? They decided to jump into the fray and participate into the movement.

At that point of time, Madam -- I would remind the House and the nation – two immortal phrases were coined. We have forgotten that. One phrase is: "minority appeasement" and the other ph is "pseudo secularism". Thus was born a political agitation with the definite objective to polarise the nation.

Two other factors should be taken into consideration. On 1st of February, 1986, the district court of Faizabad gave the ruling that the door should be unlocked so that *pooja* can be done. It is still a mystery why the Government at that time did not go to a higher court to prevent the unlocking of the door. Was it with a political intention? Was it done to give concession to the fundamentalist section or they had the intention of taking the wind out of the sail of some other political party?

Madam, *shilanyas* was done. How it was done, it is all well-known. This energised the liberation movement; and this set into motion the activities of All India Babri Masjid Action Committee. In January, 1986, *Dharamsansad* drew up a plan for *shilapooja*. The stage was thus all set for a communal confrontation deliberately planned, systematically organised by a group of political forces in combination with a political party. And, BJP's participation made the movement powerful and effective.

What does the report say? The report says: "It cannot be assumed even for a movement..." I have to take a name of a person, who is not present in the House because

I am quoting the report. If you permit me, I will do or otherwise, delete the name because I am quoting the report.

MADAM SPEAKER: You are quoting the report, I suppose.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Yes, Madam.

The report says: "It cannot be assumed for a moment that my senior respected leader of India, one of the senior leaders of India, who I still respect, Mr. Atal Bihari Vajpayee, my senior colleague Mr. Advani or Mr. Joshi did not know the designs of Sangh Pariwar." It cannot be believed, the report says. What does it mean? The political leadership of the movement was well aware of the destination to go. They were well aware of the target they had made. They were well aware of the objective that was in their mind, lingering in their mind.

It was not made public but it was lingering in their minds.

According to the Report, "it was a joint common enterprise." I am quoting their phrase. Who are the partners? They are RSS, VHP, Shiv Sena, BJP and Bajrang Dal. It is well-known. This was our point all the time. Now, it is there in a Report, of course, presented late, and somebody in the other House has told the Press that money has been wasted on this Commission. That is the other way to belittle the political issue that the Report has confronted the nation with.

The then Chief Minister of Uttar Pradesh was in connivance. He was on guard to see that no pre-emptive action is able to be taken by the Central Government or by the Supreme Court or any court. What does it mean? The captain of the law enforcement agency has himself become a crusader and has himself been an accomplice of the crime that was perpetrated. What can be more horrible than this in a civilised world?

Madam, it should shake our conscience. Tears should fall down. We must believe the depth and dimension of the tragedy that has befallen us. It is not the crusade against Babri Masjid; it is the connivance of the law enforcement agencies; it is the failure of the Central Government; it is the failure of the Supreme Court; and it is the failure of the nation that we could not prevent it. It happened. I was there in the House at that point of time when the news was pouring in that the brigades were attacking Babri Masjid, and it was on the point of being demolition, we heard the news. We had gone to the Prime Minister. We wanted the Army to be sent. The secular image of India is more important

than any Constitutional propriety. Unfortunately, no pre-emptive action was taken. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Yes, go ahead.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : In preparation for the movement, *rathyatra* was organized. Mr. Advani was at the helm. It was all deliberately done to consolidate fundamentalist, chauvinistic force in the country as a precursor, as a prelude to the intention that they harboured in their minds of committing of a crime. It was all done to raise a frenzy. I remember it was all a frenzy. *Rathyatra* was a frenzy. It was deliberately cultivated to make the things easy in Ayodhya.

Madam, prior to the assault on Babri Masjid, there was a so-called ceremonious, religious programme there. Bhajans were sung. What a tragedy? The great Bhajans created by the Indian culture were made use of to cover up their slogans and tirade against the secular India. Leaders were present. They had spoken. What were the speeches? The speeches were all delivered to create the defence for the destruction of the Masjid. It was all said here Rama was born. Maybe, Rama was born. I do not know. It is here that the Masjid has been established by Muslim communalists. We must demolish it to establish the supremacy of a particular religion.

Fanatic, frenzy was raised and the cowardly act was committed with the connivance of the police. Today, the act of cowardice is being called an act of valour by a leader of Vishwa Hindu Parishad. Therefore, demolition of Babri Masjid was meticulously organized. Virulent political campaign was done. *Shilapuja* was done. *Rathyatra* was organized and thousands of *Karsevaks,* who were specialized in the work of demolition, were mobilized, and they all were brought to that place in trains and in buses, and the State Government had closed its eyes to that. While the State Government had closed its eyes, why the eyes of the Central Government were not opened?

Therefore, let me put the question straight to this august House for consideration. Own the responsibility of what happened on 6th December 1992 and take the blame. Let us see the political courage of those who have done this job in a cowardice way with the connivance of the police and the administration for electoral benefit. Unfortunately, Indian history shows that by demolishing Babri Masjid, they had been able to improve their electoral prospect. That is an unfortunate part of the history. Either own the responsibility and defend your defiance of all canons of civilized life; defend it, take the courage; or disown what had happened there in 1992 and apologise to the nation. These are the limited options available. There cannot be a third road. There cannot be a middle

path. Either 6th December was a day of national betrayal, was a day of operation blackmail, or 6th December was a day of valor. Let the nation judge.

We are not digging the grave, we are not discussing something obsolete. We are not discussing something we should not do. We are discussing it to take the lesson. I do not plead punitive action against the leaders who have been indicted in the Report. I do not plead for punitive action. I believe political isolation is the only remedy. It is time to take the lesson for all the secular forces in the country to unite. The Congress Party has a responsibility if it believes that it is one of the largest parties in the country. But one thing – struggle against communalism cannot bear fruit if the struggle against hunger, if the struggle against unemployment is not combined. Because hungry people can easily be led astray.

Therefore, it is the time to alert the nation. While we are discussing it, the nation must be alerted on the basis of a Report of a Commission. We must alert the nation about this fundamentalism. What is this fundamentalism and how is it related today? The fundamentalism had killed Mahatma Gandhi. It is the same brand of fundamentalism that has demolished Babri Masjid. Let us not mince words. I must speak straight. Those who had murdered Mahatma Gandhi belongs to the same political category or philosophy who are responsible for the demolition of Babri Masjid. It is the same brand of fundamentalism who had massacred thousands of people in Gujarat for electoral gain. And it is shame that they have succeeded.

DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB): What about the attack of army on Darbar Sahab in Amritsar?

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Gurudas Dasgupta is saying.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Gurudas Dasgupta *ji,* I think now you should conclude.

... (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

MADAM SPEAKER: You will also get a chance to speak. Everybody, all the parties, will get a chance to speak.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप समाप्त करिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया अब समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : हम बैठेंगे नहीं, हम बैठने वाले नहीं है। हम जिंदगी में बैठते नहीं, बोलते हैं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER : Shri Gurudas Dasgupta, please address the Chair. Please continue.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। Please confine yourself to the Report and try to conclude and be very brief.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I am on the Report. I am only drawing the conclusions from the Report. … (*Interruptions*)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): How can you? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : Shrimati Bijoya Chakravartyji, please.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I am only stressing the danger of fundamentalism. I am stressing only the danger of fundamentalism. … (*Interruptions*)

Madam, lastly, the same set of fundamentalism had mounted attack on the Christian charge in Orissa. I was there. I have seen it. … (*Interruptions*) Therefore, Madam, the nation needs to be warned of the danger. The danger is not dead. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त हो जाइये। आप बोलिये और आप समाप्त करिये।

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, what I am saying is that the danger of fundamentalism is not dead. It is a living menace. Therefore, there is a need for unity in action. There is a need for unity in action of the secular forces. The Report gives a warning and the warning should evoke the awareness and the awareness should be

translated into action. It is not that every Party should remain where they are. After the Report, there must be a concern to unite and to defeat. … (*Interruptions*) Madam, please understand one thing. By committing the demolition and by committing the criminality, the political forces have been able to increase their strength. That is a matter of concern to all of us. … (*Interruptions*)

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): We will continue to do so. … (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Fine. Madam, he says they will continue to do so. Let it be noted. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, he is saying he will continue to do it. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बीच में टिप्पणी बन्द करिये।

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, let it be noted. He has said – 'We will continue to do it.' Let it be noted. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : You address the Chair.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I anticipated this uproar. He thought that I am not soft. I have spoken the truth. … (*Interruptions*) While concluding, Madam, I must say this. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : यह रिकार्ड में नहीं जायेगा। विष्णुपदराय जी, आप बैठ जाइये। आदित्यनाथ जी, आप भी बैठ जाइये। Please sit down.

(Interruptions) ... *

---

* Not recorded.

MADAM SPEAKER : You address the Chair. आपके दल से भी लोग बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : विष्णुपदराय जी, आप बैठ जाइये। आपकी पार्टी से भी वक्ता बोलेंगे, उस समय वे सब बातें बोलेंगे, जो आपकी भावना है।

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, can I submit one thing? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : But you conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Yes, I am concluding. … (*Interruptions*) Madam, can I submit that we have an example of political impatience in the House even. This political intolerance is to be seen. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : विष्णुपदराय जी, आप शान्त रहिये। Shri Gurudas Dasgupta, please conclude now.

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, it is the same philosophy of political intolerance, it is the same philosophy of political hatred and it is the same philosophy of fundamentalism which is in action in the House also. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Thank you. Now, you conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I conclude. Why do I go back? … (*Interruptions*) I will go back to West Bengal! … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Why do you react? You address the Chair.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, what I am saying is that we must look back, we must recapitulate, we must have a critical analysis of what led to the demolition, what the role of the political parties was and what the role of the Central Government was, to come to a conclusion. Therefore, we look back to move forward. Let the country move forward and protect the secular image of the nation at any cost with all our valour and dignity.

अध्यक्ष महोदया : श्री जगदम्बिका पाल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): इनका नाम कारसेवकों की सूची में लिखा हुआ है। ...(व्यवधान) इनका लिस्ट में नाम है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइए। आप उनके विचार सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शांत हो जाइए। उनके विचार सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने देश के एक ऐसे संवेदनशील और देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी हुयी चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर से सभी दलों को इस चर्चा में भाग ...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कौन सा नियम है?

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : क्या यह वही हैं जिनका रिपोर्ट में नाम है या कोई और हैं?..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप पहले नियम बताइए**।**

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नियम नहीं है। आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, रिपोर्ट में 743 पेज पर जगदंबिका पाल जी का नाम है। क्या यह वही कारसेवक हैं या यह कोई और जगदंबिका पाल हैं? ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing should be recorded except what Shri Jagdambika Pal is saying.

*(Interruptions) ... **

---

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उनके बाद आपके नेता की बारी है। आप शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। It is not a point of order. आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, उनमें सुनने का साहस नहीं है। ...(व्यवधान) यदि उनमें सुनने का साहस होता, तो मैं जो बातें कहता, उसका जवाब बिंदुवार देते, लेकिन ये निश्चित तौर से केवल व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। ...(व्यवधान) एक बात उन्होंने उठायी है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि शायद उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : जो बिंदु शाहनवाज जी ने उठाया है, वह एक व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, अगर आपने मुझे अवसर दिया है, तो सुषमा स्वराज जी को कहिए कि मैं जवाब दूंगा। निश्चित तौर से अगर आपने मुझे पुकारा है, चर्चा इनीशिएट करने के लिए मुझे आपने कृपापूर्वक अनुमति दी है, तो कृपया इनको सुनने का साहस होना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : शाहनवाज जी ने जो कहा है, हम सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि यह वहीं हैं या कोई और हैं? ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं जवाब दे दूंगा। ...(व्यवधान) आप बैठ जाइए। मैं जवाब दूंगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : यह वही हैं या कोई और हैं? ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मैं जवाब दूंगा। जो प्रश्न इन्होंने उठाया है..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनंत कुमार जी, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उनकी क्या आइडेंटिटी है, वह यह है कि वे इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और मैंने उन्हें इस समय पुकारा है कि वह अपना वक्तव्य दें। आप लोग कृपया शांतिपूर्वक सुनिए। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

…(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): इनका रिपोर्ट में नाम है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: It is not my concern. My concern is that I had called an hon. Member to speak on the issue before us.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Therefore, the matter is settled. Now, kindly take your seat because the next speaker is from your Party.

… (*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, ये केवल अपने गुनाहों को छिपाने के लिए बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. The hon. MP is speaking.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अगर यह हमें नहीं बोलने देंगे तो हम इन्हें भी नहीं बोलने देंगे।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Jagdambika Pal is saying.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया करके बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मुझे आपने बोलने की अनुमति दी है।...(व्यवधान) आपने कहा कि कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं होगा। कृपया सुषमा स्वराज जी से कहिए कि वे बैठ जाएं।...(व्यवधान)

सुषमा स्वराज जी के मन में जो जिज्ञासा है, मैं उनकी जिज्ञासा को दूर कर दूंगा।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I have given my ruling on this issue.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The hon. Member may please continue his speech.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

श्री जगदम्बिका पाल : उनमें निश्चित तौर से साहस नहीं है। आज पूरा देश इस सदन की चर्चा को सुन रहा है। देश की सौ करोड़ जनता के बीच...(व्यवधान) आप धैर्य रखिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान) पूरे देश की जनता जानती है और आज जान जाएगी कि अगर लिब्रहान कमीशन में नेता, प्रतिपक्ष जाकर कहेंगे कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि बाबरी मस्जिद गिरेगी, लेकिन 5 दिसम्बर को लखनऊ के अमीनाबाद की रैली में जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि कार सेवक जाएंगे, कल क्या करेंगे, नहीं मालूम, लेकिन वहां समतलीकरण करेंगे।...(व्यवधान) अगर इन्हें जानकारी नहीं थी तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस हलफनामे को स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैडरल सरकार में चुनी हुई राज्य सरकार के मुख्य मंत्री का हलफनामा स्वीकार किया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में उन्होंने उस ढांचे की रक्षा करने के लिए शपथ पत्र दिया। इसी पार्लियामैंट में इनके नेताओं ने आश्वासन दिया। एक तरफ एक प्रदेश के मुख्य मंत्री सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दें, दूसरी तरफ एनआईसी में शपथ पत्र दें, पार्लियामैंट में दें, जब इन्हें अनुमान नहीं था तो कैसे प्रधान मंत्री पूर्व में ही राज्य सरकार को बरखास्त कर देते और कहते कि धारा 356 का दुरुपयोग हो रहा है। धारा 356 में स्पष्ट है कि -

> "The President's Rule can be imposed only for remedial purposes and not for preventive purposes."

जब कभी कोई घटना होगी, तब धारा 356 का उपयोग हो सकता है, अन्यथा किसी चीज का पूर्व में अनुमान लगाकर कि यह घटना घटित होगी, जब माननीय वाजपेयी जो और आडवाणी जी को मालूम नहीं था, तो तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को कैसे मालूम हो जाता कि इनकी नीयत क्या है या ये डिस्प्यूटेड ढांचे को गिराने जा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सैंटर को रिसीवर भी नियुक्त नहीं किया था। सैंटर ने रिसीवर नियुक्त करने की बात कही थी और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक जज को रिसीवर नियुक्त किया था। जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था, हाई कोर्ट के जज वहां नियुक्त थे, मिनट टू मिनट की कार्यवाही को रिपोर्ट कर रहे थे और हर जगह हलफनामा था, तो निश्चित तौर से लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट में तत्कालीन प्रधान मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, तो वह इसलिए कि इस संघीय ढांचे में उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती।

उस दिन लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट के लीक होने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारी साध है कि अयोध्या में मंदिर बने। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से अगर साध है, तो मंदिर उसी रूप मे बन सकता है जब पार्लियामैंट में कानून बने अथवा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट टाइटल डील को डिसाइड करे या परस्पर सहमति हो और इसी पर सरकार बनी। लेकिन उस पर न परस्पर सहमति का कोई प्रयास हुआ और न सुप्रीम कोर्ट को कोई रेफरैंस दिया गया कि इस पर कोई टाइम बाउंड फैसला किया जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई कानून बनाने की बात थी, जब ये लोग विपक्ष में थे, तो कहते थे कि जिस दिन हम पार्लियामैंट में, केन्द्र में सत्ता में आयेंगे, तब हम कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन जिस दिन पार्लियामैंट में, केन्द्र में इनकी सत्ता बनी, तो माननीय तत्कालीन प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी ने पहले दिन ही कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में

नहीं है। इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को ठंडे बस्ते मे डाल दिया। इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला, तो देश की जनता ने भी इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि इसी बात पर ये लोग जनता को गुमराह करके केन्द्र में सत्ता में आये थे। यह बात सही है कि अगर इनको जानकारी नहीं थी कि वहां पर इस तरीके से कार्य होगा, तो सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा क्यों की गयी? दस हजार किलोमीटर की रथ यात्रा आठ राज्यों से गुजरी। मुझे याद है कि उस रथ यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश के करनलगंज में दंगा हुआ। गुजरात और राजस्थान के ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : विष्णु पद राय जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आपको याद नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने रथ यात्रा की थी, उनको याद होगा। ...(व्यवधान) उनकी रथ यात्रा के बाद बड़ोदरा, बनासकांठा, गुजरात में दंगे हुए। करनलगंज में दंगे हुए । आज राजीव जी नहीं हैं। उस समय वहां कर्फ्यू लगा था। वे वहां गये थे और उनके साथ हम भी गये थे। हमने वहां देखा कि कोतवाली की बगल में तालाबों में लाशें तैर रही थीं। उस मंजर को हमने अपनी आंखों से देखा था। वह उस रथ यात्रा की परिणति थी। 1947 मे देश बंटा, लेकिन 6 दिसम्बर, 1992 में इन्होंने देश के दिल को बांटने का काम किया, जो आज तक इस देश में नहीं हुआ था। ...(व्यवधान) इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज अगर हम लिब्रहान कमीशन की इस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, तो यह कहते हैं कि हम इसको ढहाना नहीं चाहते थे। अगर ये ढहाना नहीं चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी उसमें अगर संलग्न नहीं थी, उनके नेता नहीं थे, तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर से पहले डीजी प्रकाश सिंह थे, उन्हें बदलकर विलास मणि त्रिपाठी को क्यों बनाया गया? आईजी को क्यों बदला गया? क्यों डीआईजी कमिश्नर को बदला गया? डीएम, एसपी को क्यों बदला गया? पूरा देश जानना चाहता है कि अगर इनके मन में ऐसा न रहा होता कि हमें उस बाबरी मस्जिद को ढाहना है, तो डीजी से लेकर डीएम,एसपी, डीआईजी, आईजी और कमिश्नर आदि सारे लोग बदल दिये गये थे और जिनका राजनीतिक रूप से उपयोग करना था, उन लोगों को इन लोगों ने तैनात किया जो हाथ पर हाथ धरे पड़े रहे। ...(व्यवधान) इसलिए इस लिब्रहान कमीशन ने आज बहुत विशद विवेचना की है कि आने वाले दिनों में पुलिस सुधार के लिए भी कोई आयोग बने। इसलिए पुलिस सुधार के लिए आयोग बने कि अगर कल इस तरह कहीं सविधान की रक्षा करनी हो, कहीं उनकी इस तरह की जिम्मेदारियां हों, तो क्या अगर कोई उस प्रदेश का मुख्य मंत्री इस बात को कह दे कि आपको संविधान की रक्षा नहीं करनी है, तो उसके बाद उन आदेशों का पालन होगा या देश के उस संविधान की रक्षा का पालन होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आज हम इस लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पर यह चर्चा नहीं कर रहे। चाहे कल 6 दिसम्बर गुजरा हो, पूरे देश में कहीं शौर्य दिवस मनाया गया, कहीं विजय दिवस मनाया गया, तो किसी पार्टी ने काला दिवस मनाया। मैं बस्ती से आता हूं। मैं कल अयोध्या से गुजर कर आया हूं। अयोध्या में शांति थी। वहां के न साधु-संतों को इस बात से कोई सरोकार है, न वहां के हिन्दू और मुसलमान को कोई सरोकार है। आज वे चाहते हैं कि अयोध्या में शांति रहे और देश की जनता चाहती है कि पूरे देश में शांति रहे। ये फिर से उस मुद्दे को जिंदा करना चाहते हैं। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार-बार नहीं चढ़ती। आज इतने गंभीर मामले पर चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इस तरफ देखकर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : राम मंदिर बने और राम मंदिर बनने का संकल्प है, तो आप अपने देश के कार्यकत्ताओं से पूछिये कि आज उनको निराशा है क्योंकि राम मंदिर के निर्माण पर ही आपको उत्तर प्रदेश में सरकार मिली, केन्द्र में भी सरकार मिली। केन्द्र में आने के बाद आपने क्यों नहीं कानून बनाने की बात की? आपने यह बात इसलिए नहीं की क्योंकि केन्द्र में भाजपा-एनडीए कोलिशन गवर्नमैंट थी। आपको लगता था कि अगर हम कानून बनाने का काम

करेंगे, तो हमारी सरकार गिर जायेगी, क्योंकि भाजपा और एनडीए का कोलिशन है। इसका मतलब है कि आपके लोगों को राम मंदिर प्यारा नहीं है, केवल सत्ता प्यारी है इसलिए आप पांच साल तक सत्ता चलाते रहे।

कानून बनाने का काम किसका था? आपने कहा था, देश की जनता के सामने संकल्प किया था।...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मंदिर बने?...(व्यवधान) आप विरोध कीजिए। आप यह कह दीजिए कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : योगी जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : योगी जी, शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अयोध्या के मामले में, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मामले में कांग्रेस का शुरू से यह स्टैण्ड था कि या तो न्यायालय फैसला करे या परस्पर सहमति से फैसला हो, लेकिन यकीन कीजिए, जिस समय कांग्रेस का यह स्टैण्ड था, उस समय ये लोग रथयात्राएं कर रहे थे, उस समय भाजपा की कार्यकारिणी में, उस विवादित स्थल को...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं।...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए। आप क्यों अशांत हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Jagdambika Pal is saying.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया : योगी जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। अभी आपकी बारी नहीं है। आप क्यों बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। It is not your turn. आप क्यों इतना अशान्त हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, whatever he speaks should not go on record.

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमां के हाथों में रहने दो तसबीह, पुजारी के हाथों की माला न छीनो, सभी को है अपना धर्म जान से प्यारा, किसी के धर्म का शिवाला न छीनो।...(व्यवधान) इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह देश कभी माफ नहीं करेगा। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमें दर्द है, लेकिन आपको दर्द नहीं है। मुझे आज भी वह दिन याद है। 30 अक्टूबर और दो नवंबर को जिस समय अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चली, 15 कारसेवक मारे गए। आज उसी अयोध्या के नए घाट में उन कारसेवकों के आश्रित लोग रहते हैं। जब दर्द हद से गुजर जाए, तो दर्द का एहसास नहीं होता है। आज आपको नहीं पता होगा कि राम आसरे धनकर किस स्थिति में हैं, जो अयोध्या के काजियाना मोहल्ले में रहते हैं जिसके बेटे राजेन्द्र धनकर की 30 अक्टूबर को मौत हुई थी। उसके गम में उसकी बूढ़ी मां भी मर गयी, चार बच्चों को लेकर बांस की डलिया बनाकर वह बूढ़ा बाप उन बच्चों की परवरिश कर रहा है। जिन कारसेवकों को आपने मरवाया, आज उनके परिवारों पर क्या गुजर रही है, यह देखने के लिए मैं सभी के घरों पर जाने की बात नहीं कहूंगा, आप सिर्फ फैजाबाद-अयोध्या चले जाइए, राम आसरे धनकर के घर चले जाइए और जो नया घाट निवासी बांसदेव गुप्ता मरे थे, उनके घर पर चले जाइए। आप देख लीजिए राम कोट में, आज भी उनकी एक बच्ची दवा के अभाव में मर गयी, बेटा एक छोटी से दुकान पर काम कर रहा है और बूढ़ी मां कहती है कि हमें मंदिर से नहीं मतलब, हमारे बच्चे चले गए इस मंदिर के निर्माण के लिए और हममें जुनून पैदा किया गया। इस जुनून को पैदा करने के पीछे दृष्टिकोण यह नहीं था कि कभी सत्ता में आएंगे, तो मंदिर का निर्माण करेंगे, जुनून पैदा करने का दृष्टिकोण केवल देश की सत्ता में आने का था। इसके सिवाय इनका कोई और प्रयोजन नहीं था...(व्यवधान) अगर कोई मकसद होता तो निश्चित तौर से करते। अब यह देश चाहता है।...(व्यवधान)

अगर कोई मकसद होता तो निश्चित तौर से ...(व्यवधान) इस आयोग की सिफारिशों को गंभीरता से सुनिये। पूरा देश देख रहा है कि इस आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों में जो गुनाहगार लोग हैं, उनको कब हम एक्सपीडाइट करेंगे। धर्म और जाति का राजनीति में जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर रोक लगे, यह पूरे देश का हिंदू और मुसलमान चाहता है, इस देश की 100 करोड़ जनता चाहती है। लोग चाहते हैं कि इसके लिए कोई प्राधिकरण बने, राष्ट्रीय एकता परिषद् को कानूनी मान्यता दी जाए या विवादित मुद्दे के हल के लिए राष्ट्रीय आयोग बने। मैं पूछना चाहता हूं कि इस मुद्दे को हल करने के लिए सवा छह बरस तक जब भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार थी तो उसने क्या किया? उस सरकार ने कभी पहल भी की, परस्पर सहमति पर कोई बैठक हुई, कोई प्रयास हुआ, कोई रैफरेंस भेजने की बात हुई? मैं समझता हूं कि कोई प्रयास नहीं हुआ। यह मुद्दा

उनका सियासी मुद्दा है, ये राम के पुजारी नहीं हैं, ये राम के व्यापारी हैं और राम का व्यापार करते हैं और केवल सत्ता में आने के लिए राम का नाम लेते हैं। 6 दिसम्बर,1992 के बाद जो 3000 दंगे हुए, अगर गुनाहगार को निश्चित तौर से सजा नहीं होगी ...(व्यवधान) कोई ऐसा शहर नहीं था जहां दंगे न हुए हों, बेगुनाह लोगों की जान न गयी हो। ...(व्यवधान) आप सुनिये और अगर आपके पास कोई जवाब है तो दीजिएगा, मैं समझता हूं कि आज इस लिब्राहन कमीनशन से अभियुक्तों को चिन्हित करने का काम हम नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आज पूरा देश 6 दिसम्बर 1992 में देख रहा था कि नेता प्रतिपक्ष खड़े थे, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी खड़े थे, उमा भारती जी खड़ी थीं, विनय कटियार जी, ऋतम्भरा जी, अशोक सिंघल जी खड़े थे। ...(व्यवधान) इनका ज्ञान मैं दूर कर दूं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, 6दिसम्बर को जब यह तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, 4 दिसम्बर को फैजाबाद में जगदम्बिका पाल, निर्मल खत्री, कांग्रेस के नवल किशोर शर्मा राष्ट्रीय महासचिव, जितेन्द्र प्रसाद , प्रमोद तिवारी हम सभी लोग उत्तर प्रदेश सरकार की बर्खाश्तगी की मांग कर रहे थे, आप अपना ज्ञान दूर कर लीजिए। चार दिसम्बर को हम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 6 को आपने ढांचा तोड़ा है। आप अपना ज्ञान सही कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के निर्णय भी आते हैं, उसमें लिपि की त्रुटियां होती हैं। अगर आप उन्हें देकर के अपने गुनाहों को छिपाना चाहें, आप लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट में कहीं किसी का नाम, कहीं किसी की टिप्पणियां, कहीं किसी लिपि की त्रुटि हो, उससे अगर आप अपने गुनाह को छिपाना चाहेंगे तो आपका गुनाह छिपने वाला नहीं है। आज लिब्राहन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारियों के मामले में हो, चाहे राजनीतिक लोगों के बारे में हो, जिस तरीके से संघ परिवार, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद् को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में, धार्मिक आधार पर ...(व्यवधान) लिप्त लोगों को चिन्हित किया है ।

श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदया : नियम बताइये?

श्री लालजी टण्डन : अगर यह किसी नियम के अधीन बात होती तो मैं यह व्यवस्था का प्रश्न क्यों उठाता?

अध्यक्ष महोदया : नियम बताइये?

...(व्यवधान) *

श्री जगदम्बिका पाल : आप इन्हें बिठा दीजिए। जब आपने इन्हें इजाजत नहीं दी है तो इनका भाषण रिकार्ड में तो जा नहीं रहा है। जब बारी आयेगी, तब बोलियेगा। आपका रिकार्ड में नहीं जा रहा है...(व्यवधान) ।

15.00 hrs.

महोदया, उत्तर प्रदेश में विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद गिरी, उस समय के डीजी पुलिस ने स्वयं स्वीकार किया है कि केंद्र द्वारा 25 कम्पनियां सीआरपीएफ को दी गई थीं।...(व्यवधान) लेकिन उन्हें डिप्लॉय नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : श्री जगदम्बिका पाल के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(Interruptions) ... *

* Not recorded.

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, निश्चित तौर पर उस समय के डीजीपी ने स्वीकार किया कि केंद्र ने उस समय जो 25 कम्पनियां पैरामिलिट्री फोर्स दी थीं, उन्हें बैरकों में रखा गया। जिस समय ऐसी परिस्थितियां निर्मित भी हुईं, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें डिप्लाय करने का आदेश नहीं दिया। आज सारा देश जानता है कि केंद्र ने पैरामिलिट्री फोर्स दी थी। इनके नेता खड़े थे, नारे लग रहे थे कि अगर एक गुम्बद गिरा, तो एक धक्का और दो। आज उनके गुनाहों को पूरे देश ने देखा है, उन्हें चिह्नित करने की जरूरत नहीं है। आज उन्हें ऐसी सजा होनी चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा न हो।...(व्यवधान) महोदया, मैं कहना चाहता हूं -

> ''काश अपने मुल्क में, ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमानों को भी हो,
> पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, यह फिक्र मंदिरों के निगाहगाहों को हो ''

महोदया, आज हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत धर्मनिरपेक्षता है। यह घटना धर्मनिरपेक्षता पर कोठाराघात है। आज देश में दूसरी समस्याएं भी हैं। 50 प्रतिशत नौजवानों की आबादी है। साम्प्रदायिक मुद्दे उठाकर देश को भटकाने का काम किया गया है। इन्हें देश के नौजवानों के भविष्य की फिक्र नहीं है। आज नौजवानों के भविष्य की चिंता देश के युवा नेता राहुल गांधी को है।...(व्यवधान) वे देश के गांवों में घूम रहे हैं। क्या इन लोगों को चिंता है?...(व्यवधान) आप सुनने का साहस रखिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या रोजी-रोटी की है।...(व्यवधान)इस देश की समस्या किसानों की है, नौजवानों की है। इनके पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है।...(व्यवधान) चाहे महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, हरियाणा का चुनाव हो, उत्तरांचल का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, देश की जनता ने इनकी वायदाखिलाफी को देखा है।...(व्यवधान) जनता ने इन्हें नकार दिया है और भविष्य में भी नकार देगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ तत्काल सीबीआई कार्यवाही करे और रायबरेली तथा लखनऊ की अदालत में जो मुकदमा चल रहा है, वह जल्दी से जल्दी एक्सपडाइट हो, जिससे देश की धर्मनिरपेक्षता के गुनाहगारों को सजा मिले।

अध्यक्ष महोदया : राजनाथ सिंह जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाएं और बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री राजनाथ सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) ... **

श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद): अध्यक्ष महोदया, लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। 17 वर्षों के अंतराल के बाद लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट सदन में ले की जा चुकी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में बहुत सारी तथ्यहीन और आधारहीन बातें हैं। हम सभी जानते हैं, सारा भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि मर्यादा पुरुषोत्म भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास काटकर, धर्म और सत्य की स्थापना की और फिर पुन: अपना राज्य स्थापित किया। यानी पुन: राज्य स्थापित करने में उन्हें 14 वर्षों का समय लगा था लेकिन लिब्रहान कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 17 वर्षों का समय लगा है।...(व्यवधान) 17 वर्षों का समय लगने के बाद यह रिपोर्ट सत्य...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शांत हो जाइए।

श्री राजनाथ सिंह : 17 वर्षों का समय लगा, इस पर मुझे आपत्ति न होती लेकिन क्या सत्य है, क्या यथार्थ है, यदि इसके नजदीक कमीशन पहुंचने में सफल रहा होता । लेकिन सत्य के पास तक भी यह लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई है। 17 वर्षों का इसने समय लिया, वहीं पर करोड़ों रुपये की धनराशि इस पर खर्च हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि सत्य को इस कमीशन के द्वारा विकृत करने की कोशिश की गई है, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है।

कई बार बाबरी मस्जिद इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अध्यक्ष महोदया, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि यह जो अयोध्या का कॉम्पलैक्स है, उसे लीगल लैंग्वेज में हम राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद कॉम्पलैक्स कहते हैं लेकिन कमीशन जो एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर गिराए जाने की जांच कर रहा है और कई स्थानों पर बार-बार यह शब्द प्रयोग करता हो, बाबरी मस्जिद-बाबरी मस्जिद शब्द का प्रयोग कर रहा हो, जो लीगल लैंग्वेज राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद कॉम्पलैक्स न कहता हो, उससे हम क्या अपेक्षा करेंगे कि वह कमीशन कैसी रिपोर्ट देगा? मैं यहां पर पृष्ठ संख्या 383 के पैरा नं. 63.6 के अंतिम पंक्ति का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें विवादित ढाँचे को बाबरी मस्जिद कहा गया है। उसके बाद कमीशन की रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 494 के पैरा 74.1 और 74.2 की 7वीं पंक्ति में भी इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को बाबरी मस्जिद कहा गया है और मैं कहना चाहता हूं कि यह वैधानिक, सामाजिक और एतिहासिक दृष्टि से भी यह पूरी तरह से गलत है। मैं पूरी तरह से इसे कंडैम करता हूं। इसे राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद कॉम्पलैक्स कहा जाना चाहिए। इसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाना चाहिए। इसे बाबरी मस्जिद किसी भी सूरत में नहीं कहा जाना चाहिए। क्या कमीशन ने इस पर विचार नहीं किया कि वह बार-बार बाबरी मस्जिद इस शब्द का प्रयोग कर रहा है? लोगों की धार्मिक भावनाओं की संवेदनाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या कमीशन ने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया? मेरा यह कहना है कि चाहे संसद हो अथवा संसद के बाहर हो, इस बाबरी मस्जिद

* Not recorded.

का प्रयोग बंद होना चाहिए, इसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाना चाहिए अथवा जो कॉम्पलैक्स की लीगल लैंग्वेज है, उसका प्रयोग करना चाहिए लेकिन यदि इतिहास के पीछे जाकर कोई इसे बाबरी मस्जिद कहना ही चाहता है तो मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि इतिहास के पीछे जाने की दूरी क्या होगी, यह किसी की मर्जी के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। कहां तक इतिहास के पीछे वह जाएगा, उसकी मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह किसको नहीं मालूम कि वहां पर राम मंदिर था। बाबर के सेनापति मीर बातीरहीम ने 1528 में उसका वहां डिमोलीशन कराया है और मस्जिद बनवाने की उसने कोशिश की है, इस सच्चाई को कौन नकार सकता है? मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पूरी की पूरी रिपोर्ट भारी गलतियों का एक पुलिंदा है। तथ्यों के प्रति पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है और पूरी तरह से उसकी उपेक्षा इस रिपोर्ट में दिखाई गई है। महोदया, मैं अपने आप को पूरी तरह से लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा गया है, उसी पर सीमित रखते हुए पृष्ठ संख्या 270 के पैरा 46.8 का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा है-एडीजी, इंटेलीजेंस। यह कौन नाम है, यह कौन था? एडीजी कौन था और ये कार सेवा में शामिल थे? आंदोलन में शामिल थे? यह भी तो लिब्रहान कमीशन को लिखना चाहिए था कि केवल एडीजी इंटेलीजेंस ही केवल थे या एडीजी इंटेलीजेंस का पूरा ऑफिस इस आंदोलन में शामिल था?...(व्यवधान) पेज 239 के पैरा 47.5 में लिखा है - लीडर्स ऑफ मुस्लिम। लीडर्स ऑफ मुस्लिम में कौन है? इसका कोई अता-पता नहीं है। इसमें किसी के बारे में नहीं लिखा कि कौन नेता है जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया है। इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा बलंडर किया गया है और मंडल कमीशन रिपोर्ट की चर्चा करते हुए लिखा गया है -

> "The ordinance for acquisition of the land, which was issued on the 19th of October 1990 was subsequently withdrawn on the 20th October, 1990. In the meantime, Government led by Shri V.P. Singh declared the decision regarding implementation of Mandal Commission Report providing reservations for Scheduled Castes, etc. "

मंडल कमीशन की रिपोर्ट शैड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के लिए नहीं थी, यह कमीशन की जानकारी है जिसका इसमें उल्लेख किया गया है। ...(व्यवधान) मोरोपंत पिंगले, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के एक अखिल भारतीय प्रचारक रहे हैं, उनको कहा गया कि शिव सेना पॉलिटिकल पार्टी के एक मैम्बर थे। रिपोर्ट के पेज 275 के पैरा 46.7 में, हमारे सदन के सम्मानित सदस्य, जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, जमदम्बिका पाल का नाम भी कार सेवकों के सूची में शामिल है।...(व्यवधान) मैं कार सेवक जगदम्बिका पाल जी का स्वागत करता हूं।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, मेरा नाम लिया गया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने आपका नाम लिया है। आपको स्पष्टीकरण देना है तो जब राजनाथ जी जब अपनी बात समाप्त करेंगे, मैं आपको एक मिनट का समय दूंगी।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, मेरा नाम लिया गया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं आपको एक मिनट का समय दूंगी। ठीक है, आप अपनी बात रेज़ कर रहे हैं तो आप अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं जगदम्बिका पाल कार सेवक का स्वागत करता हूं। उन्हें यह बात मालूम होगी कि मैं वर्ष 1982 में कांग्रेस एमएलसी चुना गया, 1988 में कांग्रेस एमएलसी चुना गया और मैं 1993 में कांग्रेस एमएलए था। जिस समय ये ढहा रहे थे या जो भी कर रहे थे, उसके खिलाफ उस समय जो आंदोलन कर रहे थे, हम उसका नेतृत्व कर रहे थे। न तो कहीं कार सेवक जगदम्बिका पाल थे और न कहीं कुछ थे।...(व्यवधान) अगर जगदम्बिका पाल कर रहे थे, ये कह दें...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका स्पष्टीकरण हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, असत्य बात कह रहे हैं।...(व्यवधान) मैं अपनी बात कह दूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। वे अपनी बात कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : योगी आदित्यनाथ, आप हर समय क्यों खड़े हो जाते हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आज जैसे इन लोगों ने देश को गुमराह किया, ऐसे ही राजनाथ सिंह सदन को गुमराह करके अगर मेरा नाम ले रहे हैं। निश्चित तौर से आप जानते हैं कि उस समय मैं उनकी सरकार की मुखालफत कर रहा था...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आपका स्पष्टीकरण हो गया है, अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि कार सेवक, श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं।...(व्यवधान)

महोदया, मैं सदन को यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि 1982 में ये कांग्रेस के एमएलसी थे लेकिन कांग्रेस में रहते हुए कार सेवा में भाग लिया है, यही लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट है।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, मेरा नाम लिया गया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। अब आप शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वह यील्ड नहीं कर रहे हैं। अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया : आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है, अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : मैडम, इस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मुझे कहना है कि इस कमीशन की रिपोर्ट एक खास उद्देश्य को लेकर, पूरी तरह स्पेशल परपज से सधे हुए राजनीतिक एजेंडा के रूप में लिखी हुई मुझे प्रतीत होती है। मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, उसी कमीशन की रिपोर्ट के पेज नं. 362 के पैरा 61.05 में लिखा है -

> "A mad race designed to embarrass the Congress Party by BJP and other members of the Sangh Parivaar."

अर्थात यह आंदोलन जो जनांदोलन था, वह कांग्रेस को संकट में, मुसीबत में, समस्या में डालने के लिए किया जा रहा था, कमीशन का यह एक पोलिटिकल स्टेटमैन्ट नहीं है, इसे और क्या कहा जाए। वहीं रिपोर्ट के पेज 597 पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर ही लिखा हुआ है और उसमें लिखा है -

"The failure of BJP as an irresponsible political party... "...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आरुन रशीद जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : मैडम स्पीकर, किसी भी कमीशन को पोलिटिकल कमैन्ट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ...(व्यवधान) एक ऐसी पोलिटिकल पार्टी, जो आज भारत के दोनों सदनों की प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो और जो छः वर्षों तक इस हिंदुस्तान में सरकार चला चुकी हो। लिब्रहान कमीशन इस पार्टी को इर्रिस्पांसिबल पार्टी कहेगा। हम उसे कंडैम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बारे में इनका यह जो पोलिटिकल कमैन्ट है, उस पोलिटिकल कमैन्ट के लहजे को हम देखें, पोलिटिकल कमैन्ट के अंदाज को हम देखें तो मैं समझता हूं कि

---

* Not recorded.

जो हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं समझता हूं कि इस पर पूरी संसद को भी विचार करना चाहिए। ...(व्यवधान)

महोदया, लिब्रहान कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेन्स में पेज 4 पैरा 2.11 में लिखा है -

"To find out the sequence of events, and all the facts and circumstances relating to the event of 6th December, 1992."

6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे का जो विध्वंस हुआ, जो विवादित ढांचा गिरा, वह एक स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर था, उसने इस ढांचे को गिरा दिया। मैं यह मानता हूं कि उस दिन अयोध्या में जो कुछ भी घटित हुआ, वह पूरी तरह से सारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि सारे देश भर का जनाक्रोश था। ...(व्यवधान) यह एक जनभावना अनियंत्रित अभिव्यक्ति थी, यह मैं मानता हूं। ...(व्यवधान)

मैडम, मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया है कि स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया नहीं थी, एक तरफ लिब्रहान कमीशन अपनी रिपोर्ट में यह बात कह रहे हैं और यह कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की यह कांस्पिरेसी थी तो वही दूसरी तरफ लिब्रहान कमीशन ने इसे कंट्राडिक्ट करने का काम भी किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किस आधार पर लिब्रहान कमीशन ने कह दिया कि यह एक कांस्पिरेसी थी। क्या लिब्रहान कमीशन को यह विचार नहीं करना चाहिए था कि वह डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो जनभावना के आक्रोश के कारण गिरा है, उसके पीछे कौन सी परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या यह कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती और केवल कुछ घंटे की घटनाओं के सिक्वैन्स के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। स्वतःस्फूर्त जनाक्रोश के परिणामस्वरूप यह विवादित ढांचा गिरा है अथवा किसी कांस्पिरेसी के कारण ही यह विवादित ढांचा गिरा है। यदि सचमुच विश्लेषण सही तरीके से करना है तो वर्षों, दशकों और शताब्दियों के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखना होगा, तब जाकर यह बतलाया जा सकता है कि वह विवादित ढ़ांचा कैसे गिरा? इस सच्चाई को कौन नहीं जानता है? 1528 में मीर बांकी जो बाबर का कमांडर था...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुन लीजिए, शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, अयोध्या भगवान राम से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थान है। वहां पर मीर बांकी ने तोड़कर मस्जिद बनायी। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं। यह ऐतिहासिक रूप से स्थापित है। अबुल फजल की आइने अकबरी में अयोध्या को राम का जन्मस्थान और अत्यंत पवित्र स्थल माना गया है।

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I would like to seek a clarification. How does he reach the conclusion that… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No clarifications please. You may please take your seat.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : योगी जी, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): वह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर था।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : विष्णु पद राय जी, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, 1816 में लिखी हुई नसीहत-ए-बिस्त-ओ-पंजमहज-चहलनिसाही-बहादुरशाही में स्वयं औरंगजेब की पौत्री द्वारा जन्मभूमि के विध्वंस और वहां बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कही गयी है। कोई भी वह पुस्तक उठाकर देख सकता है। 1885 में लखनऊ से फारसी में प्रकाशित गुस्त-ए-हालात, हालात-ए-अयोध्या अवध में मौलवी अब्दुल करीम ने भी यही लिखा है। 1973 में लखनऊ के प्रतिष्ठित मुस्लिम धार्मिक विश्वविद्यालय नदवातुल उलेमा के प्रमुख मौलाना अब्दुल हसन नदवी, जिन्हें हम लोग सम्मानपूर्वक अली मियां कहकर पुकारते हैं ने अपने पिता की अरबी में लिखी हुयी पुस्तक हिन्दुस्तान इस्लामी अहद में का उर्दू अनुवाद किया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1977 में हुआ है। इसमें यह लिखा है कि जहां हिन्दुओं की मान्यता थी, उसी के स्थान पर बाबर ने मस्जिद बनायी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): महोदया, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ये ऐसी बातें बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्या नहीं कर सकते, क्या हो गया? आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जब आपका समय आएगा, आप तब बोलिएगा।

…(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, यदि मेरी बात गलत हो कल का भी समय इस लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उसे उस समय कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। इस समय शोर-शराबा न करें, मैं चेयर के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

श्री राजनाथ सिंह : जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, चाहे वह विलियम फिंच हों, जोजेफ डिफेंटलर हों, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी का गजट हो, सबमें इस बात का उल्लेख है कि वहां मस्जिद खड़ी कर देने के बाद भी निरन्तर हिन्दू तीर्थ यात्री आते थे, उसके बाहर भजन कीर्तन करते थे और वहां पूजा होती थी। ऑर्किलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1934 में अयोध्या के प्राचीन स्थलों के खोजबीन का काम शुरू किया था। उस समय भी उसने इसे जन्मभूमि के रूप में लिखा है और वहाँ पर लिखा हुआ है - "This is site No.1 Janmabhoomi." इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी घटना की श्रृंखलाएँ हैं, ये इतनी पुरानी हैं कि जब न हमारी संसद थी, न हमारी सरकारें थीं। मैं समझता हूँ कि उन सारी घटनाओं का विश्लेषण कमीशन को करना चाहिए था, लेकिन इन घटनाओं का विश्लेषण उसने नहीं किया। यह भी लिखा कि "There was no order to prohibit Muslims to perform *Namaz*, but no *Namaz* was done since 1934."

यानी 1934 से कोई नमाज़ वहाँ पढ़ी ही नहीं गई। 1934 से वहाँ पर कोई [illegible] नहीं पढ़ी जा रही है …(व्यवधान) जो कमीशन ने कहा है, वह मैं कह रहा हूँ। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्लीज़ आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : 1949 में वहां मूर्तियों की स्थापना हुई और न्यायालय के आदेश से वहाँ तब से पूजा-अर्चना अनवरत चल रही है। …(व्यवधान) मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जब 1949 से बराबर वहाँ पर मूर्तियों की पूजा हो रही है और वहाँ पर नमाज़ अदा नहीं की जा रही थी तो सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी तरफ से क्या प्रयत्न किया? …(व्यवधान) मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि 1986 …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Rajnath Singh says.

*(Interruptions) …**

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Speaker, with great respect to the hon. Member, I want to submit a couple of facts for his kind consideration and also for your consideration.… (*Interruptions*) Madam, a title suit is pending on whether it was a mosque or a temple earlier; and whether *Namaz or pooja* was performed. All these are issues which are in the title suit and are related matters. We are not here deciding issues in the title suit. The only issue we are discussing is…

---

* Not recorded.

(*Interruptions*) Geete Ji, please sit down. I am allowed to speak. We are not debating the title suit here. If I may say with greatest respect, that is a matter which is *sub judice* and we cannot debate it in this House.

Liberhan Commission was appointed to find out the circumstances and events leading to the demolition of, what they call, what the Terms of Reference calls, Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid structure. The only thing we are discussing is, who demolished it. That is the only issue we are discussing here. No other issue is here.… (*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (VARANASI): This is gross misrepresentation. The Terms of Reference says “to go into the circumstances of demolition”. The whole gamut of circumstances should be gone into.… (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Dr. Joshi, circumstances leading to the demolition of the structure is the only issue here.… (*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Historical, political, geographical, and administrative circumstances should be gone into. The Commission itself says it. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. There is a case pending, The matter is *sub judice*. Please be aware of it and be conscious of it all the time. When you are speaking, please speak in such a manner that your statement does not prejudice the case. Discussing the Liberhan Commission Report is a separate issue which we are doing today under Rule 193. Let us confine ourselves only to that.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : We have to point out the inaccuracies in the Report.

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदयां, अभी जो माननीय. गृह मंत्री जी ने कहा कि इस समय मामला सब-ज्यूडिस है, मैं समझता हूं कि अगर मामला सब-ज्यूडिस है, तब तो लिब्रहान कमिशन की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा कौन सा ऐसा आर्गुमेंट है अथवा हमारे कौन से ऐसे फेक्ट्स हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकत[illegible] कि कोर्ट का फैंसला अथवा कोर्ट की कार्यवाही किसी हद तक प्रभावित हो। उसके लिए भी तर्क देना होगा। मैं यह कहना चाहता था कि लिब्रहान कमिशन की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि फरवरी, 1986 में न्यायालय ने एक कदम और आगे जाकर रामजन्म भूमि का ताला खोलने का आदेश दे दिया। नवम्बर, 1989 में श्रीराम जन्म भूमि का शिलान्यास भी हुआ।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1949 से वहां पूजा हो रही था, वह मन्दिर में हो रही थी या मस्ज़िद में हो रही थी? जिसका ताला खुला और शिलान्यास हुआ, वह मंदिर था या मस्ज़िद थी, यह भी मैं सरकार से जानना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Rajnath Singh is saying.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। जगदम्बिका पाल जी, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। आप अपनी बारी में बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है, यदि आप मुझ से जानना चाहते हैं कि आप बताइए किस का ताला खुला तो मैं कह दूंगा कि वहां मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, अगर इस घटना की पृष्ठभूमि में भी हम जाना चाहें तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी हुआ है, सचमुच इस मामले में जो धर्म में आस्था रखने वाले लोग थे, उन्हें जो न्याय एवं इंसाफ मिलना चाहिए था, वह न मिलने के कारण ही इस प्रकार का जन आक्रोश पैदा हुआ और वह डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर धराशायी हुआ। ...(व्यवधान)

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): इतना गुस्सा आ गया कि मंदिर ही तोड़ दिया।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : मैं गुस्से में नहीं हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मदन लाल शर्मा जी, आप बैठ जाइए।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, इस सदन के एक सम्मानित सदस्य, हमारे युवा साथी श्री राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट सभी लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि यदि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री होता तो ऐसा

---

* Not recorded.

कभी न होने पाता। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1949 में मूर्ति स्थापित होने के समय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जी थे और सन् 1989 में शिलान्यास के समय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी थे तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी थे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाइए, आपकी बारी हो चुकी है।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : मैडम स्पीकर, यदि 6 दिसम्बर, 1992 की घटना की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड का पूरी तरह से एनैलेसिस किया गया होता, तो लिबरहान कमीशन, शाहबानो केस को किसी भी सूरत में नहीं भुला सकता था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1986 में शाहबानो केस में न्यायालय का फैसला आया, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किस तरह से कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए। ...(व्यवधान)

मैडर स्पीकर, एक तरफ न्यायालय के फैसले को नकारा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ, जो एक सबसे बड़ा, बहुसंख्यक समाज, जिसे हिन्दू समाज और सिख समाज कहते हैं उन सारे लोगों से यह कहा जा रहा है कि तुम कोर्ट के आदेश मान लो ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइए। श्री राजनाथ सिंह जी के भाषण के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजनाथ सिंह : मैडर स्पीकर, यदि माननीय सदस्य डिस्टर्ब न करें, तो मैं अपना भाषण आधे घंटे में समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदया : अब आप जल्दी समाप्त करें।

मैं माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगी कि वे डिस्टर्ब न करें।

श्री राजनाथ सिंह : मैडम स्पीकर, मैं लिबरहान आयोग की रिपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में, 30 अक्तूबर और 2 नवम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गोली चलाई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वे सम्मानित सदस्य, हमारे सदन में ही उपस्थित हैं, उस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि उसके कारण भी एक साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हुआ। उसका भी इस लिबरहान कमीशन की रिपोर्ट में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्टर गिरने के बाद ही, आर.एस.एस., वी.एच.पी. और इन सारे दलों, संगठन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। प्रतिबन्ध लगाने के बाद, जस्टिस बाहरी, जो सिटिंग जज थे, उनकी चेयरमैनशिप में एक ट्रिब्यूनल बना, जिसे बाहरी ट्रिब्यूनल का नाम दिया गया, उसने अपनी जजमेंट दी। उस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के पेज नंबर 72 पर, सरकार के इंटैलीजेंस विभाग द्वारा, यह माना गया है कि सितम्बर से दिसम्बर, 1990 के मध्य देश में साम्प्रदायिक

तनाव चरम पर था, यानी बाहरी ट्रिब्यूनल इस बात को स्वीकार कर रहा है, लेकिन लिबरहान कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है। मैं यहां यह उल्लेख भी करना चाहूंगा कि ये सब जो परिस्थितियां थीं, इनका उल्लेख लिबरहान कमीशन को अपनी रिपोर्ट में करना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट में इन सारी घटनाओं और परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया है।

मैडम स्पीकर, मैं कहना चाहता हूं कि उस समय बहुत सारे भड़काऊ बयान भी दिए गए। कहा गया कि गणतंत्र दिवस का बहिष्कार होना चाहिए। किसी ने भारत माता को डायन कह दिया। कहा गया कि भारत माता ऐसी डायन है, जो हम सभी लोगों को निगल जाना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करती। हम जाति और मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त हो जाइए।

श्री राजनाथ सिंह : मैडम स्पीकर, चाहे कोई बहुसंख्यक समाज हो या अल्पसंख्यक, यदि उसे बराबर टीज करने और चिढ़ाने की कोशिश की जाएगी, यदि कोई इंसाफ मांगता है और उसे देने में यदि विलम्ब किया जाएगा या टालमटोल की जाएगी, तो स्वतः प्रतिक्रिया होगी। हम लोगों ने ऐसी प्रतिक्रिया इस घटने से पहले भी देखी है और 6 दिसम्बर, 1992 को जो हुआ, उसे भी हम लोगों ने देखा। जब वह स्ट्रक्चर गिरा, तो लिबरहान कमीशन को उसमें कांस्पीरेसी दिखने लगी।

मैडम स्पीकर, यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 6 दिसम्बर, 1992 से केवल कुछ माह पहले की ही अनेक घटनाएं ऐसी हैं, जिनका कि लिबरहान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया है। वर्ष 1991 में कांग्रेस की सरकार थी। मैं उस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने हिन्दू और मुस्लिम, दोनों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया, जिसका उल्लेख लिबरहान कमीशन ने पेज सं.126 के पैराग्राफ 30.1 में किया है। उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से जो विद्वान उपस्थित थे, वे बिना एवीडेंस दिये, बिना सबूत दिये उठकर चले गये थे। लिब्रहान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं किया था। इसके बाद पेज 195 के पैरा 40.2 में लिखा है: "...no further time would be given after 23rd October, 1992." माने, यह अल्टीमेटम कमीशन के द्वारा दिये जाने के बावजूद एक्शन कमेटी की तरफ के विद्वान 92 में अगली बैठक में लिखित सबूत लाना तो दूर, वे स्वयं उपस्थित भी नहीं हुए, इसको भी लिब्रहान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मैंशन नहीं किया है। स्वाभाविक है कि बातचीत के द्वारा जो इसका समाधान निकलना चाहिए था, वह समाधान निकलना सम्भव नहीं हो पाया। घटना की पृष्ठभूमि में इतने महत्वपूर्ण पक्ष का उल्लेख न होना, मैं यह मानता हूं कि यह कमीशन का एक पूर्वाग्रह है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो इस समय हमारे सदन में सम्मानित सदस्य हैं, श्री कल्याण सिंह जी, उनके सम्बन्ध में लिखा है। कल्याण सिंह जी की यह कहते हुए आलोचना की कि वे कारसेवकों पर गोली चलाने के पक्ष में नहीं थे और रिपोर्ट के पेज 134 के पैरा 30.2 और 30.4 और पैरा 37.16 में यह लिखा कि पहले मुख्यमंत्री

श्री कल्याण सिंह ने दिसम्बर, 1991 में, फिर जुलाई, 1992 में प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हाराव जी से कारसेवकों पर बलप्रयोग करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। यह कह दिया था कि हम गोली नहीं चला सकते। यह कल्याण सिंह जी ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार थी तो उस समय जो गोली चलाई गई थी, उसके कारण एक व्यापक प्रतिक्रिया सारे देभ भर में हुई थी। उसी का तर्क देते हुए कल्याण सिंह जी ने दो बार उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव जी से कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे। ...(व्यवधान)

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): दोनों की मिलीभगत से गोली चलाई गई।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

श्री राजनाथ सिंह : लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आयोग ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दिसम्बर, 1991 और जुलाई, 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार का यह विचार, यह मंतव्य जानने के बावजूद केन्द्र सरकार ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है।

रिपोर्ट के पेज नं. 122 और पैरा 29.30 में एक कमेटी का जिक्र है, उस कमेटी में हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरोंसिंह जी शेखावत और यहां पर हमारे माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी उसमें थे। कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि यह कमेटी क्यों काम नहीं कर पाई। इसका भी उल्लेख होना चाहिए था, लेकिन लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। स्वयं कमीशन ने पेज नं. 154 में लिखा है, एक अप्रैल, 1992 को रामनवमी के दिन अयोध्या में सात लाख लोग एकत्रित थे और सब कुछ शान्ति से निपट गया। 1992 में जब कारसेवा की घोषणा हुई, उस समय बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और 6 दिसम्बर, 1992 से अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे तो कमीशन को कम से कम इस का संज्ञान लेना चाहिए था कि 6 दिसम्बर, 1992 से अधिक संख्या में कई बार कारसेवक वहां एकत्रित हो चुके, लेकिन कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने पाई। जो डिस्प्यूटिड स्ट्रक्चर था, उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची तो 6 दिसम्बर, 1992 को ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई कॉग्नीजेंस लेने की कोशिश लिब्रहान कमीशन ने नहीं की है। यदि पहले की सारी डेट्स इतना बड़ा हुजूम होने के बावजूद इतनी शान्तिपूर्वक गुजर गईं तो 6 दिसम्बर, 1992 को ही ऐसा क्यों हुआ। यह सब की जानकारी में है कि 2.77 एकड़ जो डिस्प्यूटिड लैंड है, जिसे डिस्प्यूटिड लैंड कहते हैं, उसके चारों तरफ 67 एकड़ की जो लैंड है, वह यू.पी. गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर की गई थी और 11 दिसम्बर, 1992 को उस पर जजमेंट आने वाला था, लेकिन सरकार के द्वारा एक बार भी यह कोर्ट में अपील नहीं की गई, कोर्ट से रिक्वैस्ट नहीं की गई कि वह 6 दिसम्बर, 1992 के पहले वह जजमेंट आ जाये, ताकि इस प्रकार का जनाक्रोश को शान्त किया जा सके। इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं हुई। इसीलिए मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि यह आयोग एक स्वस्थ और निष्पक्ष विचार से नहीं, बल्कि दोषारोपण की एक निश्चित मनोवृत्ति से काम कर रहा था। रिपोर्ट के पेज 222 में कहा गया है:

"…the news report cannot be said to be false even if it may be an exaggerated version."

यानी समाचार-पत्रों में जो कुछ भी भले ही वह अतिरंजित हो, वह लिब्रहान कमीशन के लिए विश्वसनीय है। पेज नंबर 248 के पैरा 43.3 (1) में विश्व हिंदु परिषद के नेताओं के बारे में कहा गया है, "They ostensibly told the *Kar Sevaks* to construct the temple". जो अपील कर रहे थे, वह दिखावा था। यह कैसे इलहम हो गया लिब्रहान कमीशन को कि वह वास्तव में कारसेवकों को मना कर रहे थे , एक दिखावा मात्र था? पेज नंबर 250 पर पैरा 44.2 पर लिखा है, "This is a sham paper decision of symbolic *kar seva*".

रिपोर्ट के पेज 255 के पैरा 56 में कारसेवकों से रूकने की अपील के विषय में कमीशन ने लिखा है कि "feeble requests for media benefit." यानी मीडिया का लाभ उठाने के लिए, सारे नेता लोग कारसेवकों से बहुत ही कमजोर अपील कर रहे थे, नाममात्र की अपील कर रहे थे। यह इलहम लिब्रहान कमीशन को कैसे हुआ? ...(व्यवधान) रिपोर्ट के पेज 502 के पैरा 76.8 में मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोगों के बारे में कमीशन ने कुछ कमेंट किया है। इसने कहा है, "little men with king-sized egos." मैडम क्या किसी कमीशन को, किसी व्यक्ति को यह इजाजत दी जा सकती है? जिन लोगों का नाम उन्होंने लिस्ट में दिया है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, क्या वह लिटिल मैन हो गए? श्री लालकृष्ण आडवाणी जी क्या लिटिल मैन होंगे, डा. मुरली मनोहर जोशी क्या लिटिल मैन होंगे? ...(व्यवधान) मैडम स्पीकर, कमीशन को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : मैडम स्पीकर, जो बड़ा होता है, वह किसी को छोटा नहीं कहता है। मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम ने समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठी सबरी के घर जाकर उसका झूठा बेर खाने का काम किया था। मर्यादा पुरूषोत्तम राम बड़े थे। जस्टिस लिब्रहान किसी को लिटिल मैन कहेंगे, मैं इसे कंडेम्न करता हूं। ...(व्यवधान) मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे सदन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जस्टिस लिब्रहान 17 वर्षों में एक बार भी अयोध्या नहीं गए। ...(व्यवधान) पूरी कमीशन एक बार भी अयोध्या नहीं गयी और सारी रिपोर्ट आपने तैयार कर दी है।

मैडम, मुझे लगता है कि शायद लिब्रहान आयोग को एक नयी दृष्टि प्राप्त थी, जैसे धृतराष्ट्र को संजय के रूप में एक नयी दृष्टि प्राप्त थी, वैसे ही लिब्रहान को एक नयी दृष्टि प्राप्त थी। ...(व्यवधान) हस्तिनापुर में बैठे-बैठे संजय ने दोनों आंखों से अंधे धृतराष्ट्र को कुरूक्षेत्र की सारी दास्तान सुना डाली, सारा वृत्तान्त उन्हें सुना डाला। मैं इस संजय से पूछना चाहता हूं कि आप किस धृतराष्ट्र को सुनाना चाहते थे ? कौन था वह धृतराष्ट्र? ...(व्यवधान)

हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय डा. जोशी, ये सूडो-माडरेट होंगे। यह इलहम कैसे हो गया आपको कि ये सूडो-माडरेट हैं? यह पालिटिकल कमेंट करने का अधिकार किसी भी कमीशन को नहीं दिया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं, जो कमेंट

किया है लिब्रहान कमीशन ने, यह नैतिक दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से पूरी तरह से एक अनाधिकार चेष्टा करने की कोशिश की है।

आगे रिपोर्ट में पेज 492 में पैरा 16.6 में लिखा है, "It cannot be assumed even for a moment that L.K. Advani, Atal Bihari Vajpayee or Murli Manohar Joshi did not know the designs of the *Sangh Parivar*". रिपोर्ट की इन पंक्तियों से पूरी तरह साफ है कि आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और सर्वमान्य नेता वाजपेयी जी के खिलाफ दोषारोपण जो किया गया है, वह तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि केवल एजम्पशन के आधार पर, अनुमान के आधार पर किया गया है। उनकी रिपोर्ट से ही मैंने कांक्ल्यूजन निकाला है। ...(व्यवधान) हमारा कहना है कि किसी भी कमीशन अथवा किसी भी व्यक्ति को यदि किसी घटना की जांच करनी चाहिए तो जांच का आधार इनडक्टिव लॉजिक होना चाहिए यानी जो तथ्य मिलें, जो साक्ष्य मिलें, उनके अनुसार निष्कर्ष या किसी कनक्लूज़न पर पहुंचा जाए। लेकिन लिब्रहान कमीशन ने जो कुछ भी लिखा है, वह इनडक्टिव लॉजिक के आधार पर नहीं लिखा है बल्कि डिडक्टिव लॉजिक के आधार पर लिखा है। उनका पहले से डिज़ायर्ड कनक्लूज़न था, पहले से तय कर लिया था कि हमें किस निष्कर्ष पर पहुंचना है। उस हिसाब से सारे तथ्य और साक्ष्य उन्होंने उसमें डालने की कोशिश की है।

मैं उल्लेख करना चाहूंगा। रिपोर्ट के पेज 286 पै 0.6 में लिखा है -

"The inquiry demands an insightful analysis of the situation by weeding out the communal, institutional or other bias from the statements of the witnesses and by precluding the possibility of hindsight bias, that is, remembering the fact consistent with the desired conclusion."

मतलब डिज़ायर्ड कनक्लूज़न को हासिल करने के लिए उन्होंने इनडक्टिव लॉजिक का नहीं बल्कि डिडक्टिव लॉजिक का सहारा लिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह पूरी रिपोर्ट, this is a political document for character assassination. हमारा इस संबंध में सब मिला-जुलाकर यही कमैंट है। मैं कहना चाहूंगा कि कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने में कानूनी मानदंडों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। इसीलिए मैं इसे पोलीटिकल डौक्यूमैंट कह रहा हूं।

रिपोर्ट के पेज 335 के पैरा 57.4 में कहा गया है - राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसलिए साम्प्रदायिक है क्योंकि संगठन का आग्रह हिन्दुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नीतियों पर रहता है। महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में हिन्दुत्व को डिफाइन करते हुए कहा -This is a way of life. यह जीवन शैली है, इसे जाति और मजहब की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट को भी आप कहेंगे कि वह कम्युनल है। यह सुप्रीम कोर्ट की डैफिनेशन है। इतना ही नहीं, मैं एक और केस का हवाला देना चाहूंगा। 1996 में रमेश यशवंत प्रभु बनाम् प्रभाकर काचीनाथ कुंडे के चुनाव के लिए अयोग्य ठहराने की याचिका पर अपना निर्णय देते हुए वॉल्यूम 1, पेज 162, पैरा 44 में लिखा है -

"It is an error of law to assume Hindutva as communal."

अत: संघ को केवल हिन्दुत्व की विचारधारा के आधार पर साम्प्रदायिक कहना राजनीतिक विद्वेष ही नहीं, बल्कि कानून की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। आश्चर्य है कि सरकार ने अपनी एटीआर की जो रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की है, उसमें भी लिखा है - The matter will be examined further.

किस मैटर को ऐग्ज़ामिन करेंगे, क्या ऐग्ज़ामिन करेंगे जिसे आपको एटीआर में लिखने की जरूरत पड़ी। मैं कहना चाहूंगा कि हिन्दुइज़्म में विश्वास करने वाले किसी व्यक्ति ने न तो कभी किसी के ऊपर आक्रमण किया है और न कभी किसी प्रकार के कन्वर्ज़न को प्रमोट करने की इस देश में कोशिश की है, यह बच्चा-बच्चा जानता है। Hinduism never went for invasion and never propagated conversion.

इस सच्चाई को भी समझना चाहिए।

जहां तक हिन्दुत्व का प्रश्न है - इसमें विश्वास रखने वालों ने ही " वसुधैव कुटुम्बकम् " का संदेश केवल भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों के लिये नहीं बल्कि पूरी धरती पर रहने वाले जितने लोग हैं, सबके लिए दिया गया है। मुझे आश्चर्य ही नहीं वेदना भी है कि जिन 68 लोगों को विध्वंस का षडयंत्रकारी माना गया है, उसमें देवराह बाबा का नाम भी लिया गया है। देवराह बाबा जैसे व्यक्ति, जो ढाई वर्ष पहले ही ब्रह्मलीन हो चुके थे, सारा राष्ट्र इस बात को जानता है कि वे कैसे संत थे। उनके प्रति जन-सामान्य की कैसी आस्था और श्रद्धा थी। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी ने 1954 में कुंभ मेले में जाकर सार्वजनिक रूप से बैठकर देवराह बाबा की पूजा की थी, अर्चना की थी। साथ में पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री के.आर. मुंशी और मुख्य मंत्री डा. सम्पूर्णानंद एवं चंद्रभान गुप्त भी उपस्थित थे। 1948 में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी उनके दर्शन करने के लिए वहां गए थे और उनके बारे में टंडन जी का क्या कमैंट था, मैं समयाभाव के कारण उसका उल्लेख नहीं करूंगा। 1911 में किंग जार्ज पंचम देवराह बाबा का दर्शन करने गए थे। हमारे देश की प्रधान मंत्री रहीं श्रीमती इंदिरा गांधी भी कई बार देवराह बाबा के दर्शन करने गईं। वे वर्ष 1977 में पराजित होने के बाद भी उनके दर्शन करने गयी थीं। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी 6 नवम्बर, 1989 को चुनाव से पूर्व पूज्य देवराह बाबा का दर्शन करने गये थे। उनके साथ नारायण दत्त तिवारी और उस समय के गृह मंत्री श्री बूटा सिंह जी भी थे। उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देवराह बाबा के साथ 40 मिनट तक बात हुई थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 40 मिनट तक राजीव गांधी जी की देवराह बाबा से क्या बात हुई, इसका खुलासा किया जाना चाहिए। समाचार-पत्रों में देवराह बाबा और स्वर्गीय बाबा के सारे फोटोग्राफ्स और उस समय की सारी खबरें आज भी हमें पढ़ने को मिल जायेंगी।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार 1989 में जो शिलान्यास हुआ, उस शिलान्यास से पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी देवराह बाबा से बात करने के लिए गये थे। उसके बाद उस समय के चीफ जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्र भी अपने दो सीटिंग जजों को लेकर देवराह बाबा से मिलने गये थे। ऐसे संत को षडयंत्रकारी सिद्ध करने का प्रयास किया जाये, तो मैं इस बारे में क्या कहूं? ...(व्यवधान)

यह निर्लज्जता नहीं है, धृष्टता नहीं है, तो इसे और क्या कहा जाये? ...(व्यवधान) इससे बेहद पीड़ा हुई है। इस रिपोर्ट में देवराह बाबा के बारे में जो भी कमेंट किया गया है, उससे हिन्दुस्तान का पूरा संत समाज आक्रोशित हुआ है। ...(व्यवधान) यह एक प्रकार से साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं है, तो इसे और क्या कहा जाये? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : राजनाथ सिंह जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, देवराह बाबा के बारे में बोलते समय मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन देवराह बाबा के बारे में हमें इस प्रकार की टिप्पणी पढ़ने को मिली है। हमारे ही जज्बात और हमारी ही भावनाएं आहत नहीं हुई हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, सोमनाथ का मामला भी था। यह दूसरा मामला है, जो हल हो गया है। गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल जी गृह मंत्री थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जो बहुत ही सम्मानित नेता थे और जिनके प्रति आज भी हम लोगों का सम्मान है, उनके रहते हुए भी यह विवाद हल नहीं हो पाया। निश्चित रूप से यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है।

मैडम, यहां पर मैं लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जिक्र करना चाहूंगा। प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव ने 6 दिसम्बर, 1992 को रात नौ बजे दूरदर्शन पर यह कहा था कि वे बाबरी मस्जिद को पुनः उसी स्थल पर बनायेंगे। क्या लिब्रहान कमीशन को इस बात का उल्लेख नहीं करना चाहिए था, इस स्टेटमैंट का उस समय क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या इससे साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा हुआ होगा या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हुआ होगा? शायद नरसिंह राव जी को इस बात की जानकारी नहीं थी। उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या कांग्रेस के लोगों को, पूरे मंत्रिमंडल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि गैर मुस्लिम को मस्जिद बनाने का हक नहीं है। कुरान में यह लिखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने यह वायदा कर दिया। जहां तक वायदे की बात है, तो कल्याण सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भी वायदा किया था, ऐफिडेविट दिया था कि हम वह ढांचा नहीं गिरने देंगे। ...(व्यवधान) आप कल्याण सिंह के वायदे की क्या बात करते हैं? ...(व्यवधान) मैं याद दिलाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। राजनाथ सिंह जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां तक इस सरकार का प्रश्न है, इस सरकार की विचारधारा है और जिस पार्टी से यह जुड़ी हुई है, उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन संभवतः लाहौर में 1945 में हुआ था। उस समय कांग्रेस का एक संकल्प था कि हम किसी भी

सूरत में इस देश को विभाजित नहीं होने देंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देशवासियों को यही वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाये, भारत और

पाकिस्तान का विभाजन होगा, तो हमारी लाशों पर होगा। उन्होंने यह वचन दिया था, लेकिन जिस पार्टी की यह सरकार है, यह पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वचन को भी नहीं निभा पायी और अंततोगत्वा भारत का मजहब के आधार पर बंटवारा हो गया। ...(व्यवधान) महोदया, मैं जनाक्रोश की इंटेसिटी के बारे में कहना चाहता हूं।

16.00 hrs.

अध्यक्ष महोदया : राजनाथ सिंह जी, आपने लगभग एक घण्टे बोल लिया है। आपके अन्य सदस्यों के लिए समय नहीं बचेगा।

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, नवंबर, 19[illegible] में बीबीसी ने अपने विश्लेषण में यह बात कही थी कि तुलनात्मक दृष्टि से राम जन्मभूमि आन्दोलन में जनता का पार्टीसिपेशन 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन से कई गुना अधिक था। इस बात को लिब्रहान कमीशन मानने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता के वचन को यह कांग्रेस पार्टी निभा नहीं पाई, मैं समझता हूं कि उसके कारण जो तकलीफ और वेदना होनी चाहिए, वह इस पार्टी को नहीं हुई, बल्कि अपनी इस नीयत के साथ स्वयं को राष्ट्र के मिलन, ट्रायस्ट विद डेस्टिनी का नायक मानते हैं और हमको दोषी ठहराते हैं ढांचे के गिरने के लिए।

हमारे आदरणीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम गैरकानूनी तरीके से लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट में डाला गया है क्योंकि कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट, 1958 के सेक्शन 8बी के प्रॉविजन के तहत किसी व्यक्ति से बिना पूछताछ किए आरोपित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से कई लोगों के नाम इस रिपोर्ट में डाले गए हैं। यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि लम्बे समय तक भारत की राजनीति में सम्मान प्राप्त करने वाला अगर कोई नेता है, तो वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी करते हुए इनको रंचमात्र भी संकोच नहीं हुआ। जिस अटल बिहारी वाजपेयी को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भविष्य की ज्योति कहा हो, नरसिम्हा राव जी ने अपना राजनीतिक गुरू कहा हो, वह अटल बिहारी वाजपेयी लिब्रहान कमीशन को एक श्यूडो-सेकुलर और षडयंत्रकारी दिखाई दे रहे हैं? क्या ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति रूग्ण मानसिकता का नहीं कहा जाएगा? यदि यह नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा?

महोदया, 10 दिसंबर,1992 को आरएसएस और वीएचपी पर प्रतिबंध लगाया गया और ट्रिब्यूनल में कहा गया: "It is pertinent to mention that PW-7, उस समय के ज्वाइंट डायरेक्टर, आईबी थे, जो गवर्नमेंट के व्यु को रिप्रेजेंट कर रहे थे, he has categorically admitted that there was no material evidence to show that these organizations, RSS, BJP, had pre-planned the destruction of the disputed structure." यह ऑब्जर्वेशन नहीं है बल्कि एक जुडिशियल वर्डिक्ट है, इसकी अवहेलना करते हुए कमीशन ने सीधे

कह दिया कि कांसपिरेसी में यदि किसी का हाथ है, तो इन लोगों का है। 17 वर्ष बाद इनको यह इलहाम हुआ है। पायनियर की भी एक रिपोर्ट का यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। उस समय के गृहमंत्री शंकर राव चव्हाण जी थे। I quote *The Pioneer*, 3rd January 1993:

> "The Union Home Minister S.B. Chavan sprang s surprise on Friday when he stated that demolition was not pre-planned. He said, intelligence agencies have not given any linking of what was to happen on 6th December, 92. When asked by journalists that P.V. Narasimha Rao said it was planned, he reacted sharply and said that the Prime Minister has actually expressed only apprehension."

अपने प्राइम मिनिस्टर को होम मिनिस्टर ही इस प्रकार से कंट्राडिक्ट कर रहा है।

उस समय आक्रोशित कारसेवकों की मनोदशा की मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। इसलिए चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि लिब्रहान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पेज 253 के पैरा 44.12 पर लिखा है "Some defiant *Karsevaks* pushed Shri L. K. Advani, Murli Manohar Joshi and Vinay Katiyar and captured the platform of *Karseva*, and they were finally taken out by *Swayamsevak* of RSS." साफ-साफ लिखा है कि आडवाणी जी बार-बार अपील कर रहे थे। उसके बाद भी वहां पर जो आक्रोशित लोग थे, उन्होंने इनको ठेल कर वहां से हटा दिया, उसके बाद भी इनको इलहाम हो रहा है। उसके बाद इन्हें इलम हो रहा है कि आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और विनय कटियार का इसमें हाथ है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से, सरकार से अपील करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। लेकिन मैजोरिटी और माइनोरिटी के नाम पर यदि आप किसी को अपीज करने की कोशिश करेंगे तो इससे साम्प्रदायिक सौहार्द्र पैदा नहीं होता है वरन् इससे साम्प्रदायिक द्वेष पैदा होता है। हम एक सिंद्धांत में विश्वास करते हैं कि "justice to all and appeasement of none" और इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए कि कैसे 1947 में मजहब के नाम पर भारत-माता के दो टुकड़े हो गये। इसलिए फिर से वे स्थितियां पैदा न हों, यह सबक लेने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) मैं इस रिपोर्ट के बारे में कहना चाहूंगा कि The Report is totally baseless, biased, prejudiced and meticulously designed to target some persons, some political parties and some organizations. लगता है कि आज तक हम अपनी कोलोनियल माइंड सेट की विरासत में जी रहे हैं। ढांचे के विध्वंस का कारण दशकों की गतिविधि में नहीं, घंटों की गतिविधियों में तलाशने की कोशिश की गयी है। जैसे कोई रैवेन्यू केस होता है वैसे ही इस सरकार के द्वारा इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कभी राम के ऊपर बैन कर दिया जाता है, और रामसेतू के बारे में जो कुछ कहा गया कि नल-नील इंजीनियर कहां थे बताओं? स्वभाविक रूप से इससे आक्रोश पैदा होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सेक्युलरिस्ट शब्द से भी भ्रम पैदा होता है। मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, तब रिएक्ट कीजिएगा। सेक्युलर शब्द से एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है, जब हम धर्म को सेक्युलरिज्म के खिलाफ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति

सेक्युलर भी हो सकता है, अपने धर्म को मानने वाला भी हो सकता है और सेक्युलरिज्म के अर्थ में धर्म-निरपेक्ष शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि जो हमारे संविधान का हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें सेक्युलरिज्म का अर्थ पंथ-निरपेक्ष लिखा हुआ है और सेक्युलरिज्म को पंथ-निरपेक्ष कहा जाना चाहिए। धर्म-निरपेक्ष पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र-धर्म और किसी मत या संप्रदाय का अंतर पूरी तरह साफ हो सके।

संसद में इस बात पर बहस होनी चाहिए कि हिंदुत्व शब्द कैसे साम्प्रदायिक हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है । इस पर बहस होनी चाहिए। भारत के संविधान के 10-12 चित्रों का उल्लेख भगवान राम, लक्ष्मण, सीता सबके चित्र मिलेंगे। महात्मा गांधी, मीरा जी, कबीर दास, संत रैदास सबने राम की स्तुति गायी है और अल्लामा इकबाल ने कहा है कि " हे राम तेरे वजूद पर हिंदुस्तां को नाज, अहले नजर समझती है उनको इमामे हिंद" । ...(व्यवधान)

मैडम, बाबर की कब्र अफगानिस्तान में है और वहां उसे कोई श्रद्धा प्राप्त नहीं है क्योंकि वे कहते हैं कि यह तो समरकंद के थे। मैं जैनेटिक इंजीनियरिंग के रिसर्च की बात कहना चाहूंगा। पहले यह कहा जाता था कि आर्य बाहर से आये, यह सिद्धांत पूरी तरह से फैल हो गया। अब जैनेटिक इंजीनियरिंग का ही यह दावा है कि जितने भी भारतीय हैं वे एक ही जैनेटिक पूल के हैं। चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान हों, सब एक ही जैनेटिक पूल हैं। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I think, you should conclude your speech now. Please conclude now.

श्री राजनाथ सिंह : बाबर का जन्म-स्थान समरकंद है जो सेट्रल एशिया में आता है और सेंट्रल एशिया का जैनेटिक मूल यहां के जैनेटिक पूल से अलग है। हम लोगों के नायक भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरुनानक देव जी और गुरु तेगबहादुर जी, ऐसे सारे लोग हो सकते हैं। बाबर नहीं ।

महोदया, हमें भारत में भारतीयता के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने धर्म की बात कही है। आपकी कुर्सी पर "धर्मचक्र परिवर्तनाय" लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के सिम्बल में भी "यतो धर्मः ततो जयः" लिखा है। राष्ट्रीय चिह्न अशोक पर भी "सत्यमेव जयते" लिखा है। राष्ट्रीय झंडे पर जो अशोक चक्र बना है, वह अशोक के अभिलेखों में धम्म चक्र है। भारतीय राज व्यवस्था के सारे संकेत 1947 के बाद के नहीं, बल्कि उस सनातन राष्ट्र को अभिव्यक्त करते हैं। जिसने सारे राष्ट्र को ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म की एक नई दृष्टि देने का काम किया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Mr. Aaron Rashid, please sit down.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Rajnathji, do not address anyone else. You please conclude, now.

श्री राजनाथ सिंह : मैं अंत में आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि विश्व की सर्वश्रेष्ठतम सभ्यता के उत्तराधिकारी के रूप में हम सभी एक आम सहमति बनाएं, सांस्कृतिक गौरव और साम्प्रदायिक संघर्ष को अलग रखते हुए आत्मसम्मान से युक्त गौरवशाली राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करें। यह केवल धार्मिक न्याय नहीं होगा, यह राष्ट्रीय न्याय होगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।...(व्यवधान) महोदया, हमने श्रेष्ठतम सभ्यता की बात कही है, मैं मिस्र के संविधान की पहली लाइन का उल्लेख करना चाहूंगा,

Egyptian Constitution begins with this sentence: "We the people of Egypt who have been toiling on this great land since the dawn of history and the beginning of civilisation."

ऐसी ही हमारी श्रेष्ठतम सभ्यता है । इस सभ्यता को हमें समझने की जरूरत है और इसी के आधार पर आम सहमति बना कर एक गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण हम सभी को प्रशस्त करना है। राम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण धार्मिक और सांस्कृतिक न्याय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय न्याय है। एनडीए की सरकार रहते हुए हम राष्ट्रीय न्याय नहीं दिला पाए, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह से प्रयत्न किया था कि मध्यस्थता से समस्या का समाधान निकले।...(व्यवधान) लेकिन इन प्रयत्नों के बावजूद यह संभव नहीं हो सका ।

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : इसकी हम सभी को पीड़ा है और राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण के प्रति हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं अपने इस कमिटमेंट को फिर से दोहराना चाहता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): महोदया, लिब्राहन कमीशन आयोग पर यह महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इशारा भी किया है कि गोली क्यों चली। जहां तक लिब्राहन कमीशन का सवाल है, मैं इतना कह सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट सम्पूर्ण नहीं है। अगर यह रिपोर्ट अधूरी नहीं होती, तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता राजनाथ सिंह जी इतनी जोर से आवाज नहीं उठा सकते थे। मैं स्वीकार करता हूं कि लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट सम्पूर्ण नहीं है, अधूरी है तथा बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। इसके पीछे मैं कारण बता सकता हूं। माननीय अटल जी का नाम लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सारा देश सम्मान करता है और मैं भी सम्मान करता हूं। जब पांच दिसम्बर को सभा हुई और अटल जी ने सदन के अंदर धरना दिया। यहां धरना देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर धरना दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके अनशन को तुड़वाने के लिए कौन गया था? आखिर कौन उनके अनशन को तुड़वाने के लिए गया था? असली बात जड़ में यह हैकि उनके अनशन को तुड़वाने के लिए उस समय के गृह मंत्री शंकर राव चव्हाण गये थे जिनके बेटे महाराष्ट्र में आज मुख्य मंत्री भी हैं। आखिर क्यों मनाने गये थे? क्या बात हुई थी? उनकी कौन सी बात मानी गई जिससे अनशन तोड़ा गया था?इसलिए मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार की उस समय मिलीभगत थी और उस मिलीभगत के कारण ही यह मस्जिद गिरी। मैं आपके सामने प्रमाण भी देना चाहता हूं और जब कोई जवाब देगा तो इसका जवाब जरूर देगा कि उस समय के गृह मंत्री शंकर राव चव्हाण साहब और अटल जी की क्या बातचीत हुई? उनके कहने पर कैसे अनशन तोड़ा गया? उनकी कौन सी बात मानी गई थी? यह आज पूरा देश जानना चाहता है।

16.16 hrs. (Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

यहां तक कि मैं आज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कम जिम्मेदार नहीं है। मैं कहता हूं और इसलिए कहता हूं कि एक आईएएस अफसर जो माननीय नरसिंह राव जी के कैबिनेट सचिव थे और उन्हीं के समय में मस्जिद गिरी और उसके बाद झारखंड का राज्यपाल अटलबिहारी वाजपेयी जी ने नियुक्त किया। यह क्या मामला है? हम क्या बोलें? इधर भी दोषी, उधर भी दोषी और सजा मुझे मिली।...(व्यवधान) सजा मुझे मिली कि मस्जिद बचाने के बाद समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी । हमारा और माननीय आडवाणी जी का राष्ट्रीय एकता परिषद में टकराव हुआ कि मुलायम सिंह, आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते हैं। लेकिन माननीय आडवाणी साहब, वह आपकी ज्योतिष थी या क्या थी, वह गलत साबित हो गई। इसके बाद तीन बार हम मुख्य मंत्री बन गये और रक्षा मंत्री भी बन गये । जो आपने अनैक्सी में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक की थी, मैंने कहा था कि जब तक माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक मस्जिद की हिफ़ाजत नहीं हो सकती, मस्जिद नहीं बचेगी, यह मैंने कहा था। माननीय कल्याण सिंह जी बैठे हैं। मैंने राष्ट्रीय एकता परिषद में बर्खास्त करने की मांग की थी और इसी के उत्तर में आपने कहा था कि इस मंच का सबसे ज्यादा लाभ मुलायम सिंह ने उठाया है और अब आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। यह चुनौती भी मुझे दी गई थी। लेकिन सत्ता में हम आ गये। यहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूं

कि अब आगे देखिए कि जिम्मेदार कौन है? आज अच्छा होता कि हम और आप मिलकर इन पर राजनैतिक हमला करते और आज मेरी मुश्किल यह है कि हमें तो दोनों ने परेशान किया। अयोध्या में जब मस्जिद गिरी थी तो विश्व हिन्दू परिषद, बीजेपी, शिव सेना ये सब के सब इकट्ठे थे और बीजेपी, वीएचपी से लेकर शिवसेना तक उसमें शामिल थे। इसलिए यह रिपोर्ट अधूरी है। उनको जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया? फिर हम पर तो आरोप लगा देते हैं। माननीय कल्याण सिंह जी सदन में उपस्थित हैं। उन्होंने सच कहा था कि न हम पार्टी में शामिल हो रहे हैं, नयी पार्टी बनाएंगे लेकिन किसानों के हित में, गरीबों के हित में अगर बात होगी तो हम समाजवादी पार्टी के मुद्दे का समर्थन करेंगे। लेकिन यदि हम नाम लेंगे तो आप बुरा मान जाएंगे। क्या ...* उसमें शामिल नहीं थे? फिर आपने मंत्री तक बना दिया। क्या ...* इसमें शामिल नहीं थे? क्या ...* इसमें शामिल नहीं थे? क्या ...* इसमें शामिल नहीं थे? यह मैं पूछना चाहता हूं। ये सब गए? ये सब गए थे? एक बार गिरफ्तार किया गया था। मैंने कई लोगों को गिरफ्तार करके बाराबंकी, गन्ना गैस्ट हाउस में बंद किया था। यह मस्जिद नहीं टूटी, मैं कह सकता हूं कि देश की एकता टूटी है, भावना टूटी है। मुसलमान और हिंदुओं के बीच एक हजार साल से कोई अविश्वास नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आज एक-दूसरे पर उतना विश्वास नहीं है जो आज से 20 साल पहले था, 25 साल पहले था। यह अविश्वास देश के लिए खतरनाक है क्योंकि एक-दूसरे पर पूरा विश्वास नहीं रहा है। माननीय राजनाथ सिंह जी, इस विश्वास को कायम रखने के लिए ही हमारी पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कट्टरवादियों ने कर दिया, वे चाहे मुस्लिम लीग के हों या कोई और हों। उन कट्टरवादियों का मनोबल तोड़ने के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। 16 जानें गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मस्जिद गिरने के बाद कितनी जानें गई? बम्बई में कितनी जानें गई? क्या बम्बई में यही प्रतिक्रिया नहीं था? पूरे देश के आंकड़े सरकार के पास हैं, चाहे गृह मंत्री या कोई मंत्री जवाब दे, वे बताएं। मस्जिद की हिफाजत में 16 लोगों की जानें गई। लेकिन मस्जिद गिरने पर कितनी जानें गई? इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कि कितनी जानें गई और किनकी जानें गई?

महोदय, अब आपको आश्चर्य है कि जब मस्जिद गिर रही थी तब दोनों किस तरह मिले हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डीजीपी विलासमणि त्रिपाठी और प्रकाशमणि त्रिपाठी में भाई-भाई के संबंध हैं, दो बार सांसद भारतीय जनता पार्टी से रहे और इसके बाद देवरिया से सांसद हुए। ...(व्यवधान) वे भी शामिल हैं। अब जगदम्बिका पाल कहें कि उनको मालूम नहीं था। कैसे नहीं मालूम था? क्यों नहीं मालूम था? उनको मालूम था, पूरे देश को मालूम था। अगर प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम था तो गिरफ्तारियां क्यों की? अटल जी को गिरफ्तार क्यों किया? अगर अटल जी निर्दोष हैं तो मुझे उन्हें गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? अटल जी शामिल थे। अटल जी मीटिंग में शामिल थे। कौन सी मीटिंग थी जिसमें शामिल नहीं हुए? उन्होंने घर पर, अपने पार्टी ऑफिस में धरना दिया,

---

* Expunged as ordered by the Chair.

अनशन किया। अनशन तुड़वाया गया। ये कैसे कह सकते हैं कि माननीय अटल जी दोषी नहीं हैं? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की भावनाओं को भड़काया है। वे बड़े नेता हैं। मैं मानता हूं और स्वीकार करता हूं। यह कैसे कह सकते हैं कि अटल जी निर्दोष हैं? माननीय आडवाणी जी भी कह गए। यह सही है कि वे अस्वस्थ हैं, मैं कामना करता हूं कि वे जल्दी स्वस्थ हों और देश की राजनीति में बहुत जल्दी सक्रिय हों।

महोदय, जहां तक अयोध्या का सवाल है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ही दोषी थे। अगर वे दोषी नहीं थे तो मुझे गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? महारानी सिंधिया जी को गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? मुझे माननीय कल्याण सिंह जी को गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? अगर ये कार्यवाही की गई होती तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मस्जिद बच जाती और मस्जिद बच जाती तो देश की सद्भावना कायम रहती। लेकिन उस समय माननीय नरसिम्हा राव जी से मैंने कहा कि अगर मस्जिद बचाना चाहते हो तो माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त करो। यह बात राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में कही, समाजवादी पार्टी कोई अकेला दल नहीं था और कोई गलत भाषण नहीं दिया। राष्ट्रीय एकता परिषद में भाषण दिया कि माननीय कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करो और अगर बर्खास्त नहीं कर सकते तो सीधे साउथ एवेन्यू जाओ, किसी का भाषण मत सुनो। आप सीधे साउथ एवेन्यू जाओ और इनकी सरकार बर्खास्त करो। यहां इस सरकार में उस समय के मंत्री हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि दो या तीन दिन पहले जो भी हो, उस समय माननीय अर्जुन सिंह जी एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। वह मुख्यमंत्री, श्री कल्याण सिंह जी से लखनऊ निवास पर मिले थे, उनकी क्या बातचीत हुई। उसके तीन-चार दिन बाद झगड़ा ही शुरू हो गया। वह बतायें, उन्हें बताना चाहिए। जब लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट आई तो उन्होंने इसे जो अधूरी कहा है, उससे मैं सहमत हूं। यह रिपोर्ट अधूरी है। इसमें तथ्य छिपाये गये और तथ्य छिपाने का कारण माननीय नरसिम्हाराव जी हैं। आज वह दुनिया में नहीं हैं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं। लेकिन उनकी से तथ्य क्यों छिपाये गये? माननीय अर्जुन सिंह को किसने भेजा था? वह उनकी सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री थे। वह माननीय कल्याण सिंह जी से मिले थे और कल्याण सिंह जी से मिलकर कहा कि कोई मस्जिद नहीं गिरेगी। परंतु फिर मस्जिद क्यों गिरी? उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई विवाद खड़ा नहीं होगा।

इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय जगदम्बिका पाल कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं था, उन्हें कैसे मालूम नहीं था। आपने किस आधार पर कह दिया कि मालूम नहीं था।...(व्यवधान) आपने कैसे कह दिया कि मालूम नहीं था। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt. Shri Jagadambika Pal, please do not interrupt. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You cannot interrupt like this. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : It cannot go on like this. Will you please take your seat?

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप बहुत गलत तथ्य बोल रहे थे, तब क्या मैं खड़ा हुआ था।

SHRI SANJAY NIRUPAM (MUMBAI NORTH): Sir, the hon. Member has taken his name. That is why he is interrupting. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : It cannot go on like this.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Mulayam Singhji, just one minute.

… (*Interruptions*)

MR.CHAIRMAN : Since your name is being referred to, you will be given a chance; but not like this. Without the permission of the Chair, please do not stand up and speak.

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, आपको धन्यवाद। आप इन्हें शांत करिये। जब तक यह बोलते रहे, मैं बिल्कुल नहीं बोला, जबकि यह गलत तथ्य पेश कर रहे थे।

महोदय, देश में चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, सीमा की समस्या हो, चाहे मंदिर, मस्जिद की समस्या हो, इसके जिम्मेदार कौन हैं? तब बीजेपी तो कहीं नहीं थी। बीजेपी 1949 के बाद बनी। अब 1949 में बनी या 1950 में बनी, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन मेरा कहना है कि तब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। फिर ये उस समय के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। बाद में पूरी तरह जिम्मेदार हैं, पूरे अपराधी हैं। यह मैं कह सकता हूं। देश के अंदर भेदभाव पैदा किया गया है, देश की एकता के लिए खतरा पैदा किया है तो वह बीजेपी ने किया है। इन्हें गलती करने देते, लेकिन आपने भी गलती कर डाली। अब देश में बेरोजगारी किसने पैदा की। आपको देश में 50-60 साल राज करते हो गये। किसानों की समस्या किसने पैदा की। आप दिल्ली में बैठकर पचासों सालों से राज कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत राज किया, पूरे देश में राज किया। यदि इस देश में बेरोजगारी की समस्या है तो माननीय जगदम्बिका पाल जी वह कांग्रेस की नीतियों के कारण है। यदि देश में किसानों की समस्या है तो वह कांग्रेस की नीतियों के कारण है। दुनिया में जितने देश हैं, जिन्होंने किसानों के विकास को प्राथमिकता दी है, वही देश सम्पन्न हैं और वही देश आज मालदार हैं। लेकिन जिन्होंने किसानों की उपेक्षा की है, चाहे वह हिंदुस्तान हो, बंग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इनके लिए मैं कह सकता हूं। मैं लिब्रहान कमीशन से हटकर नहीं बोलना चाहता। लेकिन जितने भी देशों ने किसानों की उपेक्षा की है, वही देश गरीब हैं और उन्हीं देशों में बेरोजगारी है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर किसान ही रोजगार दे रहे हैं। कम से कम 66 परसैन्ट रोजगार किसान दे रहे हैं।

सभापति महोदय : आपका बहुत लिमिटेड टाइम है। आप लिब्रहान कमीशन के बारे में बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं उसी पर बोल रहा हूं।

MR. CHAIRMAN : Shri Mulayam Singhji, you have very little time left. Only two minutes are left.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : I am only suggesting. Please do not deviate from the Report.

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, आपने शायद भाषण सुना होगा, किसान, बेरोजगारी...(व्यवधान) जहां तक भारत माता के बारे में सवाल है, वह इस सदन में नहीं कहा। आज हमारी पार्टी में भले ही आजम खां न हो। उन्होंने यह कहा कि एक मां अपने दो बेटों के साथ कभी भेदभाव नहीं कर सकती है, यह काम तो कोई डायन ही कर सकती है। उन्होंने यह कहा है और उसके बाद खंडन किया है। क्या खंडन किया है, वह मैं आपको दिखा दूंगा। अगर मुझे पता होता कि आप यह सवाल उठाएंगे तो मैं वह आपको दिखा देता। उन्होंने लिखित में खंडन किया और हमारी और उनकी बातचीत हुई। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जो भारत मां है, उसकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है या पारसी है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जहां तक मस्जिद बचाने का सवाल है या गोली चलने का सवाल है। उसमें 16 जानें गयीं, बड़ी चिंता व्यक्त की। मैं दोहराना चाहता हूं कि क्या ये हिंसा करने नहीं गये थे? माननीय राजनाथ सिंह जी को पता होना चाहिए, अब तो ये पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के प्रेसीडेंट भी हैं, कि केन्द्रीय सुरक्षा बलों को कब गोली चलानी पड़ी? उन पर ही हमला कर दिया, उनके टेंट जला दिये, उनके पहरेदार की हत्या कर दी। हिंसा करने कौन गया था, वहां केन्द्रीय सुरक्षा बलों के टेंट में जो पहरा देने वाला व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी गयी, उसे मार दिया गया, आग लगा दी गयी। जब ये इतनी बड़ी हिंसा करेंगे, सुरक्षा बलों के एक व्यक्ति को मार देंगे तो क्या उन्हें बचाया नहीं जाएगा? उन्हें बचाने के लिए गोली चली और हमारे समय में जो गोली चली, मुझे फर्क है कि गोली चली। एक व्यक्ति को ऊपर चढ़ा दिया, आपने संकल्प किया था कि मस्जिद गिरायेंगे। हमने लाखों की भीड़ में कहा है कि हम मस्जिद को बचाएंगे, इसीलिए हमारी पुलिस को, सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी। ऊपर जो व्यक्ति मस्जिद पर चढ़ा था, उस व्यक्ति पर गोली चली वह वहीं मस्जिद के ऊपर चिपका रह गया। गोली चली, उसमें 16 जानें ही तो गयीं। मैं आप फिर से दोहराना चाहता हूं कि देश की एकता की खातिर, देश बड़ा है, देश के लिए 16 जानों की कोई कीमत नहीं है, देश को एक बनाकर रखने की कीमत है। इसलिए चाहे 100 मारे जाएं, चाहे 30 मारे जाएं, देश एक रहे, यह हमारी दृष्टि और नीति है। आज हम देशद्रोही कहेंगे, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या आशय लगाते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आशय यह है कि आज हम लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी धर्म पर हमला कैसे कर सकते हैं? आप मंदिर पर हमला नहीं कर सकते, मस्जिद पर हमला नहीं कर सकते, आप मस्जिद तोड़ने गये। आपने घोषणा करके गये कि हम मस्जिद तोड़ेंगे, हमें मस्जिद बचानी है। शिलान्यास के लिए आप भी जिम्मेदार हो, बुनियाद रखी गयी, आप मेरा बयान पढ़ लीजिए कि मस्जिद गिराने की बुनियाद रखी गयी। शिलान्यास नहीं करना चाहिए था। आज वे

इस दुनिया में नहीं हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमारी और उनकी काफी बातचीत हुई, काफी बैठकें हुईं, हम अकेले में भी बैठे। हम माननीय नरसिम्हा राव जी के भगत के सामने भी बैठे, हमारी बातचीत हुई, लेकिन शिलान्यास करने के लिए क्यों गये, ताला किसने खुलवाया? ताला खुलवाने के बाद उस समय के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने उस समय के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। पत्र का जवाब क्या दिया गया, पंत जी से क्या कहा, यह पता होना चाहिए? यह था कि सुरक्षा के लिए यथास्थिति बनाये रखिए। जब मूर्तियां रखवा दी । यदि मूर्तियां नहीं रखी गई होती, तो कोई विवाद नहीं होता । आप कहते रहिए कि मस्जिद नहीं थी, हम कहेंगे मस्जिद थी, मस्जिद नहीं थी तो हमें क्यों गोली चलानी पड़ी, क्यों मस्जिद बचानी पड़ी, अगर मंदिर होता तो हम क्यों गोली चलाते? आप क्या ज्यादा मंदिर मानते हो, आप कहां मंदिर मानते हो, सारा देश जानता है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं। सारा देश जानता है कि मैं हनुमान जी को मानता हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Mulayam Singh Yadav, please conclude in two minutes. Your time is over.

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, जय श्री राम बोलने का काम हमने इनको ही दे दिया है। ये ही बोलें। हम जय हिन्दुस्तान कहेंगे, जय भारत माता कहेंगे और जय किसान भी कहेंगे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे ही नहीं दिया था। ज़रा सा पढ़ना और सीखना कि इसके पीछे क्या बात थी। हम तो लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान का समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि भावनाओं को समझें। क्या इन्होंने भावनाओं को समझा था? माननीय राजनाथ सिंह ने भावनाओं को समझा होता तो भावनाओं का आदर करना चाहिए था। धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या गलत मत कीजिए। संविधान निर्माताओं से बड़े आप नहीं हैं, भले ही वहाँ पंथ लिखा हो या कुछ भी लिखा हो। जिन्होंने धर्मनिर्पेक्षता शब्द का प्रयोग किया है, उनसे बड़े आप नहीं हैं, हम भी नहीं है। हम तो उनके घुटने तक भी नहीं हैं। ऐसे लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की बात कही है। इतना बढ़-चढ़कर मत बोलिये कि धर्मनिर्पेक्षता ही बेकार है। आपके हिसाब से बेकार है क्योंकि आपने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ गलत बताया है। आज यह पूरे देश का सर्वोच्च मंच है। यहाँ से धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करना कितना गलत है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हो, किसी धर्म को चोट नहीं पहुँचा सकते हो, आपने यह बात मानी है। आपने क्यों इतने मुसलमान भाइयों के दिल को दुखाया? और आप राम को मानने वाले हैं। कभी भी इतने मुसलमान भाइयों का दिल नहीं दुखाना चाहिए और न हिन्दुओं का। आपको पता है कि जब मस्जिद गिरी तो विदेशों में कई जगह क्या मंदिर नहीं गिरे?

MR. CHAIRMAN: Shri Mulayam Singh, please conclude your speech.

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह मैंने पहले ही कहा था कि मस्जिद गिरेगी तो मंदिर भी गिरेंगे। और मस्जिद गिरी। हमें फख्र है कि हमने मस्जिद भी बचाई और मंदिर भी बचाए। हमने हिन्दुओं की जान भी बचाई, मुसलमानों की जान भी बचाई। ...(व्यवधान) वोट लेने का काम बी.जे.पी. और कांग्रेस भी करती हैं। ...(व्यवधान) आप भावनाओं को समझें।

MR. CHAIRMAN: Shri Mulayam Singh, please take your seat. I am calling the name of the next speaker to speak on this issue. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि देश भावनाओं से नहीं चलता है। देश चलता है कानून और संविधान से। यह लोकतंत्र है। आप भावनाओं के आधार पर गए। आपने उकसाया कि मंदिर बनेगा तो दूसरी भावना भी तो है कि हमारी मस्जिद है। अगर हत्याएँ हुई हैं तो हमने इस देश के संविधान, इस देश के कानून का पालन किया है। हमें फख्र है कि हमने देश और कानून का पालन करते हुए मस्जिद को बचाया। याद रखना कि अगर एक हिन्दू दूसरे धर्म के लोगों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाए तो यह विश्वास मुसलमानों में पैदा हो गया कि कम से कम मुलायम सिंह तो खड़ा हुआ। मैंने देश की एकता को बचाया है और आपने देश को विखंडित करने की कोशिश की, पूरा देश तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद छः दिसम्बर को मस्जिद गिरी तो कितनी जानें गईं? ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I am calling the name of the next speaker to speak on this issue. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, मैं तो अपनी पार्टी का मुख्य वक्ता हूँ, मुझे तो कम से कम थोड़ा अवसर मिलना चाहिए। मस्जिद से जुड़ा हुआ मैं हूँ। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Mulayam Singh, your Party was allotted 19 minutes.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You are a senior leader, and the Chair is taking all caution.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You have already taken 26 minutes to speak. Now, you will have to conclude your speech.

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरा आपसे निवेदन है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The entire time of the Party has already been taken by you. Please take your seat. I am calling the name of the next speaker to speak on this issue.

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, दस मिनट दे दीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Mulayam Singh, we cannot go on like this. The time allotted to the Parties is on the basis of the strength of each Party in the House. You have taken much more time than is allotted to your Party. Hence, please take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): Sir, it is a very important matter. Please allow him to speak for some more time. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No, please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I do not appreciate this kind of an intervention. Please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Mulayam Singh, you will have to conclude now. You are encroaching into the time of other hon. Members who wish to speak on this issue. आप सीनियर मैम्बर हैं। Why do not you understand it?

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं आपकी बात मानता हूँ। पाँच मिनट दे दीजिए। सभापति महोदय, मैं आपकी बात मानता हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, आप सीनियर मेम्बर हैं।

MR. CHAIRMAN: You should know that other Members' time is being encroached upon.

SHRI MULAYAM SINGH YADAV : Please give me five minutes more.

MR. CHAIRMAN: Please conclude in one minute.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: What is this? Please take your seat. I do not want advice on this. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude in one minute. Otherwise, I will call the next Member.

श्री मुलायम सिंह यादव : देश कानून और संविधान से चलता है। जहां तक अली मियां के बारे में कहा, इस तरह गलत जिक्र मत कीजिए। अली मियां से आपके संबंध नहीं थे, लेकिन मेरे उनसे गहरे संबंध थे। उन्हें मैंने कभी दुखी नहीं देखा, पहली बार दुखी देखा।...(व्यवधान) वे कभी भी धर्म के आधार पर इंसान में भेद नहीं करते थे। वे अली

मियां ऐसे थे, जो दुनिया के धार्मिक नेताओं में इस्लाम धर्म के बड़े नेता माने गए हैं। उनके बारे में इतनी हल्की-फुल्की बात रखी है, फ़ातमी जी ने जो कहा, वह उर्दू में लिखा हैं। आपको न जाने किस-किस ने बता दिया, आप न फारसी जानते हो, न अन्य कुछ जानते हो।

सभापति महोदय, अली मियां जैसे लोगों का आदर करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि अगर आप इसकी व्याख्या गलत करेंगे और भावनाओं को ठोकर पहुंचाएंगे, आप भावना की बात करते हैं, क्या दोबारा देश बंटवाना चाहते हैं? एक बार तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बंटा ही है और आप जैसी भावनाओं वाले लोगों ने ही बंटवा दिया। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

श्री मुलायम सिंह यादव : मुसलमान कभी पीछे नहीं रहा। मुसलमान ने हमेशा देश की सुरक्षा के लिए बढ़-चढ़ कर साथ दिया और आज भी दे रहा है। आज भी मुसलमान के हाथों में 80 फीसदी कारीगरी और दस्तकारी है। आपकी मिसाइल बनाने वाले मुसलमान हैं, सबसे महत्वपूर्ण पद पर राष्ट्रपति कलाम साहब हुए हैं। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा काम किया है और आपने देश को तोड़ने का काम किया है। अगर सब मिलजुल कर रहेंगे तो हमारे देश के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता है। चीन जो कर रहा है, क्या यह मामूली बात है?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Dara Singh Chauhan. Shri Mulayam Singh Ji, please take your seat. Will you please take your seat?

SHRI MULAYAM SINGH YADAV : Please allow me to speak one sentence. ...(व्यवधान) गांधी जी की हत्या किस ने की है, मैं कहना चाहता हूं कि आप देश को बताएं? नयी पीढ़ी भूल जाएगी, गांधी जी की हत्या करने वाले कौन हैं? ये ही हैं, गांधी जी की हत्या करने वाले ऐसे ही लोग हैं और यहां गांधी जी का नाम लेते हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Will you please conclude?

श्री मुलायम सिंह यादव : आपके साथियों ने कहा कि राष्ट्रपिता कभी नहीं कहेंगे। राष्ट्रमाता कौन है, ये सब गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहिए ? ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Mulayam Singh Ji, I am repeatedly asking you to please take your seat. You have to conclude now. Please take your seat.

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन हमारी बात अधूरी रह गई है।

MR. CHAIRMAN: Before Shri Dara Singh Chauhan starts speaking, I want to inform the hon. Members…

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Jagdambika Pal, please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Why do you speak like this? Shri Kalyan Singh, please take your seat. The time allotted to Samajwadi Party was 19 minutes, and Shri Mulayam Singh Yadav has taken 28 minutes. Senior Members are given special consideration, but please conclude within the time limit. Otherwise, I will simply call the next Member, and the rest of the references made by you will not go on record.

I want to inform all the hon. Members, before you speak …

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I want to give one minute to Shri Jagdambika Pal for a personal explanation. Shri Kalyan Singh, you have not given your name to participate in the debate. Please understand this. Now, I am giving one minute to you, Shri Jagdambika Pal, for your personal explanation.

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुलायम सिंह जी ने दो बार मेरे नाम का उल्लेख किया, इन्होंने दो बार कहा कि जगदम्बिका पाल जी गलत कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाथ नहीं था। शायद उन्होंने सुना नहीं,...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : ये गलत कह रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : जगदम्बिका पाल को जानकारी नहीं है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please say what you want to say in one minute? Only what Shri Jagdambika Pal says will go on record and nothing else will go on record. Please complete your explanation in one minute.

… (*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, मेरा कहना है...(व्यवधान)

मैंने कहा कि 5 दिसम्बर, 1992 को लखनऊ में ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Have you finished Shri Jagdambika Pal ji? I have allowed you only.

श्री जगदम्बिका पाल : अभी फिनिश नहीं किया है। महोदय, 5 दिसम्बर, 1992 को मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया कि लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि वहां कार-सेवक जाएंगे, वे समतलीकरण करेंगे। ...(व्यवधान) मैं देख रहा हूं कि इनके और भाजपा के कहने में अन्तर होगा, लेकिन मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी भी हमला कर रही है और भाजपा भी कर रही है। इनमें इस बारे में एक-समानता है। मैने तो नहीं

कहा कि आजम साहब ने कहा कि जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मुख्य आरोपी कल्याण सिंह के साथ हैं, उन्हें मुसलमानों की नुमाइंदगी से ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Dara Singh Chauhan ji, before you start, I want to tell you that the time allotted to your Party is 19 minutes.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति जी, जब मौका मिलेगा, तभी तो बोलेंगे।

सभापति जी, मैं समय के अंदर ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आज इस विषय पर चर्चा हो रही है। आज कितना दुर्भाग्य है कि आजादी के 63 सालों बाद भी इस देश की संसद में, इस देश की पार्लियामेंट में, इस देश में रहने वाला, गांव के गरीब, मजदूर और किसान की बेहतरी और विकास की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस विषय पर चर्चा न होकर इस विषय पर चर्चा हो रही है। आजादी के 63 सालों के बाद आज भी देश में ऐसे लोग हैं, जिन्हें खाने के लिए एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Dara Singh Chauhan is speaking.

*(Interruptions) ... **

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति जी, मैं कांग्रेस और भाजपा के लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पहले भी मैंने कहा है कि लिबरहान आयोग की रिपोर्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसकी चर्चा आज हो रही है, यह देश का दुर्भाग्य है कि सदन के पटल पर रखने से पहले ही रिपोर्ट लीक हो गई। उस पर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। इसलिए मेरा कहना है कि सबसे पहले तो उस पर चर्चा करानी चाहिए थी। उसके बाद लिबरहान कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए थी। आज मैं देश की पार्लियामेंट में कह सकता हूं, खासकर जो दो बड़े दल हैं- कांग्रेस और बीजेपी कि इन दोनों दलों की साजिश है कि देश में जो महंगाई है, भुखमरी, लाचारी और बेबसी है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए सदन में लिबरहान आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। इसलिए देश की जनता जानना चाहती है कि देश में जो महंगाई, घोटाला और भ्रष्टाचार है, उस पर यहां चर्चा क्यों नहीं होती है? इन दोनो पार्टियों, बीजेपी और कांग्रेस की साजिश का नतीजा है कि हम सदन में लिबरहान आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं।

सभापति जी, लिबरहान आयोग की जो रिपोर्ट लीक हुई, उसके बारे में देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कि रिपोर्ट हमारे यहां से लीक नहीं हुई। लिबरहान आयोग कहता है कि हमसे रिपोर्ट लीक नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर इसके लिए दोषी कौन है, यह रिपोर्ट कैसे लीक हो गई? ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No interruption please.

---

* Not recorded.

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति जी, मैंने भी लोगों की बातों को सुना है और लिबरहान आयोग की रिपोर्ट के दो-चार पन्नों को पढ़ा है। केन्द्र सरकार, जिस पर संविधान की मूल भावना की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए आयोग का गठन किया गया था, उस रिपोर्ट के तथ्य इस सदन में पेश होने से पहले ही लीक हो गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। 6 दिसम्बर, 1992 की इस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था, जैसा लोगों ने कहा कि संविधान को ये लोग मानने वाले नहीं हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, इन दोनों पार्टी के लोगों का संविधान पर भरोसा नहीं है, इसलिए कि 6 दिसम्बर, जो संविधान के निर्माता बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस था, एक सोची समझी साजिश के तहत उसी दिन बाबरी मस्जिद को लोगों ने शहीद करके इस देश के माथे पर कलंक का टीका लगाने का काम किया। मुझे तो लगता है कि जो लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट है, लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट, मैं सब नेताओं की बात तो नहीं कहता, लेकिन कुछ बी.जे.पी. और कुछ कांग्रेस के नेताओं की मिलीभगत से यह तैयार की गई है। दोनों दलों के लोगों के, कुछ कांग्रेस के नेता और कुछ बी.जे.पी. के नेताओं की मिलीभगत से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है।...(व्यवधान) मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, जिस लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। मैं कह सकता हूं, मुझे भी अयोध्या जाने का मौका मिला है, मैं भी फैजाबाद गया हूं। जिस तरीके से वहां उन्होंने साजिश की है, मेरा इस विवादित ढांचे पर विरोध है कि जब कोर्ट में मामला चल रहा था, सारे सरकारी दस्तावेजों में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का, तो यह विवादित ढांचा कहां से है, इसे तो बाबरी मस्जिद कहा जाना चाहिए, लेकिन लिब्रहान आयोग ने कहीं भी बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया है।...(व्यवधान) कहां किया है? मैंने भी 2-4 पन्ने पढ़े हैं, हो सकता है, आपको कहीं मिला हो। यह तो आश्चर्य है कि जिस अयोध्या में, जो उन्होंने लिखा है, तमाम मंदिरों का, तमाम चीजों का जिक्र किया है, लेकिन किसी दरगाह का, किसी कब्रिस्तान का, किसी मस्जिद का जिक्र उसमें नहीं है। इससे मैं कह सकता हूं कि लिब्रहान कमीशन की जो रिपोर्ट है...(व्यवधान) क्यों नहीं था, मैं भी वहां गया हूं, मैं जानता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया और यहां नहीं, अयोध्या में वहां के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहां पैगम्बर अल्ले सलाम की मजार है, जो बहुत प्रसिद्ध है, जहां लोगों का भरोसा है, विश्वास है, उसका भी कहीं जिक्र नहीं किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह दोनों पार्टियों के कुछ नेताओं की मिलीभगत की साजिश का नतीजा है कि आज यहां पर इसकी चर्चा हम कर रहे हैं।

इस बात पर मुझे और अफसोस है कि जहां बाबरी मस्जिद को गिराया गया, वहां एक नहीं, 11-12 मस्जिदें तोड़ी गईं और 20-25 लोगों का कत्ले आम हुआ, लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं उसकी चर्चा नहीं है, न उसकी जांच के लिए कोई कमीशन बनाया गया है। मैं कह सकता हूं कि बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई, उसमें बी.जे.पी. या बजरंग दल के लोग तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, क्योंकि देश की जनता आज सवाल करना चाह रही है, इसमें इन लोगों का भी कहीं न कहीं हाथ है। जैसा भी इसमें जिक्र हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का बयान है कि यदि मेरे घर का, मेरे परिवार का कोई रहता तो हम मस्जिद नहीं गिरने देते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तब 1949 में जब मूर्ति रखी गई, 1989 में जब ताला खुलवाया गया

तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस और बी.जे.पी. के लोगों के द्वारा जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरीके से रिपोर्ट को लीक कराया गया है, ताकि इस पर चर्चा हो और देश की जनता गरीबी और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर पाये।

सभापति जी, जिस तरीके से इस देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का लोगों ने काम किया है, हमेशा जज्बा पैदा करके लोगों को लड़ाने का काम किया है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने तो हमेशा इस देश में जाति-धर्म की भावना भड़काकर शासन करने का काम किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट की कल की टिप्पणी का स्वागत करता हूं कि इस देश से जाति व्यवस्था खत्म करना चाहिए। हमारी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इस देश में गैर-बराबरी खत्म करना चाहती है, चाहे सामाजिक गैर-बराबरी हो, चाहे आर्थिक-राजनैतिक गैर-बराबरी हो, वह उसको दूर करना चाहती है और जाति विहीन समाज संरचना करके समतामूलक समाज बना करके इस देश में इंसाफ और इंसानियत की बहाली करना चाहती है।

सभापति जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस आयोग की रिपोर्ट में गंभीरता कम थी, लेकिन कल अखबारों में किसकी बढ़िया न्यूज छपेगी, उसे छापने की होड़ सबसे ज्यादा इस संसद में दिखायी दी। आपसी मिलीभगत से यह हुआ। इसलिए कह सकता हूं कि इन लोगों ने आजादी के बाद के 62 सालों में देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इस देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। अब देश की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का न किसी को अधिकार है और न वे उस साजिश में सफल होने वाले हैं।

महोदय, मैं इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि इस देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी, चाहे चंद्रशेखर आजाद, चाहे वीर भगत सिंह हों, चाहे अशफाक उल्ला या चाहे राम प्रसाद विस्मिल जैसे लोग रहे हों, जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, आज इस संसद में रहते, तो उनको बहुत तकलीफ होती। आज उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी? खासतौर पर बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि सरकार आने पर हम मंदिर बनायेंगे, मैं तो कह सकता हूं कि ये मंदिर बनाने वाले नहीं, केवल नाटक करने वाले लोग हैं। ये कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनायेंगे, लेकिन कब? सत्ता में आने के बाद इन लोगों ने कहा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहां बनायेंगे, तारीख नहीं बतायेंगे और सब को बेवकूफ बनायेंगे। यह बीजेपी के लोगों की साजिश है।

महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस देश में किसी को किसी की भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार नहीं है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, आज काफी देर से कमीशन पर बहस हो रही है। महोदय, हमारे पास कितना वक्त है?

सभापति महोदय : आपकी पार्टी का पूरा टाइम 18 मिनट है।

श्री शरद यादव : इस विषय पर बहुत चर्चा हुयी है, लेकिन मैं अपनी बात को शुरू करते समय यह कहना चाहता हूं कि यह कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। इसके आसपास व पीछे एक लंबा इतिहास है। हमने 62-63 वर्षों में हिंदुस्तान की किसी बीमारी का कभी इलाज करने का काम ही नहीं किया। हमने ईमानदारी से बीमारियां को दूर करने का प्रयास नहीं किया। आज का जो लोकतंत्र है, उससे मजहब और धर्म का भी झगड़ा चला हुआ है, जाति और लोकतंत्र में झगड़ा चला हुआ है। यह दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहूंगा कि यह इस देश की ऐसी घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है।

17.00 hrs.

लिब्रहान कमीशन को जो काम दिया गया था, मैं मानता हूं कि उनका काम अधूरा ही नहीं है बल्कि उसमें जो समझ होनी चाहिए, उस समझ की भी भारी कमी है। हां, एक तरह से आपकी बात सही है कि उसमें पूर्वाग्रह भी है। यह सारा सिलसिला देश के बंटवारे के साथ शुरू हुआ। देश बंटा और उसके तीन टुकड़े हुए। देश क्यों बंटा, इस बारे में 60-70 किताबें लिखी जा चुकी हैं। मैं इतना भर मानता हूं कि देश बंटते समय यदि कोई एक तन्हा आदमी था, तो वह महात्मा जी थे। जिस समय यहां आजादी क[illegible]न हो रहा था, वे नौवाखली में पैदल चलकर गए थे। उनके पांव खून से भरे हुए थे। वे दंगा बचा रहे थे, बंटवारा बचा रहे थे। कभी-कभी दुनिया के इतिहास में कोई अकेला आदमी होता है जो सच के साथ नया देश और नया समाज बनाता है। देश बंट गया और उसके बाद हिन्दुस्तान की आजादी में लोगों ने इतनी कुर्बानियां नहीं दीं जितनी अपने देश की धरती को बांटने में लाखों लोगों को उस तरफ मार दिया और लाखों लोगों को इस तरफ मार दिया। लाखों लोग उस तरफ से इस तरफ आ गए और करोड़ों लोग इस तरफ से उस तरफ चले गए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। बहुत से लोग आजादी लेने के लिए तड़प रहे थे, जेल जा रहे थे और जब आजादी आई, तब वह खून से नहाई हुई थी। वह काफी तरह की दिक्कत और किल्लत हमारे सामने छोड़ गई। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यह अर्धसत्य है, लेकिन हिन्दुस्तान की धरती में इतनी बीमारियां हैं कि उन बीमारियों का जिक्र किए बगैर एक-दो लोगों को गुनहगार बनाया जाता है। इस तरह गुनहगार साबित नहीं होगा। देश का बंटवारा एक दिन में नहीं हुआ। जब अंतरिम सरकार बनी, उस समय भी मुस्लिम लीग लड़ रही थी, हिन्दु महासभा लड़ रही थी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। हम उस समय भी एक नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश में हम मुस्लिम लीग के लोगों को एकोमोडेट नहीं कर सके। जिन्ना जो हिन्दुस्तान की आजादी में साथ था, वह बगावत करके गया। उसने बगावत का इतना लम्बा सिलसिला बनाया कि धरती बांट दी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है?

मैं जबलपुर का रहने वाला हूं। मैं हिन्दुस्तान के तीन सूबों से चुनाव लड़ता हूं। सारी कौन्सटीटूएंसी में एक ही बात है कि हमें वहां जाने के लिए वीज़ा दे दीजिए, क्योंकि हमारे नाते-रिश्तेदार वहां हैं। बंटवारा हो गया। वहां

तबाही है। हम भी चैन से नहीं हैं, यहां भी तबाही मचाए हुए हैं। हम जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर तबाही मचाए हुए हैं। आप कहें कि जाति नहीं है, मजहब नहीं है, यह गलत है, लेकिन यह है तो इसके सह-अस्तित्व का रास्ता क्या होगा। वह रास्ता एक ही है जो महात्मा गांधी जी का है। वह रास्ता एक ही है जयप्रकाश का, वह रास्ता एक ही है डा. लोहिया का, वह रास्ता हिन्दुस्तान में कबीर का है, वह रास्ता एक सीमा तक दीनदयाल जी का भी है। महासंघ के लिए उन्होंने साथ दिया था। मैं आपसे निवेदन करूं कि रास्ता वही है। जो लिब्रहान कमीशन है, गृह मंत्री जी यहां से चले गए। उसे यही चार्ज दिया गया था, यही काम दिया गया था। The main objective behind this Commission was to find the sequence of events leading to, and all the facts and circumstances relating to the occurrence in Ram Janambhoomi-Babri Masjid Complex at Ayodya on 6th December, 1992 involving the destruction of Ram Janambhoomi-Babri Masjid. ये सारा घटनाक्रम हुआ। अब कहां से यह सिलसिला बना, कैसे बना? वह मूर्ति कैसे रखी गयी? उस समय आजादी के लिए लड़ने वाले लोग यहां भी थे और वहां भी थे। मैं नहीं कहता कि उन्होंने मूर्ति रखवायी होगी, लेकिन मूर्ति रखने को उन्होंने छोटी घटना माना। मूर्ति रखने को उन्होंने इग्नोर किया।

सभापति महोदय, आपको मालूम नहीं है। इतिहास गवाह है कि 1948 में वहा उपचुनाव हुआ, बाय इलैक्शन हुआ। आचार्य नरेन्द्र देव वहां से प्रत्याशी थे और बाबा राघवदास उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पंत और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वहां उनके लिए प्रचार किया। उस समय तुलसी के पत्ते और गंगा जल बांटा गया और आचार्य नरेन्द्र देव के लिए कहा गया कि ये हिन्दू नहीं हैं। ये हिन्दू धर्म नहीं मानते, ये चोटी नहीं रखते, ये तिलक नहीं लगाते। हमने 1948 में चुनाव लड़ा और एक उपचुनाव जीतने के लिए, आचार्य नरेन्द्र देव जैसे आदमी को हराने के लिए हमने धर्म और मजहब का सहारा लिया। कौन सा चुनाव ऐसा है जिसमें जात, बिरादरी और मजहब का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हां, मैं मानता हूं कि इन सारी बातों के बावजूद भी देश अच्छे लोगों की संकल्पशक्ति से चल रहा है। कभी-कभी देश विघटन के, बंटवारे को, इस समाज को खंड-खंड करके पाखंड बनाने वाले लोगों के रास्ते पर भी चला दिया जाता है। देश दोनों तरफ जा रहा है। वह अच्छाई में भी डूबता है और खराबी में भी डूबता है। हम ऐसे हालात में हैं कि कहीं भी चैन नहीं है। बहुत से लोगों ने ठीक कहा कि लिब्रहान कमीशन बहुत बुरे वक्त में आया है। आज देश में त्राहि-त्राहि है। गरीब की चटनी, रोटी और दाल में आग लग गयी है। देश में बेकारी है, बेरोजगारी है, सूखा है और कई तरह का..(व्यवधान) बिजली भी नहीं है। ...(व्यवधान) इसलिए बम फटता है। जो लिब्रहान आयोग है, मैं मानता हूं कि सारे मुद्दों पर आपने बम पटक दिया है। सब मुद्दे पीछे हो गये हैं। यहां सदियों से यह बहस चालू है। इस बीमारी का ...(व्यवधान) लाइलाज नहीं, इलाज तो है। इस देश में इसका इलाज आचार्य नरेन्द्र देव जी हैं, लोहिया जी हैं, जयप्रकाश जी हैं। हमारी सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे। गुजरात में थी, उड़ीसा में थी, बिहार में थी। कांग्रेस पार्टी के भाइयो, ये शिलान्यास किसने कराया? ये मूर्तियां किसने लगायीं? वहां पीछे से लोग ताला खोलकर जाते थे। वहां जो मूर्ति है, क्या वह प्रकट हो गयी? अभी ये कह रहे हैं कि प्रकट हो गयी। ...(व्यवधान) प्रकटीकरण हो गया।

हमारे यहां 33 करोड़ देवी-देवता हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लाचार, गरीब, भूखे, निकम्मे, इतिहास में सारे युद्धों में हारने वाले यहीं हैं, तो आपका परमात्मा क्यों नहीं रक्षा करता। मैं तो कहता हूं कि तू यूरोप और अमेरिका में जाकर पैदा हो। हमारा तो बहुत नाश हो चुका, उनका थोड़ा नाश कर दे। यह काम करना चाहिए। देश आईन और संविधान से चलेगा। इस आईन में आग लगाओ, जिसके मन में जो आये, वह करो। एक बार देश टूट गया और फिर 1984 में एक नयी चीज हुई। वर्ष 1984 को हम भूल जाते हैं। उस वर्ष में सिख विरोधी दंगे हुए। मैं मानता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बहुत तकलीफ और अफसोस में था। मैं खुद चौधरी साहब के साथ देखने गया था, वह बहुत तकलीफदेह है। वह दिन भी इस घटना को उभारने का काम करता है। शाहबानो के मामले सरकार कभी अदालत के साथ खड़ी होती है और फिर कभी कानून बदलती है।...(व्यवधान) आपकी इच्छा से और मेरी इच्छा से नहीं, देश का जो आईन है, उसमें देश कैसे ठीक से चल सकता है, उसके बारे में मैं अभी बताता हूं कि कुर्बानी कैसे की जाती है। आपको मैं अभी बताए देता हूं। सिख विरोधी दंगों के समय हम यहां थे, चौधरी चरण सिंह थे, कर्पूरी ठाकुर थे, चौधरी देवीलाल थे, हम लोग तीन बार गए। जिस पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के बारे में कहा गया है कि इसमें कोई दोष नहीं है, उस दिन भी गृहमंत्री वही थे और इस समय भी प्रधानमंत्री वही थे। कल्याण सिंह जी और नरसिम्हा राव जी ने ओथ ली थी। देश के अन्दर लाखों-करोड़ों लोगों के सामने अगर आप कसम खाएं और उस पर कायम न रहें, तो उससे बड़ा विधर्म कुछ और नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा गलत धर्म कोई नहीं हो सकता। कसम खाकर इन दोनों ने यह काम किया। जब देश बंटा, उस समय भी दिल बंटे, लेकिन इस बार आपने आईन तोड़ दिया। यहां तो हिन्दू-मुसलमान में विश्वास बढ़ना था, लेकिन वह विश्वास तो टूट गया। मैं यह कहता हूं कि आईन टूट गया। मुलायम सिंह जी और राजनाथ सिंह जी ठीक कह रहे थे कि लिब्रहान आयोग ने न आगे की घटना देखी, न पीछे की घटना देखी, सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना को देखा। आइसोलेशन में किसी समाज में किसी तरह की घटना नहीं होती है। हर घटना के पीछे एक सिलसिलेवार इतिहास होता है। इस घटना के कुछ दिन पहले 22 नवंबर को, अयोध्या के ओएसडी किशोर कुणाल, जो चार वर्ष से वहां पर रहकर अयोध्या के मंदिर और मस्जिद के झगड़े में निगोशिएट कर रहे थे, वहां से चले गये। शरद पवार जी यहां से चले गए। वह उनके पास गया था। शरद पवार जी उसे प्रधानमंत्री के पास, नरसिंह राव जी के पास ले गए। मेरे पास इस समय ज्यादा वक्त नहीं है। मेरा तीन प्रधानमंत्रियों के साथ अयोध्या के मामले में सम्पर्क रहा है, मैं घटनाओं को जानता हूं। शरद पवार जी उनको प्रधानमंत्री के पास ले गए। दस दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगाने का पूरा पेपर बना हुआ था, बिल बना हुआ था, इसकी भी मुझे जानकारी है। नरसिम्हा राव जी से मैं तीन बार मिला हूं, बेचैन होकर मिला हूं। किशोर कुणाल भी लगातार हम लोगों के सम्पर्क में थे। वह वी.पी.सिंह जी के जमाने में निगोशिएट कर रहे थे, वह चन्द्रशेखर जी के जमाने में निगोशिएट कर रहे थे, वह धार्मिक आदमी थे। उन्होंने जो सुझाव शरद पवार जी के सामने रखा था, वही सुझाव प्रधानमंत्री जी के सामने 23 तारीख को रखा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के उस पूरे इलाके को सेन्ट्रल टेरीटरी बना दिया जाए, वहां का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया जाए। नरसिम्हा राव जी बोले, बहुत अच्छा विचार है, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। स्वर्गीय लाल नारायण सिन्हा उस समय अटार्नी जनरल थे,

उनको कहा गया कि आप इसके लिए ड्राफ्ट बनाकर लाइए। उन्होंने कहा मेरे पास यह नहीं है। वे बिल लेकर कुणाल जी शरद पवार जी के पास गये। एक आदमी जिसका नाम मैं यहां नहीं लेना चाहता हूं, वह भी उसके साथ था। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की बैठक हुई, वह जिक्र उसमें नहीं आया है। दस तारीख को पूरी की पूरी आईबी का 10 दिन पहले का होम मिनिस्ट्री का रिकार्ड निकाल कर देख लो, लगातार लोगों को आशंका थी कि जब इतने सारे लोग यहां इकट्ठे होंगे तो फिर कैसे नहीं टूटेगी? इसके पीछे केवल एक घटना नहीं है, एक और घटना इसे आगे बढ़ाने के लिए हो गयी। अगस्त 13 को मंडल कमीशन लागू हुआ और 25 सितम्बर को सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा शुरू हुई। मंडल कमीशन हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में था, लेकिन रथ[illegible] आइन के विपरीत थी। सारी की सारी यात्रा जो हुई और जो शिला-पूजन हुआ, उससे देश में वातावरण बना। वातावरण बनाने वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन प्रधान मंत्री जिसने हिंदुस्तान के आइन को बचाने की ओथ ली थी और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें माननीय अटल जी का नाम आया, मैं बहुत गहरे से उनको जानता हूं। उनका मन कभी भी नहीं था कि यह मस्जिद तोड़ी जाए। बहुत सी घटनाएं हैं जिन्हें माननीय मुलायम जी ने कहा मैं उनसे डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। हमारी और इनकी सरकार बनी तो एक करार हुआ कि तीन मुद्दे परे होंगे, जिनमें धारा 370, कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर-मस्जिद का मामला था। तय हुआ था कि या तो बातचीत से या कानून से समस्या का हल होगा। इस बारे में माननीय अटल जी के एक-दो नहीं वरन् 10 बयान आये। उन्होंने हर साधु-संन्यासी से कहा, विश्व-हिंदू-परिषद् से कहा और जो उन्होंने हमें वचन दिया, उसे रखा। हमारे और इनके बीच दो रास्ते हैं, बहुत से मामलों में सहमति है, लेकिन कुछ पर नहीं है। हमने दो-दो सरकारें चलाई हैं। कहीं भी कोई बात नहीं हो पाई।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद है, ये विवाद सिर्फ उस दिन का नहीं है। उसके पीछे लम्बा सिलसिला है। सरकारों को चाहिए था कि इसका समाधान करने का प्रयास करते। समाधान करने का प्रयास तब किया जब आग पूरे देश में लग गयी और दोनों तरफ से तबके भड़क गये। इस तरह का प्रयास अगर हम करेंगे तो देश बंट जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप दोनों फुटबाल खेल रहे हैं, यह फुटबाल खेलना आप बंद कीजिए। हम आपसे साफ-साफ कहना चाहते हैं कि हमारे जमाने में आडवाणी जी यात्रा पर निकले और उन्होंने कहा कि जब तक मैं अयोध्या न पहुंचूं, मुझे छुआ न जाए। सरकार में इनका समर्थन हमें हासिल था। वामपंथियों और भारतीय जनता पार्टी के चलते हमारी सरकार थी और मैं उस सरकार में वरिष्ठ मंत्री था। हमने समझौते की बहुत कोशिश की, बहुत रास्ता निकाला। किशोर कुणाल उस समय भी नैगोसिएशन में था, जिसकी गवाही नहीं ली गयी। उसने दो बार लिब्रहान कमीशन को लिखकर दिया। यह गैर-राजनीतिक आदमी मुझे प्रतिभा से भरा लगा। इसने पूरी रिपोर्ट को हिंदुस्तान बनाने के लिए नहीं दिया, विग्रह और कलह के लिए दे दिया। हमारे जमाने में आडवाणी जी यात्रा पर निकले। उन्होंने कहा कि यदि हमें राम मंदिर से शिलान्यास स्थल तक जाने नहीं दिया तो हम उसी समय सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। माननीय नरसिम्हा साहब की सरकार थी। कहते हैं कि इस देश में वैसे लोग नहीं हैं। आप कितने दिनों से सरकार में हैं तो यह क्यों हुआ? आपके जमाने में शिलान्यास हुआ लेकिन आपने उसे गंभीरता से नहीं लिया। हमारे जमाने में शिलान्यास घोषित करके निकले, वह घोषित नहीं करते,

तो बात हो सकती थी। जब घोषित कर दिया कि हम आईन तोड़ेंगे, तो हमने आईन बचाया और अपनी सरकार को शहीद करने का काम किया, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने दिया। हमने ऐसा काम किया है, ऐसा नहीं है कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष के लिए, पंथनिरपेक्ष के लिए, सदभावना के लिए लोग जान नहीं देते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन आपने ऐसा काम नहीं किया है। आपने जोखिम नहीं उठाया। आपके नेताओं को जिस गंभीरता से इन चीजों को लेना चाहिए था, नहीं लिया है। 414 लोग जीते हैं, वह सबसे बड़ा हिंदू बैकलेस था। वहां से कई चीजों का सिलसिला शुरू हुआ।

सभापति जी, बोलने के लिए समय कम है, इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो घट-घट है, जो परमात्मा से ले कर संस्कृति चलाता है, वह इंसान भूखा है। वह हर तरह की दिक्कत और किल्लत में है। यह ऐसा देश है कि यदि अमरीका आंख दिखा देता है तो थरथर कांपता है और रूस कभी आंख दिखा दे तो देश का लिया हिस्सा वापिस कर देता है। देश को मजबूत करो, तो मैं मानता हूं कि राम भी मजबूत होगा, अल्लाह भी मजबूत होगा। जब देश मजबूत होगा, तो हमारी संस्कृति की पताका भी दुनिया में फहरा सकती है। अगर फुटबाल खेलने का ही काम करोगे, तो सही नहीं होगा। एक आंख से हिंदू को इशारा करते हो और दूसरी आंख से मुसलमान को इशारा करते हो।...(व्यवधान) ये सिर्फ हिंदू-हिंदू करते हैं और आप हिंदू तथा मुसलमान दोनों करते हो।...(व्यवधान) आप दोनों से मैं कहना चाहता हूं कि देश को मजबूत कीजिए। आप बड़े हैं, आपकी पार्टी बड़ी है, इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट ने देश के सामने जो बड़ी समस्याएं पर्यावरण, भ्रष्टाचार से ले कर महंगाई तक की थीं, उन समस्याओं को दरकिनार कर दिया है।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Chairman Sir, at the beginning of my speech, I wish to tell the House that Trinamool Congress, under the leadership of Kumari Mamata Banerjee, very strongly deprecate and condemn the way the structure was demolished on 6th December, 1992. Major factors responsible for disturbing communal harmony in the country. … (*Interruptions*) The whole act in relation to the demolition of the structure vitiated communal atmosphere lowering the threshold of mutual tolerance and inflamed communal passion. Conditions were created to cow down and demoralize the Muslim community itself. What was the effect of the demolition of that structure? Immediately for a period of ten days, there was holocaust of communal riots, blood bath, brutality and bestiality. This was the effect immediately after the structure was demolished.

Communal forces are the killers of secular philosophy. Trinamool Congress, under the leadership of Kumari Mamata Banerjee, is the firm believer of secularism, communal harmony and unity of the country. We will not allow any evil forces to disturb the ethos and decency of secularism and communal harmony of the country which were the results of what had happened on 6th December, 1992. In fact, 6th December, 1992 was the black day in our nation's history. I would like to say that the BJP and the RSS are not the custodians of Hinduism in our country. Our Hindu religion teaches us to respect other religions and other religious institutions. In the name of Hinduism, neither the BJP nor the RSS nor any party nor any individual can destroy the fabric of democracy of our country.

We strongly deprecate the events which have happened on that day. When I read the Report I was really astonished. In para 158.8, it has been mentioned that for this unfortunate purpose of demolition of structure on that eventful day, many tens of crores of rupees had been spent. Can anybody imagine that? The Report says that a parallel Government was running in Uttar Pradesh by an extra constitutional body. It was allowed by the then Chief Minister, Shri Kalyan Singh. In the Report Shri Kalyan Singh has been identified. Long back, in 1994, the Supreme Court deprecated the then Chief Minister, Shri Kalyan Singh. He was sentenced and Rs. 2,000 was imposed on him. … (*Interruptions*) You have to tolerate. You have demolished and you have to tolerate.

I am not very happy the way hon. Judge, Shri Liberhan has submitted his Report. First, he has taken 17 long years. Crores of rupees have been spent. Ultimately, what has happened? He is soft towards the leaders of the BJP. He did not mention any of the names of the BJP leaders in the Report. It has been said in the Report, at page 19, that "top leadership may not have approved the demolition, however their declamations remain only suspect." Unfortunately, he did not consider the records, which he should have done. A designated court, on 8th September, 1997, framed charges against 48 persons, including Shiv Sena supremo, Shri Bal Thackeray, the then BJP President Shri L.K. Advani, Dr. M.M. Joshi, and Shri Kalyan Singh. It was unfortunate that, at that point, ten Members of Parliament were involved in that incident. It is most unfortunate for the democracy of our country. He did not pin-point the leaders. He has only said about Shri Kalyan Singh. For that, one does not require to wait for 17 long years. The leaders of the BJP have not been pin-pointed when specifically criminal charges have been framed under sections 147, 153 (a) (b), 295 (b), 505 and 105 of the Indian Penal Code. Mr. Chairman, you know very well the effect of framing of the charges. This record has been totally ignored by Shri Liberhan.

I do not know why he was so soft at the time of pin-pointing as to really who were the culprits for the demolition of the structure on that day itself. The report speaks about the Central Government which was, at that point of time, crippled by the failure of the intelligence to provide analysis of the situation. This is also mentioned in the report. Therefore, there was a failure on the part of the Ministry of Home Affairs also on that day and before the incident. What were they doing? Whenever there is a problem, the hon. Minister of Home Affairs will say that law and order is the responsibility of the State Government and the State Government will take recourse to it. When there are mass killings, our Constitution is so silent and helpless. Whenever there is a failure, the hon. Minister of Home Affairs will remain silent. He will say, `No, I will not do anything, the law and order problem is rested with the State Government'. Therefore, I say that even at that point of time, the hon. Minister of Home Affairs, who was there, was equally responsible for the events occurred on that day. He was supposed to be more cautious and he was supposed to take all initiatives to prevent the incidents that occurred on that day.

Sir, the findings are that the hon. Chief Minister of Uttar Pradesh and his Cabinet colleagues consciously allowed the writ of extra constitutional authorities, that is, to run the State. All these steps taken by the State or the *Sangh Parivar*, BJP, VHP, Bajrang Dal, Shiv Sena had the implied consent of RSS. We strongly deprecate this. In a political field, when a political party has been affiliated, has come for the service of the people at large, take the recourse of the religion. It is shame as far as our country is concerned. It has really destroyed the fabrics of the democracy. If a Government is not in a position to maintain the rule of law, it is not supposed to remain there. This is the constitutional duty. That rule of law had been violated at every stage. Unfortunately, the hon. Minister of Home Affairs was aware at that point of time that the rule of law was being violated every day.

We have said that our democracy runs under certain fabrics and one of them is secularism. If this is destroyed, everything is destroyed.

I would like to point out one thing to my Muslim friends who are present here. Unfortunately, there is a finding that my Muslim friends were not very serious before the Liberhan Commission to participate and to bring evidence. This is also not proper. You should have been more cautious. It is mentioned in the report itself. Everybody has a responsibility. It is not only speaking from political stage. If he has charged or allegation, then he has to come up with the evidence and he has to go before the appropriate adjudication proceedings. Unfortunately, there is some evidence in the report. I would like to say there that more witnesses and more evidences would have come up had the Muslims friends were very serious on the issues itself. Unfortunately, this is mentioned in the report itself. I would pray before all my Muslim friends that `please enforce your rights in our country and become more vocal. Our country believes in secularism'. I would say that the report rather indicates to further inquiry into the matter. Since the leaders have not been pin-pointed, the leaders are required to be pin-pointed. It should not be only with Shri Kalyan Singh or the police officers who were present there, but everybody has to be identified. It needs a more detailed report.

Sir, since another colleague of my Party will speak, I just finish it here.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Before I call Shri Abdul Rahman, an hon. Member has informed me that he is aggrieved by the reference made by Shri Mulayam Singh Yadav in his speech. Now, Shri Abdul Rahman will speak.

श्री कल्याण सिंह (एटा) : सभापति महोदय, मुझे कहीं जाना है, इसलिए मुझे बोलने का अवसर देने की कृपा करें।

सभापति महोदय : अभी आपको अपना नाम भेजना है।

श्री कल्याण सिंह : मैंने नाम भेज दिया है।

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Now, Shri Abdul Rahman will speak.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Kalyan Singh, you will get a chance later, not now. Let the major parties' time be over.

SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for having given me an opportunity to participate in the discussion over the Babri Masjid Demolition Report which was released by the Commission.

The demolition of Babri Masjid on 6th December, 1992 was a most reprehensible act. The perpetrators of this deed had struck not only against a place of worship but also at the principles of secularism, democracy and the rule of law enshrined in our Constitution. In a move as sudden as it was shameful, a group of people of heinous crime managed to outrage the sentiments of millions of Indians of all communities who have reacted to this incident with anguish and dismay.

Sir, the Liberhan Commission Report has explored the fact that the demolition was a well-planned and systematic conspiracy created by the *Sangh Pariwar* and its sister affiliations comprising the RSS, the VHP, the Bajrang Dal and the BJP. It was neither spontaneous nor a voluntary one. It was a well-orchestrated and a well-planned one. The Report has placed individual culpability for the demolition on a total of 68 persons. Towards this strong indictment, I would like to know what kind of a punitive action is going to be taken towards the 68 persons who were strongly indicted by the Report.

It is indeed very shameful even in the history of India.

At this juncture, I would like to point out the narration of the Supreme Court verdict through SC 605 of 1995. This judgement was given at the time of the NDA Government only condemning the heinous and criminal act of Babri Masjid demolition

towards the then Cabinet and Home Minister, now the hon. Leader of the Opposition. The text very clearly stated in this way:

> "It was an act of national shame. What was demolished was not merely an ancient structure but the faith of minorities in the sense of justice and fair play of the majority. It shocked their faith in the rule of law and the constitutional process."

This is the exact narration given by the Supreme Court.

At the time of the demolition of the Babri Masjid in Uttar Pradesh, the State was governed by the BJP. The demolition was carried out with full assistance of its sister concern, the RSS. It was running as a parallel Government. It was stated very clearly in the Liberhan Commission Report. It was used as an essential component needed for the demolition act. Even when it was brought to the Chief Minister's attention that the Babri Masjid was being demolished and the mobs were attacking the minorities and the innocents in Ayodhya, he did not direct the police to use their force to protect the people and the innocents. As a result, all the police officers and the Governmental authorities, the complete Government machinery had acted as uniformed *karsevaks* rather than the protectors.

Closed circuit televisions and metal detectors were intentionally rendered inoperative and ineffective by the Government administration. No video recording of the event happened. Video recording, according to the rule of law, from the Government side has been stopped. The media was targeted and it was heavily harassed. According to the text of the Liberhan Commission Report, some media people had been arrested and they were house a very small place and some of those media people were molested. It was a very shameful act. The result of all this is the betrayal of the nation and Indian history. Such a person is now a sitting Member of this House which is the supreme institution of this country. ...*

Sir, the chief architect of the event was Shri L.K. Advani. He has initiated the Rath Yatra from Somnath to Ayodhya in 1990 which has created 3,000 riots all over the country. Thousands of people were killed. The Times of India, in its Editorial Page, has said that it was not a Rath Yatra, it was a 'blood yatra'. Such a very shameful event had

---

* Expunged as ordered by the Chair.

happened in this country. I recall that the then Prime Minister Shri V.P. Singh has not supported the Rath Yatra just to save his Government even though he was getting the support of the BJP for his Government and because of his refusal to support such kind of a criminal act, he had to lose his Government. He was not hesitating to face such an ultimatum. At this juncture, I honestly salute the courage of late V.P. Singhji.

Sir, on many previous occasions and even before the Libarhan Commission, Advaniji has made many conflicting statements. Once he claimed that the demolition of Babri Masjid is the most agonising moment of his life, another time, he confessed that the demolition of Babri Masjid has helped his party to consolidate its vote bank and on another occasion he said that the Ram Temple movement was a matter of pride for Hindus. The way he was attempting to polarise and poisonise the Hindu religious concept was not accepted by the Hindu community and he should realise that.

Sir, in order to disturb the peace and harmony of the country, huge amount of money was transferred to the accounts of RSS, VHP, BJP and its associate organisations. As my friend has already mentioned, tens of crores of rupees have been put in their accounts on so many occasions. Where has such a huge amount of money come from? Crores and crores of rupees have been transferred into various accounts for carrying out this kind of a heinous and criminal act. How has this big amount of money been transferred? Who has utilised it? How has it been utilised? All this factual information must be disclosed to the nation. All the judicial cases pending in different courts pertaining to Babri Masjid demolition have to be consolidated and should be adjudicated in one court at the earliest.

At this juncture, before I conclude, I would like to recall how a leader should act and how a leader of our country had respected the communal harmony, nationalism and showed great patriotism. At the time of freedom, the country was partitioned. After the formation of Pakistan, at that time the Muslim League Leader in Pakistan, Mohammad Ali Jinnah raised the voice in favour of the Muslim minority community in India to protect their rights.

At that time the late Muslim League Leader Qaed-e-Milad Mohammad Ismail Saheb told Mohammad Ali Jinnah Ji, ‘you are in the foreign country, you are not son of India, you are not the citizen of India, we are the citizens of India, we are the children of

this country, we know how to protect the minority issues. We know how to look into the minority problems. You are in the foreign country. You should not speak about a minority community in India. If it is justifiable to talk about a minority, you please think about the minorities, that is, Hindus and Christians living in that country. You please look into the problems of those minorities in Pakistan and do not speak about the minority or the Muslim community in India. We have the courage to face the problems in this motherland.' This is patriotism, this is nationalism. This is the communal harmony. This is the communal amity the leadership has shown in this country. Our radical group leaders should learn this kind of lesson from this kind of an act.

In our Indian culture, no worship place of any religion is demolished for the creation of another worship place of some other religion. Our Indian people are not having this kind of a culture. India is a secular country, no religion is against any religion, no religion is giving any kind of immorality against the morality of any other religion. All religions are teaching moralities. We may be different in religious names. But as far as the concept of morality is concerned, we are all brothers, we are all sisters in India.

I would like to conclude with one particular concept by leaving it for your consideration. At the time of demolition of Babri Masjid because of anger of certain group of people in Pakistan, a few number of Temples were damaged… (*Interruptions*) Immediately, the Pakistan Government had announced that they would be taken care of… (*Interruptions*) We know very well that India is a secular country and Pakistan is not like us. Even then the Pakistan Government had taken the responsibility to renovate the damaged areas in those Temples… (*Interruptions*)

Apart from the completion of the demolition when Pakistan Government had submitted all these things to the Hindu community, our Leader of Opposition, Shri Advani, had gone… (*Interruptions*) and had participated in the opening of renovated Temples. Like that as this is a secular country, I would appeal in this august House that let this demolished Babri Masjid be reconstructed in the same site by the people, if those people are led by Advani Ji, we are all ready to queue up behind him. That will be a historical achievement in this country. This kind of secularism, this kind of communal harmony, this kind of communal amity should be proved in the history of India. This will be really

a new era of all our Indians. This will be the proud of each and every Indian citizen among the world countries.

By taking this opportunity, I would request all our people that because of religion, because of any other worship style, please do not try to differentiate the brotherhood of the people… (*Interruptions*) All religions are teaching morality. All religions are teaching each and everyone to behave like brothers and sisters. That kind of concept, that kind of principle may please be followed by all our Members irrespective of the State where we are from, irrespective of the political party that we belong to.

Thank you, Mr. Chairman Sir, for having given me this opportunity to place my concept and submissions on this debate.

MR. CHAIRMAN : Before the next speaker, I would give only one minute to Shri Sanjay Nirupam for a personal explanation.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात स्पष्ट करने के लिए अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य एवं नेता हैं। पूरा देश और हम सब उनसे अपेक्षा करते हैं कि जब वे सदन में खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं तो वह असत्य न हो और तथ्यों पर आधारित हो। लिब्राहन कमिशन की रिपोर्ट और उस पर आधारित ए.टी.आर. पर बोलते समय मुलायम सिंह जी ने कहा कि संजय निरुपम, छग्गन भुजबल और नारायण राणे, ये तीनों अयोध्या में बतौर कार सेवक थे।...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : यह नहीं कहा।...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : आप जरा मेरी बात सुन लीजिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि तथाकथित अयोध्या मूवमेंट्स से हमारा कोई रिश्ता नहीं था, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि मुंबई के दंगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं था, मैं शिवसेना से तब जुड़ा, जब सब दंगे हो चुके थे। इसलिए मुलायम सिंह जी अगर सदन से बाहर कहीं पब्लिक मीटिंग में इस तरह की बात करते हैं, मुझे विरोध नहीं करना है, जो बोलना है, बोलें। लेकिन अगर सदन में बोलना है तो सत्य पर आधारित बात बोली जाए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करता हूं कि मुलायम सिंह जी के वक्तव्य में से मेरे बारे में जो रेफरेंस है, उसे एक्सपंज किया जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है, धन्यवाद।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We will verify the records, Mulayam Singh *ji*.

… (*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम : जितनी फाइंडिंग लिब्रहान कमिशन की नहीं है, उससे बड़ी फाइंडिंग मुलायम सिंह जी लेकर आ गए।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मुझे भी बोलने की इजाजत दी जाए। संजय निरुपम जी जो बोल रहे हैं, मैंने यह कहा है कि मुंबई में शायद ये रहे न हों, शिवसेना ने इतने लोगों की हत्याएं की हैं और वहां की महिलाओं और लड़कियों को नंगा करके, कांच की बोतले तोड़ कर खड़ा किया है। इसलिए मैंने संदर्भ दिया था। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि माननीय कल्याण सिंह जी समाजवादी पार्टी में न आए थे, न थे और न मेम्बर बनेंगे । इन्होंने स्वयं बयान दिया था। जब कल्याण सिंह जी का नाम लिया तो मैंने जरूर कहा कि लोग कह रहे हैं, संजय निरुपम और जितने नाम लिए हैं, हम दोबारा उनके नाम लेना नहीं चाहते। हमारी राय यह थी कि आप लोगों ने भी खूब अच्छी तरह से और शिवसेना ने मुंबई में जो किया था, उनमें आप भी थे, आपकी पार्टी तो थी, अगर आपकी पार्टी थी तो आप भी थे।...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: मुलायम सिंह जी, आप अपना ज्ञानवर्धन कर लें।...(व्यवधान) हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है। ...(व्यवधान) आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आप जो बोलें सच बोलें, गलत न बोलें।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Sanjay Nirupam, kindly take your seat. Time was given to you to speak.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We will verify the records and take an appropriate decision. That matter is over.

… (*Interruptions*)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस बहस एवं चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मान कर कि 17 साल के अंतराल में हमारे सम्मानित सदस्य साथी कुछ तो बदलें होंगे। 17 साल पहले एक घटना घटी थी, जिसका खामियाज़ा और बोझ हम आज तक उठा रहे हैं। मैं अगर अपने बारे में कहूं तो मेरे प्रदेश में वह घटना घटी थी, उससे पूरे देश को ठेस लगी थी। पूरे विश्व को उसे देख कर खेद एवं कष्ट हुआ था, लेकिन जो सबसे बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ा, वह उत्तर प्रदेश में मुझे और मेरे साथियों को भुगतना पड़ा था।

सभापति महोदय, अभी भगवान राम के 14 वर्ष के बनवास की बात हुई, हम भी 14 वर्ष बाद इस संसद में वापस लौटे हैं। 14 वर्ष का बनवास हमारे साथियों ने हमें उत्तर प्रदेश में दिलाया था। किस लिए दिलाया था, क्या समझ कर दिलाया था कि हमसे उत्तर प्रदेश और भारत छीनेंगे। हमसे उत्तर प्रदेश छीन लिया होगा, लेकिन वहां कहीं साइकिल के हाथ में दे दिया और कहीं हाथियों की चरागाह बना दी, लेकिन अपने पास रख नहीं पाए तो किस लिए इतना बड़ा ड्रामा किया था?...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, हम जानते हैं - ''लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई, लम्हों की खता हम समझते थे कि 17 साल बाद कोई तो ऊधर से खड़े होकर यह कहेगा कि हमें पश्चाताप है।'' जो हुआ, वह अन्याय था, जो हुआ, वह अच्छा नहीं हुआ, लेकिन समझ में नहीं आता, अजीब ओरकेस्ट्रा है। राजनैतिक ओरकेस्ट्रा की अलग-अलग साज़ एवं राग हैं। कोई कहता है कि बड़ी दुखित बात हुई। कोई कहता है कि बड़े खेद का विषय है, कोई कहता है कि बड़े सुख की बात है, कोई कहता है कि हम तो जश्न मना रहे हैं, कोई कहता है कि पहले होना चाहिए था। लड़ाई किस बात की है। अगर हिन्दू और मुसलमान की लड़ाई होती, तो बहुत नीच लड़ाई होती, लेकिन उससे भी नीच लड़ाई कर दी कि यहां सिर्फ सत्ता के लिए हिन्दू और मुसलमान को लड़ाने की बात कर दी। बाबर का नाम उठा लिया और कहा कि हम बाबर से सहमत हैं और हम बाबर के साथ खड़े होना चाहते हैं। ये भूल गए कि हम वही हैं, जो बहादुरशाह जफर का नाम लेते हैं, जिस ने इस देश के लिए कहा था कि ''लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किस की बनी है आलमे नापाएदार में, कह दो उन हसरतों से कहीं और जा बसें, इसकी जगह कहां है दिले दागदार में।'' वे ऐसे बादशाह थे। यहां हमें जिनेटिक थ्यौरी समझाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी जिनेटिक थ्यौरी बताती है कि बहादुरशाह जफर ने अपने शहजादों को कत्ल होते देखा, अपने शहजादों को मरते हुए देखा, लेकिन इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की। फिर सिर्फ एक कुर्सी

के लिए इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी और फिर यह कहा कि यह लड़ाई मंदिर और मस्जिद के अस्तित्व की है और कहा कि यह राम राज्य की लड़ाई है।

सभापति महोदय, हम भी इनसे कहते हैं कि यह मत समझना कि हिन्दू सिर्फ उधर ही बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दू इधर भी बैठे हैं, लेकिन इधर वे हिन्दू बैठे हैं, जो हिन्दू धर्म का सम्मान करना जानते हैं। इधर वे हिन्दू बैठे हैं, जिन्होंने देखा और सुना कि जब महात्मा गांधी जी की छाती छलनी हुई थी, तो उन्होंने 'हे राम' कहा था, किसी की जान लेते वक्त, 'जय श्री राम' नहीं कहा। यह अन्तर है हम में और आप में। आप समझ बैठे थे कि यह हिन्दू और मुसलमान की लड़ाई है। यह हिन्दू और मुसलमान की लड़ाई कतई नहीं है।

सभापति महोदय, उनकी तरफ से राजनाथ सिंह जी ने कहा इमामे हिन्द, किसको कहा, भगवान राम को इमामे हिन्द कहा। हम भी मानते हैं कि भगवान राम इमामे हिन्द तो क्या, उन्हें पूरी दुनिया का इमाम कह लीजिए, इसलिए कि जब आप राम राज्य की बात कहते हैं, तो हम उसमें निजामे मुस्तफा की बात जोड़ते हैं। हम यह कहते हैं कि राम राज्य में किसी यतीम के साथ अन्याय नहीं होता, किसी का घर नहीं जलाया जाता, किसी महिला का अपमान नहीं होता और दिनदहाड़े किसी को लूटा नहीं जाता। वही हमें निजामे मुस्तफा में भी सिखाया गया है। शब्दों का ही सारा फेर-बदल है। शब्दों की ही लड़ाई है।

महोदय, यहां हम सोचते रहे कि कहीं न कहीं तो लिबरहान कमीशन की रिपोर्ट पर राजनाथ सिंह जी कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने जगह-जगह से निकाल कर यह बोला कि यह त्रुटि है, यह नाम गलत आ गया, यहां पर यह गलत लिख दिया और यहां पर नाम गलत ले लिया। अजीब बात थी कि लिबरहान को सुनते-सुनते इब्राहीम कमीशन हो गया। चारों तरफ से इब्राहीम कमीशन की बात हो रही है। जैसे इसको भी किसी और जज ने लिखा हो। इब्राहीम नहीं, लेकिन ईमान की बात करो और ईमान की बात यह है कि 17 साल पहले आपसे कुछ गलती हुई। मैं भी कहता हूं कि हमसे भी कुछ गलती हुई। हमारी गलती क्या थी, हमने आप पर विश्वास किया और इसलिए विश्वास किया कि हम आपस में बात किया करते हैं। यह हमारी सांवैधानिक और सामाजिक व्यवस्था है। हम आपके दुश्मन नहीं बन सकते, हम आपको इस देश से निकाल नहीं सकते, लेकिन यदि हम आपको देश से नहीं निकाल सकते, तो आप हमें देश से निकालने वाले कौन होते हैं? आप हमें कैसे बाबर की औलाद कह देते हैं? बाबर से हमें कुछ लेना-देना नहीं, लेकिन कहीं कोई मस्जिद हो, कहीं कोई मंदिर हो, कहीं कोई गिरजाघर हो या कहीं कोई गुरद्वारा हो, तो उससे हमें कुछ लेना देना है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि वहां सबका बराबर सम्मान हो। हम तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं। कि इस रिपोर्ट के बारे में, आपकी ओर से जो कुछ भी कहा गया, वह हमारी समझ में नहीं आया।

कभी आप कहते हैं कि मंदिर था, यदि मंदिर था, तो वह क्यों गिराया? कभी आप कहते हैं कि वहां मस्जिद थी ही नहीं, तो क्या बात थी कि एक धक्का और दो और मस्जिद को गिरा दो? यह क्या बात है?

सभापति महोदय, आज यहां शरद यादव जी मौजूद नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि उनमें बड़ी हिम्मत है कि आपके बीच में बैठकर वे हमें सैकुलरिज्म का धर्म सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि सैकुलरिज्म क्या है, किस तरह से वे आपके साथ बैठ लेते हैं? आप शिकायत कर रहे हैं कि हमने किसी को लिया है। आप शिकायत कर रहे हैं कि औरों ने पार्टी छोड़कर हमारा साथ दिया है। क्यों न दें, यदि उन्हें एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 50 दिन या 100 साल बाद ऐसा लगता है कि वे जिसके साथ थे, वह गलत था और जिसके साथ वे नहीं थे, वह अच्छा था, इसलिए वे हमारे यहां आ गए। आप भी तो पुण्य का काम करते हैं। हर हिन्दू, जब गंगा स्नान करता है, तो वह पाप धो देता है और गंगा पर कभी आरोप नहीं लगाए जाते। जो हमारे यहां आ गया है, वह भी उसी तरह से पाप धोकर आया है। आप गंगा का अपमान मत करिए।

18.00 hrs.

हम तो सिर्फ आपसे इतना ही कहते हैं कि आपकी...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : इतनी पवित्र नदी का इन्होंने अपमान किया है...(व्यवधान)

श्री सलमान खुर्शीद: अरे भइया, अगर किसी को नाले में नहाने की आदत हो तो वह गंगा पर क्यों हस्तक्षेप करता है, हमें नहाने दो, जहां हम नहाते हैं। सच्ची बात यह है कि...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, please take your seat for a minute.

Hon. Members, now, it is 6 o' clock. If the House agrees, we will extend the time of the House till the speech of the hon. Minister is over.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, let the Minister complete his speech by about 6.30 p.m. Thereafter, we may take up *Zero Hour*… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There are some *Zero Hour* submissions. Hon. Members, who have given notices, are waiting from morning onwards to make their submisions. So, we have to allow them some time. After the Minister's speech is over, we will take up *Zero Hour* submissions also. So, I seek the permission of the House until then whether we can continue. I hope, the House agrees.

SOME HON. MEMBRS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you please continue.

श्री सलमान खुर्शीद: सभापति महोदय, राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि जब यह रिपोर्ट बन रही थी तो जस्टिस लिब्रहान ने सब कुछ कहा, लेकिन पृष्ठभूमि नहीं कही, यह नहीं बताया कि कहां से बात शुरू हुई और कहां से बात आई। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने डार्विन थ्यौरी की बात नहीं की कि यहां डार्विन थ्यौरी से ही यह समस्या शुरू हुई है। वहां से यह विवाद शुरू हुआ था।

यह रिपोर्ट सिर्फ एक घटनाक्रम के बारे में है, जिस घटनाक्रम को लेकर यह देश चाहता है कि भूल जाये कि क्या हुआ। लेकिन अगर यह देश पूर्ण रूप से भूल जाये तो शायद वह फिर से हो जायेगा, इसलिए कि हम भूलने को तैयार नहीं हैं। यह सही है कि लोग कहते हैं कि अगर प्रेसीडेंट रूल लग गया होता तो यह न होता। मुलायम सिंह जी, अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं आपकी बात से ही अपनी बात जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा कि आपने गोली चलाई, इसलिए चलाई कि देश को बचाना था और गोली चलाने से 16 लोग हयात हुए, लेकिन हमने गोली नहीं चलाई तो हजारों लोगों की जान गई। हो सकता है, यह सही हो, लेकिन जिस वक्त गोली चलाने की बात आती है तो सोचना पड़ता है कि गोली चलाएंगे तो क्या होगा। हमने अपनी छाती पर सहना पसन्द किया, लेकिन गोली चलाना पसन्द नहीं किया। इतिहास तय करेगा कि वह सही था या वह गलत था। ...(व्यवधान) जब आपने यह कहा...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, मेरा नाम लिया गया है-एक मिनट। जब आपने गोली नहीं चलाई और 1992 में जब मस्जिद गिरी है, उसका जवाब दें कि कितने लोगों की जानें गईं। हमने तो गोली चलाई तो केवल 16 जानें गईं और जब गोली नहीं चलाई गई और मस्जिद गिरने दी गई तो गोली कितनी चली हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं? अकेले मुम्बई में कितना नुकसान हुआ, अकेले फैजाबाद में कितना हुआ, पूरे देश में कितना नुकसान हुआ है और कितनी मस्जिदें गिरी हैं? एक मस्जिद नहीं गिरी, अनेक मंदिर भी गिरे।

श्री सलमान खुर्शीद: सभापति महोदय, मैंने तो यही कहा था कि अन्तर सारा ही है, मैंने तो यह भी नहीं कहा कि जो 16 लोगों की जानें गई, उसके कारण उसके आगे जो कुछ घटनाक्रम हुए, वे होते चले गये। मैंने यह भी नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि जो प्रशासक होता है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ होता है, उसको यह निर्णय लेना होता है कि इस समय सबसे अच्छा हमारे देश और समाज के लिए कौन सा निर्णय होगा। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या गोली नहीं चलाकर मस्जिद गिरवानी थी? मैंने गोली चलवाकर मस्जिद को बचाया है।...(व्यवधान)

श्री सलमान खुर्शीद: रही बात मस्जिद गिरने की, मैं देख रहा था कि कल्याण सिंह जी बार-बार खड़े होकर कह रहे थे कि मुझे भी कुछ कहना है और हम उनकी बात सुनेंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह जी से यह कहना चाह रहे थे कि 'हममें-तुममें जो करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो।' जो इनके आपस में सम्बन्ध थे, हमारी रिपोर्ट में कुछ है कि नहीं, इस रिपोर्ट में कुछ है कि नहीं, हम खुद जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आपस में बातचीत तो आपकी भी हुई होगी। होम मिनिस्टर और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातचीत हुई होगी, लेकिन उसका विवरण कहीं नहीं आया। लेकिन मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी की जो बातचीत हुई, उसका भी तो विवरण नहीं आया, वह भी तो हम जानना चाहते हैं। बी.जे.पी. वाले साथियों से मैं यह कहना चाहता हूं। कल्याण सिंह जी हनुमान बनकर आए थे, तो अपने हनुमान को इतना दूर कैसे कर दिया? अगर मंदिर की ही लड़ाई थी, अगर हिंदुत्व की ही लड़ाई थी, तो अपने हनुमान को क्यों बाहर निकाल दिया? एक बार नहीं, दो-दो बार निकाला। भगवान राम तो ऐसा कभी नहीं करते। आज वह हनुमान फिर क्या दस्तक दे रहा है, फिर अयोध्या वापस आने की बात कह रहा है? आप कहते हैं कि जस्टिस लिब्रहान कभी अयोध्या नहीं गए। मैं अयोध्या गया हूं। लेकिन ये लोग तो बतायें कि पिछले दस वर्ष से भगवान आज बिना छत के बैठे हैं, वहां यह भी कभी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ...(व्यवधान) क्या लड़ाई सिर्फ इसी बात की थी कि भगवान जहां भी रहें, लेकिन कम से कम हम इस संसद में रहें, अगर इस बात की लड़ाई थी, तो उस लड़ाई का क्या औचित्य था, उस लड़ाई का क्या फायदा था?

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथी सतपाल महाराज जी यहां पर होंगे, उन्होंने एक बार नहीं, पचास दफा यह कहा है कि जहां किसी का जन्म होता है, वह स्थान पवित्र नहीं हुआ करता, तो फिर लड़ाई किस बात की है? जन्मभूमि तो पूरा भारतवर्ष है। जन्मभूमि तो यह पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, तो अगर अयोध्या की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किस बात पर लड़ रहे हैं? जन्मभूमि पर लड़ रहे हैं या जन्म-स्थान पर लड़ रहे हैं? ऐसा लगता है कि न ही जन्मभूमि पर लड़ रहे हैं, न ही जन्मस्थान पर लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं तो उसी कुर्सी की तलाश में हैं, जो कुर्सी कुछ दिन को इनको मिल गयी थी, लेकिन वह कुर्सी फिर जाती रही।

महोदय, हमारे सम्मानित मित्र ने पाकिस्तान का विवरण करते हुए यह कहा था, हिंदू-मुसलमान की बात कही थी और यह भी कहा था कि पाकिस्तान किसने बनवाया और क्यों बनवाया? यह भी भारतीय जनता पार्टी हमें ज्यादा बता सकती है कि किसने बनवाया और क्यों बनवाया? इन्हीं के बीच में से लोग निकलकर बार-बार मुहम्मद अली जिन्ना को सर्टिफिकेट दिया करते हैं कि जिन्ना ने नहीं बनवाया, तो फिर

किसने बनवाया? इसीलिए मैंने कहा था कि अजीब आर्केस्ट्रा है। उस आर्केस्ट्रा में हर किस्म का साज है, हर किस्म का राग है। मुलायम सिंह जी का राग तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि हमारे साथ हैं कि उनके साथ हैं। वह कहते हैं कि हमने वोट की तलाश में इनको सजा दी है। इनको सजा दी है, फिर यह भी कहते हैं कि हम तीन दफा मुख्यमंत्री बन गए। तीन दफा मुख्यमंत्री बन गए, ऐसी सजा इनको चाहिए, तो हम फिर दे देते ऐसी सजा, अगर मुख्यमंत्री बनना सजा ही होती है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं। बीजेपी ने कहा था कि आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, मैंने कहा कि हम तीन बार आए हैं। ...(व्यवधान)

श्री सलमान खुर्शीद : मुलायम सिंह जी, अगर आप आज्ञा दें, तो मैं अंग्रेजी में बोलूं। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : इसके मायने आप आडवाणी साहब का समर्थन कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री सलमान खुर्शीद : अगर मेरी हिंदी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं अंग्रेजी में बोलूं। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : दो बार फिर आए, तीन बार आए। ...(व्यवधान) आडवाणी जी और आप एक हैं। यह भी स्पष्ट कीजिए। मैंने आडवाणी जी को जवाब दिया है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mulayam Singh Yadav Ji, please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please continue.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No interruptions, please.

Please continue.

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, हमें तो ठेस लगी थी, हमारे पांव खिसके थे, हम भी बड़े चिंतित थे, हम भी बहुत घबराये हुए थे, यह तो हमारा सौभाग्य है कि उसके बाद माननीय सोनिया जी ने स्वीकार किया कि वह हमारी पार्टी की अध्यक्ष बनेंगी, इसलिए हममें फिर से जान आ गयी। हमने फिर आपको जवाब दिया। ...(व्यवधान) आपने हमसे पूरा उत्तर प्रदेश छीना तो कोई बात नहीं थी, हमने आपसे सिर्फ फिरोजाबाद छीन लिया, तो उससे इतना रुष्ट हो गए। मुलायम सिंह जी से मेरा ...(व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज): महोदय,... *

MR. CHAIRMAN: No, it will not go on record. Please take your seat.

(Interruptions) ... **

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

** Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Sudip Bandyopadhyay, please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Sudip Bandyopadhyay, please take your seat.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : प्लीज़, आप बैठिए।

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Kalyan Banerjee, please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please understand that we are discussing a very important subject. Kindly cooperate with the Chair. Only what the Minister is saying will be on record and nothing else will be on record.

… (*Interruptions*)

श्री सलमान खुर्शीद : सभापति महोदय, यह सब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो कोई बात नहीं होती।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not provoke them.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): आप लिब्रहान के बारे में बोलिए।...(व्यवधान)

श्री सलमान खुर्शीद : आप डार्विन थ्योरी पर चले गए और मुझसे कह रहे हैं कि लिब्रहान पर बोलिए। चलिए, हम लिब्रहान पर आ जाते हैं। यह लिब्रहान पर चर्चा चाहते हैं तो हम लिब्रहान पर ही चले आते हैं। हमारे मित्रों का कहना है कि लिब्रहान ने बिना तथ्य के यह निर्णय लिया है। बिना तथ्य की क्या बात है, अगर यह सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी पर खुद ही आरोप लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करें। उनका नाम सिर्फ एक सूची में आया है। लिब्रहान कमेटी की रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा गया है कि उनका कोई षडयंत्र था, लेकिन आपके दिल के अंदर कोई बात है और आप उस बात को कहना चाहते हैं, तो मैं कैसे आपको रोक सकता हूं। कहीं नहीं कहा गया है कि वे षडयंत्र में थे। सिर्फ यही कहा गया है कि इनके बड़े-बड़े नेताओं को यह मालूम होगा कि करोड़ों रुपया आ रहा है और पूरे संघ परिवार के जो विभिन्न अंग हैं, उनको वह पैसा जा रहा है, ट्रेनिंग हो रही है। फिर यह कहा कि जब विध्वंस का समय आया, जब मस्जिद

पर प्रहार हो रहा था, तो पुकार कर यह कहा गया कि आप लोग कृपया नीचे उतर आएं, क्योंकि लिब्रहान कमीशन ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कोई मस्जिद ऊपर से नहीं गिराई जाती, अंदर से गिराई जाती है, अंदर छेद बनाकर, अंदर ही रस्सियां डालकर उसे खींच-खींचकर गिराया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि षडयंत्र है। इन्हें शिकायत किस बात की है। शिकायत इस बात की है कि षडयंत्र का आरोप लग रहा है या इस बात की है कि इन्होंने पिछले दस वर्षों में जो कुछ किया, उसके कारण अब कहते हैं कि आक्रोश पैदा हुआ। क्या आक्रोश पैदा करना कोई अच्छी बात है? हमने जब कहा कि यहां जिन दस्तावेजों की चर्चा हो रही है, वे सारे दस्तावेज कोर्ट के सामने हैं। मैटर अभी सब-जूडिस है। इस पर फैसला होना है, इस पर निर्णय होना है। यदि सारा फैसला पार्लियामैंट में सुना दिया जाए तो वहां क्या फैसला आएगा। इसीलिए मैं मानता हूं कि लिब्रहान कमीशन ने बड़ी बारीकी और समझदारी से सब-जूडिस मामले से हटकर अपना निर्णय दिया है। अगर यह समझते हैं कि वहां षडयंत्र नहीं था और जो हुआ, वह इनके संगठन ने किया, इनके कार्यकर्ताओं ने किया, इनके सेवकों ने किया, तो फिर मैं कहता हूं कि इन लोगों को फिर से जाकर सोचना चाहिए कि इनका संगठन कैसा संगठन है। अपने संगठन का पता नहीं कि वह क्या कर रहा है। यदि अपने संगठन का पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है, तो बड़े-बड़े पदों पर बैठने की इनकी इच्छा क्यों है। हम जानते हैं कि हमारा संगठन क्या कर रहा है, हम जानते हैं कि यदि हमारे संगठन में कहीं कमी है तो क्या कमी है और हम उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, कोशिश भी करते हैं। यह सही है कि हम सब सफल नहीं हो सकते। लेकिन 17 साल बाद अब आरोप-प्रत्यारोप समाप्त कीजिए, अब खड़े होकर यह कहिए कि नहीं, अब इसका रास्ता वही है जो कोर्ट तय करेगा। मामला कोर्ट के सामने है। अगर मामला कोर्ट के सामने है और सब-जूडिस है तो यहां कैसे कह सकते हैं कि यह मंदिर है, मस्जिद नहीं, यह कैसे कह सकते हैं कि यह मस्जिद है, मंदिर नहीं। जब कोर्ट फैसला करेगा और आप कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे या आपस में बैठकर कोई फैसला करेंगे या पूरा देश कोई फैसला मानेगा, तो फिर कुछ हो सकता है।

ऐसा मत समझिए कि दुनिया में बड़े-बड़े विवाद नहीं हैं। विवाद रहे हैं। साउथ अफ्रीका में गोरे रंग के लोगों और काली चमड़ी के लोगों में काफी बड़ा विवाद था। लेकिन नेल्सन मंडेला जी ने उस विवाद को समाप्त किया, सबको एक साथ जोड़ा। वहां भी लोग कहते थे कि भारत और पाकिस्तान की तरह हम साउथ अफ्रीका का विभाजन करें। उन्होंने कहा कि कभी विभाजन नहीं होगा और नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो विभाजन हुआ था, उस विभाजन से पूरा विश्व दुखी था। इसलिए उन्होंने विभाजन नहीं होने दिया। सब लोग वहां एक साथ रहे। बर्लिन की वॉल गिरी। कितने दिन तक लोग बर्लिन की वॉल फलांगने के लिए अपनी जान दिया करते थे। बर्लिन वॉल इसलिए गिरी, क्योंकि लोगों ने वहां पर आपस में विश्वास व्यक्त

करते हुए फिर से एक परिवार को जोड़ने की बात की। उसी तरह टूटा हुआ वियतनाम फिर से जुड़ा। क्यों नहीं हम ऐसे ही हम टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं? अगर आप यहां रहें या हम यहां रहें, इसका क्या फर्क पड़ता है। कल तो न आप रहेंगे और न हम रहेंगे, कोई और यहां रहेगा, लेकिन कम से कम कल यहां रहने वाला बच्चा यह जानेगा कि हमने उनके लिए कोई कुर्बानी दी थी। जब भगवान राम का नाम आता है, तब कम से कम हम सबको कुर्बानी समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। भगवान राम को 14 साल का बनवास किसी ने दिया नहीं था। अगर वे स्वीकार न करते, तो उनको बनवास न दिया जाता। लेकिन वे गये और इसलिए गये क्योंकि वे अपने माता-पिता की इच्छा के अनुसार उस समय अयोध्या में नहीं रह सकते थे। आप भी थोड़ी सी कुर्बानी दो। हमने कुर्बानी दी है और इसलिए मैंने आपसे कहा कि 14 साल बाद मै यहां लौटकर आया हूं। मैं 14 साल बाद इसलिए लौट कर आया हूं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे समाज का विभाजन कर दिया गया था, लोगों का विभाजन कर दिया गया था। मैं इस बात को फिर से कहता हूं, स्पष्ट करता हूं कि कोई यह न समझें कि यह मुसलमान की सिर्फ बात है, मुसलमान की बात होती, तो बहुत छोटी बात होती। विश्व के हर समझदार व्यक्ति की यह सोच है कि भारत इकट्ठा रहे, समूचा रहे और एक रहे। क्या हम कहीं नमाज पढ़ने से वंचित रह जाते हैं अगर हमें मस्जिद न मिले? कहीं आप अपना भजन करने से वंचित रह जाते हैं कि आपको मंदिर न मिले? मैं कहता हूं कि अयोध्या में हमने वही दृश्य देखा होता कि एक तरफ आप भजन करते होते और दूसरी तरफ हम नमाज पढ़ते होते, तब कोई बात होती। तब यह कहा जाता कि महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को बनाने का प्रयास किया था। आप कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की बात पर हम खरे नहीं उतरे। महात्मा गांधी की बात पर हम शायद खरे उतरते, अगर महात्मा गांधी जी को हमसे छीन न लिया गया होता। महात्मा गांधी जी का एक विश्वास था, एक संकल्प था कि हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन गलत हुआ हो। ऐसा उनका विचार था, लेकिन आपने समय कहां दिया? आपने कहां छोड़ा, कहां हैं वे लोग जिन्होंने महात्मा गांधी जी की उस शिक्षा को पूरा नहीं होने दिया। हम सिर्फ एक बात कहते हैं, हम सिर्फ यह कहते हैं कि हमने हिन्दू धर्म की शिक्षा महात्मा गांधी जी से ली है और कोई नहीं हमें सीखा सकता कि हिन्दू धर्म इससे कुछ विपरीत हैं राजनाथ सिंह जी कहने को बातें बहुत अच्छी कह गये। वे कह गये कि इस भारतवर्ष में कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई सोच ऐसी नहीं, जो किसी और का बुरा चाहती हो। फिर बुरा क्यों हो गया? क्या बात थी कि बुरा हो गया? क्या बात थी कि इतने लोगों की जानें गयीं? क्या बात हुई कि आज तक वह दर्द, वह ठेस लगी है? क्या बात है कि जब भी यह चर्चा होती है, हिन्दू-मुसलमान की बात की जाती है, हम आपसे कहते हैं कि हिन्दू और मुसलमान का अंतर यह है कि मुसलमान कभी-कभी, आप ही के गुरू की किताब है--बंच ऑफ थॉट्स। भारत के मुसलमान पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। अगर भारत के मुसलमान पाकिस्तान के लिए

दुआ करते हैं तो आप बताइये कि अब्दुल हमीद कौन थे, ब्रिगेडियर उस्मान कौन थे, लेफ्टिनेट हनीफुद्दीन कौन थे? ...(व्यवधान) आप छोड़िये। अगर आप हमें कुछ गिनाते। ...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : जो व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है, उनके बारे में आप कैसे कह सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: आप उसे रिप्युडिएट कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे: आप उसे गलत कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बंच ऑफ थॉट्स बुक को मैं वापिस लेता हूं। इसलिए आप उसे कोट नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : How can you speak like this? Please take your seat.

… (*Interruptions*)

श्री सलमान खुर्शीद: वही मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने अपनी किताब वापिस ले ली, तो आप भी अपना मंदिर-मस्जिद का अभियान वापस ले लीजिए। अगर वह इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो उनके नक्शे कदम पर चलकर आप भी यह अभियान वापस ले लीजिए। हम लोग मिलकर यहां कोई समाधान निकालेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि हर पेज पर पढ़कर सुनाया गया। जो ड्रेस रिहर्सल्स हुई हैं, वे पेज 612 पर देख लीजिए। डेमोलिशन का जो मेथेड है, वह पेज 795, 796 पर देख लीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, उन्हें पेज 852 पर देख लीजिए। क्या-क्या दिखाऊं आपको, क्या-क्या बताऊं कि इसमें क्या-क्या है? लेकिन जहां आप कहते, मैं आपसे इस बात में सहमत हूं कि जब आप कहते हैं कि कैसे इसमें देवराह बाबा का नाम आ गया? हम आपसे इस बात में सहमत हैं। अगर राजीव जी वहां गये थे, अगर हमारे प्रधान मंत्री जी वहां गये थे, अगर पंडित जी उनके वहां गये थे, तो हम भी देवराह बाबा का सम्मान करते हैं। मुझे भी इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसमें उनका नाम आना चाहिए। किस वजह से उनका नाम आया, लेकिन उनका नाम किसी षडयंत्र में नहीं है। फिर मैंने कहा जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम है, वैसे ही उनका नाम आ गया। एक लम्बी सूची में नाम आ गया। उस सूची को परे रख दीजिए।

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Sir, with full respects to him, there is a list of culpable persons. I hope that he understands the dictionary meaning of the words culpable persons. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): This is what he is explaining. … (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Therefore, it is not some list. It is a list of culpable persons. … (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: We all know that. … (*Interruptions*)

SHRI SALMAN KHURSHEED : I know about it. … (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR: Therefore, we are saying that the Liberhan Commission Report is totally off the mark. … (*Interruptions*)

SHRI SALMAN KHURSHEED : I would just like to explain this to you. The list of culpable persons does not indicate how they are culpable. If something has come in it by mistake and if both of us are on the same side on it, then where is the problem? But are you telling me that because of one entry wrong, therefore, the whole Report is wrong? Are you saying that the rest of the Report is right, and this is wrong? If it is so, then we will accept it. Where is the problem in it? … (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR: We have got our own views regarding the rest of the Report. Shri Rajnath Singh has already spoken about it, and other leaders will speak later. … (*Interruptions*) But, at the same time, the mention of the names of these two persons is the issue. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: This point is already made.

… (*Interruptions*)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): क्या जस्टिस लिब्रहान ने यह रिपोर्ट पढ़ी है?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Shri Geete, you are also speaking on this issue later.

… (*Interruptions*)

श्री सलमान खुर्शीद: मेरा निवेदन है कि बाल की खाल न निकालें। यह बात बड़ी स्पष्ट है, पूरा देश और दुनिया इसे जानती है कि क्या हुआ। अगर हमारे साथियों को इस बात से गुरेज है कि कोई षडयंत्र नहीं था, तो बताएं कि षडयंत्र नहीं था। षडयंत्र नहीं था, यह कहकर उससे ये बच नहीं सकेंगे। सेक्शन 8बी का नोटिस बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 8बी की नोटिस के पर्दे के पीछे, कुचले हुए इतिहास के टुकड़ों को फिर नहीं ऐसा कर सकते हैं, इनको यह दुनिया और यह देश ऐसा नहीं करने देगा। मैं इनसे सिर्फ इतना

कहना चाहता हूं कि यह सब हुआ सिर्फ अयोध्या के लिए। आज निर्मल खत्री जी हमारे साथ बैठे हैं, आज अयोध्या की आवाज वह बनकर आए हैं, आज अयोध्या की भावना वह बनकर आए हैं, आज आप कहां हैं अयोध्या में? आज अयोध्या में कोई और है, अयोध्या में कोई और नया सपना है, अयोध्या में कोई और नई भावना है। क्यों नहीं उस भावना और उस सपने से आप जुड़ जाते हैं? हमारे कई साथियों ने कहा है कि यह विषय हमें किसानों की समस्या से अलग कर रहा है, यह तो महंगाई की समस्या से अलग कर रहा है, चलिए न हम किसानों की समस्या पर बात करें। किसानों की समस्या में जुड़कर ही कल्याण सिंह जी मुलायम सिंह यादव जी के साथ चले गए थे। समस्या अभी भी है, वह उनको छोड़ गए। समस्या हल हो गयी होती, तब उनको छोड़ देते। क्या बात हो गयी कि आज छोड़ दिया? मैंने यह देखा है कि मुलायम सिंह यादव जी के साथ आने के बाद, कई बार कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं हर मजहब और धर्म का सम्मान करता हूं। आज क्यों मजबूर होकर कल्याण सिंह जी यहां अकेले बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कल्याण सिंह जी का परिवर्तन कर दें, धर्म परिवर्तन करें या न करें, तो इस देश में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम एक ऐसा कदम उठा लेंगे कि फिर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों से गर्व से कह सकेंगे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, इस देश को मेरे बच्चों रखना संभालकर।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Kalyan Singh, you will be allowed to speak and definitely you will get time to speak. Perhaps, it will not be today, but later.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up the '*Zero Hour*' submissions. Shri S. Semmalai.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. … (*Interruptions*)

The recent judgement of the Delhi High Court has forced the Government with no other option than to cancel the earlier 2G spectrum allocation. This is because of the reversal of the cutoff date. … (*Interruptions*)

It is shocking to mention that within 45 minutes nine companies were invited, and allotments were made to those nine companies on first-come-first-serve basis. There is no transparency in this matter, and there is no auctioning. Actually, there is something fishy in the deal. As a result of the glaring irregularities, the loss to the Government is estimated at Rs. 100,000 crore.

Mr. Chairman, Sir, in this matter, the advice of the Telecom Regulatory Authority of India was overlooked. I learnt that the Law Department too raised serious objections to this deal. The Prime Minister has also directed the Minister concerned to stop the entire process of spectrum allocation. The Prime Minister's letter was also ignored. That letter was not referred to in the court record. … (*Interruptions*)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): This is not fair.

SHRI S. SEMMALAI : Overruling all objections, the Department has proceeded with the deal in its own fashion. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

SHRI S. SEMMALAI : The Minister has cleverly swept all the directions under the carpet conveniently.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Shri Semmalai. Take your seat. You cannot deviate from the text. You have to finish with that.

SHRI S. SEMMALAI : I request the Prime Minister to take action. He should ask the Minister concerned to resign or sack him from the Cabinet. In view of the judgment, the Government will have to cancel the earlier allocation and allow all bidders who have applied till 1.10.2007, and also a Joint Parliamentary Committee should be formed to probe into the matter.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति जी, हमारे देश में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। मैं आपका ध्यान विशेष रूप से महाराष्ट्र की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। महाराष्ट्र इस समय पूरे हिंदुस्तान में दूसरा बड़ा शहरी प्रदेश माना जाता है। मैं केन्द्र सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने शहरों के विकास के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम बना रखे हैं। केन्द्र द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने के लिए फंड्स दिये जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के पास लगभग 121 ऐसी परियोजनाएं भेजी हैं जो हमारे शहरों के विकास से जुड़ी हुई हैं, जिसमें मुम्बई की लगभग 12 परियोजनाएं हैं, पूणे की लगभग 19 परियोजनाएं हैं, नागपुर की 27 परियोजनाएं हैं। इसी तरह से थाणे और महत्वपूर्ण शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलेपमेंट की सारी परियोजनाएं हैं। उन परियोजनाओं के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता के तौर पर, लगभग 9 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उसमें से अभी तक हमें दो हजार करोड़ रुपया ही मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो केन्द्र सरकार महाराष्ट्र के शहरों के विकास के लिए जो योजनाएं हमने बनाई हैं और जिन्हें अप्रूव्ड कर दिया गया है, उनके लिए जो वांछित फंड है, उसका एलोकेशन करे। दूसरा, मुम्बई की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि 25 जुलाई 2005 को भीषण बाढ़ में मुम्बई डूब गयी थी और जिसकी वजह मीठी-नदी, जो 17 किलोमीटर लम्बी है, उसे बताया गया है। मीठी नदी के बारे में 702 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गयी। केन्द्र सरकार को 200 करोड़ रुपये देने थे, जो उसने अभी तक नहीं दिये हैं। माननीय वाटर-रिसोर्स मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए हैं और मेरा कहना है कि मीठी नदी के बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री यह कहती है कि यह मुम्बई शहर की एक नदी है, जबकि अर्बन डिवेलप मिनिस्ट्री कहती है कि यह मुम्बई शहर का एक नाला है। अब उसके लिए जो 200 करोड़ रुपये हमें चाहिए, वह फाइनेंस मिनिस्ट्री एप्रूव नहीं कर रही है। मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के दोनों मंत्रालय आपस में बैठकर जितना जल्दी हो, समाधान ढूंढें और मीठी नदी के विकास की जो योजना बनी है, उस योजना को लागू करने के लिए जो वांछित फंड है, उसका तत्काल एलोकेशन करें ताकि मुम्बई के शहरों के विकास का कार्यक्रम जो महाराष्ट्र सरकार चला रही है उन्हें पूरा किया जा सके और मुम्बई के शहरों का विकास हो। धन्यवाद।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, कल 6 दिसम्बर को बाबा साहेब की पुण्य तिथि देश के कोने-कोने में जानदार और शानदार ढंग से मनाई गयी है। उसी पुण्य तिथि के अवसर पर नेशनल कन्फैडरेशन ऑफ दलित ऑरगेनाइजेशन, नकडोर नाम से एक संस्था है जिसमें देश भर के दलितों के संगठन का महासंघ है। उन लोगों ने अम्बेडकर भवन से संसद के कक्ष तक और जंतर-मंतर तक, दलित सम्मान यात्रा उन लोगों ने की है और माननीय प्रधान मंत्री जी को 80 सूत्री मांगे समर्पित की हैं। उन्होंने दावा किया है कि देश भर में जो दावा किया जा रहा है कि दलितों की बहुत तरक्की हुई है, उसमें दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक सभी शामिल थे, उनका सुधार हुआ है। यह कहा गया है कि इन लोगों का सुधार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक 14 फीसदी जिनकी आबादी है, इसलिए उन लोगों ने मांग की है। अभी भी वे होम स्टेट लैंड लेस हैं। खेतिहर मजदूर हैं, उनके पास जमीन नहीं है। जीविका के पर्याप्त साधन नहीं हैं। उनको सम्मान भी प्राप्त नहीं है। लगभग 49 परसेंट जल के स्रोत से उन्हें पानी पीने की इजाजत नहीं है, गांवों से विद्वानों ने यह रिपोर्ट जारी की है। इसलिए उन्होंने 80 सूत्री

मांग प्रधानमंत्री जी से की है। सरकार से आग्रह है कि दलितों का सामाजिक, आर्थिक सुधार हो, तरक्की हो। उनका विकास हो। सरकार सकारात्मक रूप से ध्यान दे और जो कार्यवाही धोखे की तरह है, उससे मुक्त किया जाए, नहीं तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यही बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश और डाक्टर लोहिया आदि सभी महापुरुषों का सपना था। जब तक दलित लोग समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित नहीं होंगे, हिंदुस्तान मजबूत नहीं होगा, इसलिए गंभीरता से सरकार इस बारे में कार्यवाही करे। धन्यवाद।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I would like to place before this House the serious impacts due to the continuous use of Endosulfan chemical pesticides in some parts of our country especially 12 villages in Kasargod District and in some places in Karnataka.

Sir, this continuous usage of this Endosulfan gas has caused serious diseases in this area. As a result, at the request of the local people, the Government of Kerala has appointed two Commissions, the Sivanandan Commission and the Achutan Commission. These Commissions consist of doctors, experts and also other eminent persons. They visited the place and examined the soil, water, air and even mother's breast milk. They came to the conclusion that this serious disease is due to the continuous use of Endosulfan. As a result, it is shocking to say that the children of the ages of two years, three years or four years have become blind and deaf and women below 20 years are not able to go for marriage because they have become the victims of cancer and TB. In 60 countries, including European countries and Sri Lanka have already banned this Endosulfan just because the Expert Committee has already given a suggestion that it really affects the body, the health and also the surface. This Endosulfan has affected the locality. It does not concentrate in one place and it gets spread at a speed to other places. The people of that area are affected. The Government of Kerala has given some assistance to these poor families. About 150 people have died there and Rs.50,000 has been given and the free medical assistance is given. It is really high time to ban the Endosulfan here. The Government should constitute a Joint Parliamentary Committee to go into this. It is in my constituency. I have the seen these poor people dying. I request the Government to take necessary action.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं आपकी इजाजत से केन्द्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं और योजनाएं इसलिए बनाईं कि 2012 तक पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे दी जाएगी। मुझे अफसोस है कि हमारे अपने राज्य जम्मू-कश्मीर में आज

तक नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ से एक भी प्रोजेक्ट न विंड का, न सोलर का और न ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाया गया है। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि इन्होंने जो सोलर लाइट्स देनी थीं, एक भी मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं दी गई है। पूरे राज्य में हाइड्रो इलेक्ट्रिक की 20 हजार मेगावाट की गुंजाइश है। इसके अलावा सोलर और विंड अलग से हैं। मेरा कहने का मकसद है कि हमारी सरकार ने जो ख्वाब दिखाया है, उसे पूरा करना हमारा काम है, अगर इसी तरह से काम जारी रहेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट बनकर न आया है और न मंगवाया है। न तो केन्द्र सरकार न ही राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट तैयार किया है। मैं अपने किश्तवाड़ के एरिया में, डोडा और भद्रवा, इंद्रवाल और बनहार, इसी तरीके से बसौली, पुंछ और रजौरी के एरिया में आप देखें कि बिजली है ही नहीं है। जंगलों में इतना गहरा असर पड़ रहा है, वहां इतनी कटाई हो रही है। मेरी सरकार से विनती है कि अगर यह बिजली जो हमने प्लान की है, जो हमने योजनाएं बनाई हैं, अगर ये योजनाएं इम्पलीमेंट नहीं की, तो 2012 तक का हमारा सपना पूरा नहीं हो सकता और ये सारी योजनाएं जम्मू-कश्मीर पर भी लागू हों । ये योजनाएं बनकर नहीं आएंगी तो कब हमें बिजली मिलेगी? इसलिए मेरी विनती है कि सरकार इस मसले को बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि इस देश के हजारों-हजारों गांव अभी भी बिजली से वंचित हैं।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Chairman Sir, I rise to raise a matter of urgent public importance regarding the supply of natural gas through pipeline to the entire country and congratulate the Government for this venture but I have certain points to make.

In some places pipelines have been laid for gas supply but those places also have adequate supply of gas cylinders. Thus the consumers get the benefit of both. This aspect should be looked into. The Government should provide gas connections to the villages or towns where there is no supply at all.

Secondly, the cost of natural gas is less than that of LPG cylinders. We often find that some consumers are using both and are also buying it at a cheap rate. This is immoral. No one should get double supply. Consequently, this results in black marketing. The Government must intervene to stem this practice.

Thirdly, I would say that Kolkata and Howrah are the two most populated cities of West Bengal. Natural gas must be supplied to these two cities also. Many other cities are already getting the supply but Kolkata is deprived of this facility. We should not forget that Kolkata was once the capital of erstwhile India. Thus I request the Government to introduce natural gas supply through pipeline in Kolkata as soon as possible.

I would mention another thing here. When we were children, we used to give oral examinations. If we were asked about the place having highest rainfall, the reply would be Cherrapunji of Assam. If we were asked about the biggest petroleum producing area, we would say Digboy. But unfortunately, even Assam's capital Guwahati does not have supply of gas through pipeline connection.

---

*English translation of the speech originally delivered in Bengali.

Therefore they may think that though they were pioneer in producing oil, the Government did not give them their due. People of Assam may be highly disappointed. The entire Eastern India is actually fuming. Sentiments of regionalism may gradually crop up due to this.

There are also twin cities of Hyderabad and Secunderabad in South India. Natural gas must be supplied through pipeline to these places also along with other metropolitan cities of the country. This is my humble request to the Government of India.

With these few words, I conclude my speech and thank you for giving me this opportunity.

श्री बाल कुमार पटेल (मिर्ज़ापुर): सभापति महोदय, पहली बार सदन में बोलने का आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और भारत सरकार पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के गंभीर प्रयास भी कर रही है परंतु मानक विहीन उद्योग अपने लाभ के लिए प्रदूषण मुक्त संयंत्र न लगाकर वातावरण को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से जहां से हम चुनकर आए हैं, इसके पहले मैंने प्रधान मंत्री जी को 14 जुलाई और 9 नवम्बर को दो पत्र भी लिखे थे कि हमारे मिर्जापुर जनपद में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो शांति गोपाल कोनकास्ट लिमिटेड धौसां व मैसर्स आर0एल0जे0 कोनकास्ट लिमिटेड, बड़ा गांव व जे.के. सीमेंट फैक्ट्री, चुनार के द्वारा प्रदूषण फैलाकर आसपास के निवासियों का जीवन दुर्लभ कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जल व वायु को तथा सीमेंट फैक्ट्री द्वारा गंभीर वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। यहां तक कि बगल में गंगा नदी है और चुनार ऐतिहासिक किला भी बगल में है। यहां सीआरपीएफ जवान रहते हैं, यहां बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि तब तक देश में पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर चल रही इकाइयों के निर्माण व उत्पादन को प्रतिबंधित किया जाए जब तक प्रदूषण मानकों को पूर्ण न करें और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मैं आपका ध्यान इस शहर की बहुत बड़ी समस्या रेलवे क्रॉसिंग और उस पर निर्मित हो रहे रेलवे ओवर ब्रिज की तरफ दिलाना चाहता हूं। एक ओवर ब्रिज गजनेर रोड पर निर्मित हो रहा है, यह निर्माणाधीन है और इसकी गति बहुत धीमी है। इसके माध्यम से दूसरा आरओबी चौकुंटी रोड पर बनने वाला था लेकिन उसका निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पहले एक पूरा होगा। आरओबी, जो गजनेर रोड पर बन रहा है, उसके बनने की अवधि दो साल थी। मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं यह चार साल में भी पूरा क्यों नहीं हुआ? इसे जल्दी पूरा करें ताकि चौकुंटी वाला आरओबी बने।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आजादी से पहले बीकानेर और दिल्ली के लिए तीन रेलगाड़ियां चलती थी लेकिन अब कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। इसका कारण है कि गेज परिवर्तन का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। यहां डायरेक्ट ट्रेन नहीं है इसके कारण हमें भी बहुत मुश्किल से आना पड़ता है। गेज परिवर्तन का कार्य जनवरी, 2010 तक पूरा होना था, इसे बढ़ाकर दिसंबर, 2010 किया गया। रेल मंत्रालय इसकी अवधि एक साल और बढ़ा रहे है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी अवधि नहीं बढ़ानी चाहिए। गेज परिवर्तन का काम दिसंबर, 2010 तक पूरा होना चाहिए।

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Respected Chairman, Sir, there are around 575 Jawahar Navodaya Vidyalayas across the country in which two are in my constituency in Nariyamangalam and Kulamavu in Idduki district. These Jawahar Navodaya Vidyalayas is the dream child of our late Prime Minister, Rajiv Gandhi. These institutions are providing good quality residential education to students, predominantly belong to rural India.

I would like to bring to the notice of the Government that some of the urgent needs of these institutions and some demands of employees. Teachers and non-teaching staff of Jawahar Navodaya Vidyalayas and those who joined prior to 1.1.2004 are not granted GPF-cum-benefits. The recommendations of various Parliamentary Committees for introduction of GPD-cum-pension has not been implemented. The option to switch over to CPF to GPF scheme was also not given to Jawahar Navodaya Vidyalayas employees as per the recommendations of the 4th Pay Commission. The Jawahar Navodaya Vidyalayas situated in rural areas are facing difficulties for infrastructural development also. More funds have to be provided for this. Also, the budget allocation for the mess fee is very low. Students are getting only Rs.675 per month for their mess fees. It has to be revised. I am requesting the Government to interfere and sort out these issues immediately.

MR. CHAIRMAN : Shri L. Rajagopal – not present.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राप्ती, गौर्रा, छोटी गंडक और घाघरा नदियां हमारे संसदीय क्षेत्र से होकर निकलती हैं। वर्ष 1998 में प्रलयंय्कारी बाढ़ आई और उस बाढ़ से गोरखपुर, जनपद देवरिया, जनपद मऊ, जनपद बलिया में प्रलयंकारी बाढ़ ने काफी परिवारों को विस्थापित कर दिया। अकेले हमारे संसदीय क्षेत्र के तहसील बैरिया में अम्बेडकर ग्राम, माझा, शिवपुर, जटहां, दतहां, उस्मानपुर, रामपुर, भसरीख, वासडीह तहसील के दियरा, वाधर, चकिया, बलियन, सलेमपुर तहसील के आदर्शनगर, बरहज तहसील परसिया, देवार और बेल्थरा तहसील, सदिया मढ़िया, गुलौरा, वेलारा सिकंदरपुर तहसील के टुकडा नंबर दो मनियर के हजारों परिवार बेघर होकर बंधे पर निवास कर रहे हैं। जिसके कारण उनके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो गई है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि वह उनके पुनर्वास के लिए धन मुहैया करायें, ताकि जो हजारों परिवार 1998 से बेघर पड़े हुए हैं, उनका पुनर्वास हो सके।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भारत की सांस्कृतिक चेतना की आत्मा हैं और 1959 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू जब बिहार के सिमरिया में गंगा पर राजेन्द्र पुल का उद्घाटन करने के लिए गए थे तो उस समय इस देश के रेल मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। उनके साथ बिहार केसरी डा. श्री कृष्ण सिंह थे और दिनकर भी साथ में थे। उसी दिन उनकी जन्मभूमि सिमरिया में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। उनकी याद को, उनके स्मरण को एक स्वरूप देने के लिए मैंने आज इस

सार्वभौम सदन से आग्रह किया है कि दिनकर, जो सिमरिया जोन की जन्मभूमि है, उस स्टेशन का नाम दिनकर सिमरिया ग्राम स्टेशन रखा जाए। इसके लिए हमने रेल मंत्रालय से मांग की है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रकवि दिनकर की याद में उनकी जन्मभूमि सिमरिया का नाम दिनकर सिमरिया ग्राम स्टेशन रखा जाए। यही मेरा निवेदन है।

18.48 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 8, 2009 / Agrahayana 17, 1931 (Saka).